खण्ड-223, अंक-1
शुक्रवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1883
(21 अप्रैल, 1961 ई0)

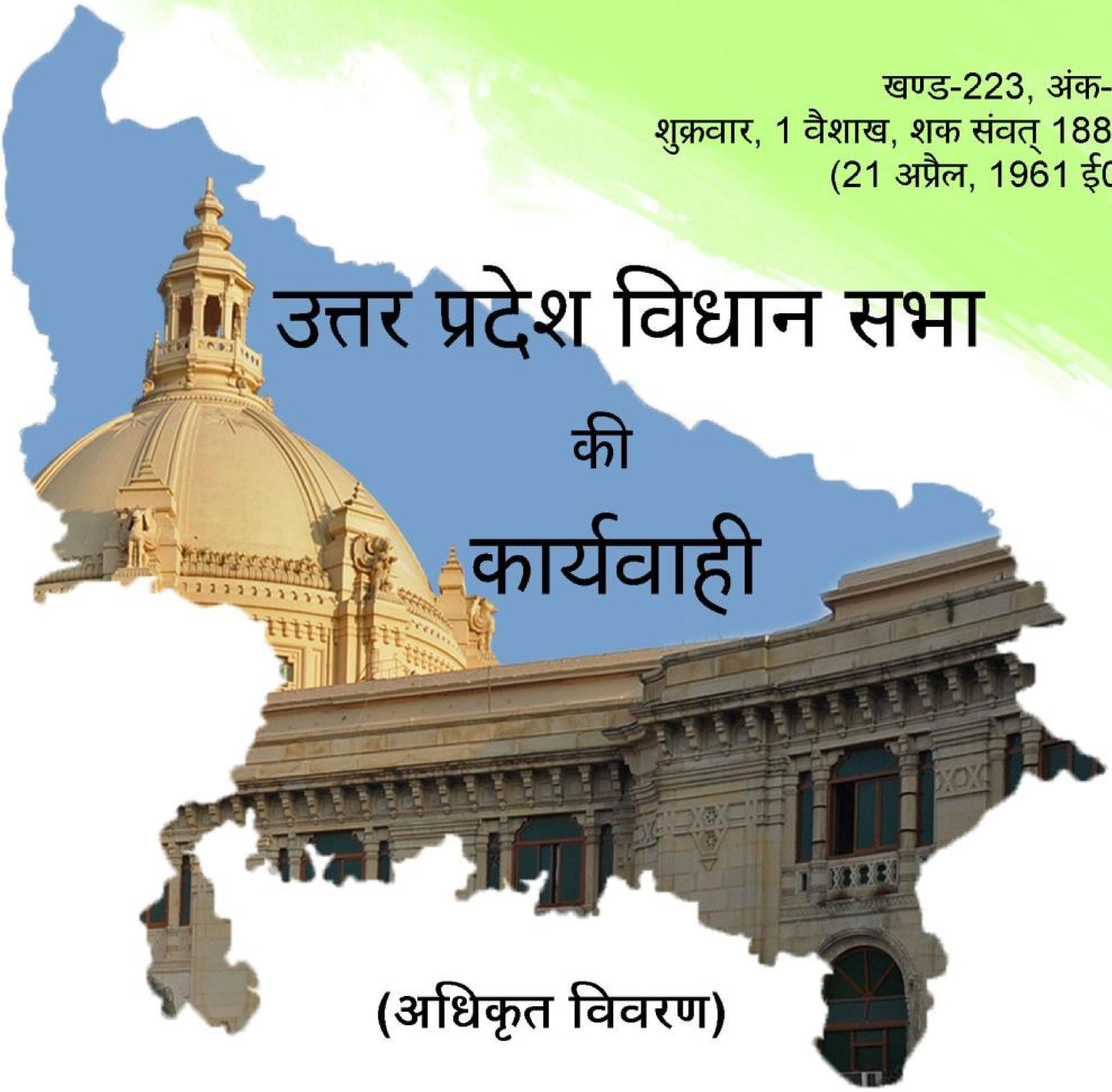

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खूबसिंह, श्री
गगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंगादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचरी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, डाक्टर
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच धुर-धारा निश्चित करने का प्रयास

**१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि इस महीने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच धुर-धारा (Mid Stream) निश्चित करने हेतु तिथि निश्चित करने के लिये उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने बिहार के अधिकारियों को जो पत्र लिखा उसके उत्तर में बिहार के अधिकारियों ने तिथि नहीं निश्चित की और यह उत्तर दे दिया कि उन्हें फुर्सत नहीं है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री उदयशंकर)—जी हां, कलेक्टर शाहाबाद ने यह उत्तर दिया है कि उनके अधिकारी सर्वेक्षण कार्य में लगे हुये हैं और जब वह खाली होंगे तो गंगा की धुर-धारा को निश्चित करने के लिये कोई तिथि तजवीज करके सूचना भेज दी जायगी।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, जैसा कि पहले के प्रश्नोत्तरों से साफ हो गया है, फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह तक इस धुर-धारा का निर्णय हो जाया करता था, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को अब स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार इस मामले में टालमटोल करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस के लिये केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करने का विचार रखती है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मालूम तो ऐसा पड़ रहा है कि टालमटोल कर रहे हैं लेकिन हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी ने उनके रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहा है कि शाहाबाद के कलेक्टर को डाइरेक्ट किया जाय कि जल्दी तारीख निश्चित करें।

श्री गौरीशंकर राय—रबी की फसल की कटाई हो जाती है फरवरी और मार्च में, इसलिये अगर हम इस धुर-धारा का निश्चय अभी नहीं कर देते तो जून में और उस के बाद गंगा में पानी बढ़ने लगता है और उसके बाद धुर-धारा का निश्चय नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह दिक्कत पैदा हो सकती है।

श्री गौरीशंकर राय—जब यह दिक्कत पैदा हो सकती है और रेवेन्यू सेक्रेटरी लिखते ह कि सारा मामला तीन, चार महीने से चल रहा है तो अंतिम रूप से समाधान न होने पर सरकार क्या इसको यूं ही छोड़ देगी या इसके समाधान के लिये वह कोई तरीका निकालने की सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गवर्नमेंट लेविल पर हम उनसे कन्टेक्ट कर रहे हैं कि इस मामले में जल्दी की जाय।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिनिधियों का कोई सम्मेलन हुआ था हाल में ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका जवाब हम कई बार दे चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस धुर-धारा के मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिये कोई योजना उनके पास है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर बिहार गवर्नमेंट ऐग्री करे तो हमारे पास अंतिम योजना है, वरना नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दो महीने के बाद वर्षा ऋतु आरम्भ हो जायगी और जिन काश्तकारों का धुर-धारा से संबंध है और जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा वे इस निर्णय से क्या लाभ उठा सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो सर्व विदित है । इसको मैं क्या बतलाऊं ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में कुछ बेसिक स्कूलों को अनुदान न मिलना

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ नगर में छठे क्लास तक के बेसिक स्कूलों को चालू वर्ष में नगरपालिका तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता कई महीनों से बाकी है ? यदि हां, तो कितने स्कूलों की ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां । नगरपालिका द्वारा एक स्कूल को तथा प्रादेशिक सरकार द्वारा २ स्कूलों को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों को कितने महीने से अलग-अलग कितना-कितना रुपया देना पड़ा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कारण क्या है कि इन स्कूलों को अभी तक अनुदान नहीं दिया जा सका है ?

श्री रामस्वरूप यादव—काकोरी स्कूल का तो पूरा ब्योरा यथासमय प्रेषित नहीं किया जा सका । भारतीय विद्यापीठ, गढ़ी पीरखां को मान्यता विलम्ब से मिली इस वजह से अनुदान नहीं दिया जा सका । इसके अतिरिक्त विशुन नारायण बेसिक पाठशाला को भी विलम्ब से मान्यता प्राप्त हुई । अतः आय-व्ययक में धनाभाव के कारण इस संस्था को महापालिका द्वारा आंशिक अनुदान ही दिया जा सका ।

आदर्श शिक्षा निकेतन को दिनांक २४ मार्च, १९६१ को प्रथम बार मान्यता प्रदान की गई । अतः इसके निमित्त महापालिका के आय-व्ययक में प्राविधान न होने के कारण इसको इस वर्ष अनुदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन संस्थाओं को सहायता मिली हुई थी उनको, बजट में उनके लिये प्राविधान होते हुये भी, किन कारणों से अनुदान नहीं दिया जा सका ?

श्री रामस्वरूप यादव—जूनियर हाई स्कूल, काकोरी और दूसरा जो निशातगंज का है, यहां से यथासमय उसका ब्योरा प्रेषित नहीं किया गया था और इसी कारणवश पहली जनवरी से ३१ मार्च तक वह नहीं दिया जा सका ।

जूनियर बेसिक व प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान

*३—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली) तथा श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में प्रदेश के जूनियर बेसिक व प्राइमरी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये पुस्तक देने के हेतु कुल कितने रुपये स्वीकृत थे ? उस रकम में से कितने रुपयों की किताबें खरीदी गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुल ४,४७,६९२ रु० (चार लाख सैंतालीस हजार छः सौ बानवे रुपये) स्वीकृत थे । शासन द्वारा पुस्तकें क्रय करने हेतु स्थानीय निकायों को केवल अनुदान दिया जाता है और निकायें स्वयं ही पुस्तकें क्रय करती हैं ।

*४—श्री शिवराजबहादुर तथा श्री होरीलाल यादव—क्या यह सत्य है कि इन पुस्तकों की खरीदारी के लिये सरकारी गजट और अखबारों में सूचना नहीं प्रकाशित की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*५—श्री शिवराजबहादुर तथा श्री होरीलाल यादव—क्या यह भी सत्य है कि लगभग सवा तीन लाख रुपयों की उपर्युक्त पुस्तकें बनारस के किसी एक प्रकाशक से खरीद ली गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि किताबें कहां-कहां से खरीदी गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, एक योजना के अन्तर्गत १०० जूनियर स्कूल्स को यह लिखा गया था कि २० रुपये की किताबें खरीदी जा सकती हैं । उसमें से एक पत्रिका भी ले सकते हैं जो ६ रुपया वार्षिक की हो । कुछ स्थानों पर साढ़े चार रुपये की पत्रिका भी ली गई और इस प्रकार जो बचत हुई उससे किताबें ले ली गईं । इसके लिये एक कमेटी शासन की ओर से बना दी गई थी, उसके निर्णय के आधार पर ही यह किया गया । सारे प्रदेश को ३ क्षेत्रों में बांटा गया था और उनमें से प्रत्येक को यह परामर्श दिया गया था कि ये पुस्तकें ली जायं ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपया उस कमेटी के सदस्यों के नाम बतायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री कर्ण भाई, स्वरूप रानी बख्शी, सावित्री श्याम, प्रिन्सिपल गवर्नमेंट नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, श्री देवेन्द्र तिवारी और अनुसचिव शिक्षा विभाग ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जब दूसरी बैठक बुलाई गई थी तो उसमें महिला सदस्या एक भी उपस्थित नहीं थीं फिर भी निर्णय कैसे ले लिया गया ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुछ किताबें कम्पलसरी रखी गई थीं और कुछ किताबें आप्शनल रखी गई थीं । दूसरी बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि बजाय आप्शनल रखने के सभी को कम्पलसरी कर दिया जाय ताकि सुभीता हो नगरपालिकाओं को पुस्तकें चयन करने में । दूसरी बैठक में कोई भी किताब हटाई नहीं गई किन्तु जो आप्शनल थीं उनको कम्पलसरी कर दिया । आसानी के लिये तीन रीजन में बांट दिया गया और एक-एक क्षेत्र में ये ये किताबें निर्धारित की गई हैं, इस प्रकार के आदेश दिये गये कि वे खरीदी जायं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब ये किताबें उसी आधार पर ली गयी थीं तो फिर दूसरी कमेटी बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? दूसरे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि एक भी महिला उसमें उपस्थित नहीं थी और न प्रकाशकों को अपने प्रकाशन भेजने का ही अवसर दिया गया ।

आचार्य जुगलकिशोर—जैसा मैंने कहा कि ये सब पुस्तकें पहली कमेटी के द्वारा स्वीकृत की गयी थीं जिसमें ३ महिलायें भी उपस्थित थीं । उन्हीं किताबों को एक छोटी सी सब-कमेटी ने यह सोच कर चुन लिया कि जो आप्शनल किताबें हैं उनको कम्पलसरी कर दिया जाय । क्योंकि किताबें वही थीं इसलिये उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी, इसलिये कि न कोई किताब बढ़ाई गयी और न निकाली गयी ।

श्री गौरीशंकर राय—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन किताबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी एक बनारस के प्रकाशक से लिया गया ? अगर लिया गया तो वह प्रकाशक कौन था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, जब समिति के सामने हमने यह सवाल रखा कि प्राइमरी एजूकेशन की संस्थाओं के लिये जो पुस्तकें चुनी जायं वे ऐसी हों जो बालोपयोगी हों और इस खयाल से एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने जो प्रकाशक थे उनके प्रकाशनों को देखा और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बालोपयोगी पुस्तकें थीं उनका चयन किया । इसका कारण यह था कि हमारे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी बालोपयोगी पुस्तकें बहुत कम प्रकाशित होती हैं और सर्वोदय प्रकाशन ने जिसका बनारस में हेडक्वार्टर है ६२ किताबें निकाली हैं उनमें से ६ किताबों की सिफारिश इस चयन कमेटी ने विद्यालयों के लिये की थीं । पिछले वर्ष भी सस्ता साहित्य मंडल की ६ किताबें रखी गई थीं जोकि उस वक्त चयन समिति ने सिफारिश की थी ।

श्री गौरीशंकर राय—स्पष्ट नहीं हुआ, मान्यवर । क्या यह सही है कि उस समिति के सदस्य जो कर्णभाई हैं उनके संरक्षण में चलने वाली पब्लिशिंग एजेन्सी से ही अधिकांश किताबें ली गईं और यदि ली गईं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—यह तो इससे पैदा नहीं होता है ।

श्री गौरीशंकर राय—नं० ५ से उठता है एक प्रकाशक से यह किताबें ली गईं, तो क्या यह सही है कि.....

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब तो उन्होंने 'जी नहीं' दे दिया ।

श्री गौरीशंकर राय—मैंने पूछा कि क्या अधिकांश किताबें एक ही प्रकाशक से ली गईं, उसका जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—जवाब तो आपको मिल गया । एक बार आप पहले भी पूछ चुके हैं। दोबारा, तिबारा और चौबारा पूछेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गौरीशंकर राय—लेकिन जवाब तो नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मिल गया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जितनी अनिवार्य पुस्तकें ली गईं उनमें २० पुस्तकें केवल सर्वोदय प्रकाशन, वाराणसी की हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—६ पुस्तकें केवल सर्वोदय प्रकाशन की थीं। वह तीन क्षेत्रों में बांट दी गई हैं इसलिये १८ मालूम पड़ती होंगी लेकिन ६ ही ली गई हैं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार के पास भी एक पत्र हमारी ओर से भेजा गया है और हमारे पास उसकी प्रतिलिपि भी यहां विद्यमान है जिसमें यह लिखा है कि जो यह प्रकाशक है इसका सर्वोदय से कोई संबंध नहीं है ? यह एक व्यक्ति है केवल लोगों को गुमराह करने के लिये सर्वोदय प्रकाशन नाम कर लिया है ताकि सर्वोदय से उसका तादात्म्य हो जाय और कर्णभाई तथा उनकी धर्मपत्नी दोनों ने समाचार-पत्र में यह निकलवा दिया था कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस समय उन पर मुकदमा भी चल रहा है और वह इस समय फरार हैं।

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मेरा खयाल है कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है लेकिन मैं स्पष्टीकरण कर दूं। सर्वोदय प्रकाशन का सर्वोदय संघ से तो कोई संबंध नहीं है लेकिन सर्वोदय विचार की पुस्तकें वह प्रकाशित करते हैं। बेसिक एजूकेशन के आधार पर बालोपयोगी पुस्तकें वहां से प्रकाशित हुई हैं। इसीलिये सर्वोदय प्रकाशन नाम पड़ा है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सर्वोदय प्रकाशन का सर्वोदय संघ से कोई संबंध है या किसी व्यक्ति विशेष का प्रकाशन मंडल है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे जहां तक मालूम है अभी तक तो व्यक्तिगत ही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मंत्री जी बतायेंगे कि—मैं साफ-साफ सवाल करूं और मंत्री जी उसका साफ-साफ जवाब दें—क्या यह सही है कि इस कमेटी के एक सदस्य हैं जिनकी स्त्री के नाम से प्रकाशन हुआ है और ३ लाख की पुस्तकें खरीदी गईं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जो इसके सभापति थे श्री कर्णभाई उनकी धर्मपत्नी ने एक किताब लिखी 'बाल मन्दिर' उसका नाम है, ६ आने उसके दाम हैं और वह सभी केन्द्रों में बांटी गई और कहा गया कि वही ली जाय।

श्री राजनारायण—इसी उत्तर से सम्बन्धित क्या सरकार को जानकारी है कि जब वाराणसी के कुछ लोगों ने चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश को इसकी अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र भेजा तो सरकार की ओर से जांच की गई और उस जांच के फलस्वरूप जिस पुस्तक के बारे में मंत्री जी ने अभी कहा है सभापति की धर्मपत्नी की लिखी हुई है उन्होंने समचार-पत्रों में ऐसा बयान दिया कि मेरा कोई प्रकाशन नहीं है मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी है और मेरे पास कुछ नोट तैयार थे जिनको चुरा करके प्रकाशित करा दिया ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे तो कोई ऐसी सूचना है नहीं ऐसे बयान की।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सदन में या सदन के बाहर के लोगों की कुछ शिकायतें शिक्षा मंत्री जी को मिली हैं ? और अगर हां, तो क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने उसके बारे में कहा है कि कोई शिकायत नहीं आयी, राजनारायण जी के प्रश्न के जवाब में अभी बताया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न ४ के उत्तर में उन्होंने कहा है 'जी हां'। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों क्योंकि प्रश्न संख्या ४ इस प्रकार है—"क्या यह सत्य है कि इन पुस्तकों की खरीदारी के लिये सरकारी गजट और अखबारों में सूचना नहीं प्रकाशित की गई ?" इसे मंत्री जी ने स्वीकार किया है। तो मेरा प्रश्न उठता है ऐसा क्यों किया गया कि सूचना प्रकाशित नहीं की गई और अप्रकाशित सूचना के द्वारा पुस्तकें खरीद ली गईं ?

आचार्य जुगलकिशोर—५ साल से यह झगड़ा चल रहा है और कभी भी इस तरह की विज्ञप्ति अखबारों में नहीं दी गई । आम तौर से बिना विज्ञप्ति के ही बहुत से प्रकाशकों की पुस्तकें सरकार के पास आ जाती हैं और उन्हीं में से चुन ली जाती हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

शराब की दुकान न खोलने के सम्बन्ध में सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, झांसी का आवेदन-पत्र

*१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी में रेल मजदूर क्षेत्र, मुहल्ला पुलिया नं० ९, गढ़ियाफाटक नगरा प्रेम नगर में इस वर्ष से शराब की नई दुकान खोली जा रही है ? यदि हां, तो उक्त दुकान खोलने का क्या कारण है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं, अमुक स्थान पर इस वर्ष में कोई नई दुकान नहीं खोली जा रही है बल्कि बिलौरा की शराब की दूकान को जो इसी क्षेत्र में है उपरोक्त स्थान पर हटाया जा रहा है ।

*२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त क्षेत्र के निवासियों के सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ ने २८ फरवरी, १९६१ को एक प्रस्ताव द्वारा अधिकारियों से उक्त शराब की दुकान न खोलने का निवेदन किया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । अमुक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जहां पर यह दूकान खोली गयी है वह एक ही क्षेत्र में नहीं है क्योंकि जो बिलौरा गांव सभा है उसकी आबादी करीब ८३० है और वह रेलवे स्टेशन तथा पक्की सड़क से ५ मील दूर है और अब जहां दुकान खोली गयी है वह स्टेशन और रेलवे एरिया से मिला हुआ म्युनिसिपल क्षेत्र है ?

डाक्टर सीताराम—जिलाधीश की सूचना से स्पष्ट है कि बिलौरा गांव डेढ़ मील दूर है इसलिये उसको हमने लो ड्यूटी एरिया से हाई ड्यूटी एरिया में शिफ्ट कर दिया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यहां पर दूकान खोलने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—१३ दिसम्बर, १९६० को जिले की एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यूनानिमसली यह प्रस्ताव पास किया गया कि यहां पर दूकान खोली जाय । दूकान खोलने का कारण यह है कि इस कालोनी के अन्दर साल भर में कई केसेज पकड़े गये । हाई ड्यूटी एरिया के लोग लो ड्यूटी एरिया से शराब लेकर पीते थे । तो जब इस तरह के केसेज पकड़े गये तो वहां के जिलाधीश ने एडवाइजरी कमेटी के सामने इस केस को रखा और वहां पर दूकान खोलने के लिये उनकी राय मांगी । साथ ही साथ मैनुअल में भी यह लिखा हुआ है कि रेलवे कालोनी में अगर दूकान खोली जाय तो वहां के अधिकारियों से भी परमिशन ले ली जाय । जिलाधीश ने रेलवे के अधिकारियों से तथा एक्साइज कमिश्नर से भी इसके लिये परमिशन ले ली । उन सबकी राय से ही यह दूकान वहां पर खोली गयी ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मजदूरों की हालत को देखते हुए और उनकी उन्नति में जो बाधा पड़ती है उसको ध्यान में रख कर वह शराब को बन्द करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस क्षेत्र में मुकदमों की संख्या को देखते हुए और इलिलसिट डिस्टिलेशन को देखते हुए यह संभव नहीं है कि ऐसा हो सकेगा। लेकिन ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया है और सरकार उस पर विचार कर रही है कि क्या किया जाय। ऐडवाइजरी कमेटी ने भी रेजोल्यूशन पास किया था कि एक साल तक देखा जाय कि केसेज पकड़े जाते हैं या नहीं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—जिस क्षेत्र में शराब की दूकान खोली जा रही है जब उस क्षेत्र की जनता ने आवेदन-पत्र दिया तो उसके बाद कोई जांच करवाई कि कहां से आया है, उसके बाद दूकान खोली जाय ?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज कमिश्नर से इस सम्बन्ध में आख्या मांगी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने यह नीति स्वीकार कर ली है कि इलिलसिट डिस्टिलेशन को रोकने के लिये शराब की नयी दूकानें खोली जायं ?

डाक्टर सीताराम—यह पालिसी स्वीकार तो नहीं की गयी है लेकिन वहां पर इस तरह के केसेज होते हैं। अभी मैं प्रश्नोत्तर में बतला चुका हूं कि १८ केसेज पकड़े गये और साथ ही मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है वहां ७–८ शराब की दूकानें हैं वहां से लाते हैं और जो बिलौरा लो ड्यूटी एरिया है वहां से लाकर बेचते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन सब बुराइयों को रोकने के लिये अगर दूकान खोली जाती है तो बुराइयां पैदा नहीं होंगी।

श्री देवनारायण भारतीय—मद्य निषेध की सर्वमान्य नीति को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि जहां पर मजदूर लोग संगठित रूप से कालोनी बना कर रहते हैं वहां शराब की दूकान न खोली जाय ?

डाक्टर सीताराम—झांसी मद्य-निषेध एरिया में नहीं आता। अभी मैंने प्रश्नोत्तर में बताने का प्रयास किया है कि रेलवे कालोनी में अगर इस प्रकार की दूकानें खोलने की आवश्यकता हुई तो उस डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों से आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है, इसी कारण डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट से परमीशन लेकर आख्या को एक्साइज कमिश्नर के सामने रखने का प्रयास किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी जो हैदराबाद की इंक्वायरी कमेटी थी और ट्रेनों की दुर्घटना संबंधी इंक्वायरी कमेटी ने जो सिफारिश की है कि रेलवे के यातायात संबंधी कर्मचारियों की कालोनी में शराब की दूकान न खोली जायं, क्या उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी विचार करेंगे कि इस प्रकार की दूकानें बन्द हो जायं ?

डाक्टर सीताराम—उनके यहां जो भी मीटिंग हुई हो उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमारी स्टेट में एक्साइज मैनुअल है उसके मुताबिक यह कार्यवाही की गयी है।

प्राइमरी पाठशालाओं के लिए पुस्तकों का क्रय

*३—**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या बजट वर्ष १९६०–६१ में प्राइमरी पाठशालाओं की कुछ पुस्तकें राजाज्ञा के विरुद्ध खरीदी गईं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३ श्री प्रतापसिंह ने पूछा।

श्री रामस्वरूप यादव—पुस्तकों के क्रय करने का कार्य शासन अथवा विभाग द्वारा नहीं होता बल्कि स्थानीय निकायों द्वारा ही पुस्तकें क्रय की जाती हैं।

लड़कियों की शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना का कार्यान्वयन

*४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—विधान सभा के १८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६–७ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों को ४०० अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति के लिये जो ३६,००० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया है उसमें कितनी अन्तरिम जिला परिषदों ने इस अनुदान के अन्तर्गत दाइयों की नियुक्ति ३१ जनवरी, १९६० तक कर ली है और कितनी ऐसी अन्तरिम जिला परिषदें हैं जिन्होंने उपर्युक्त अवधि तक दाइयों की नियुक्ति नहीं की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब तक केवल १८ अन्तरिम जिला परिषदों से आवश्यक सूचना आ सकी है। उससे ज्ञात होता है कि ४ अन्तरिम जिला परिषदों ने ३२ दाइयों के बजाय केवल २३ की नियुक्ति ३१–१–६० तक कर पाई थी। अन्य अन्तरिम जिला परिषदों से सूचना मंगाई जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी दाइयों की नियुक्ति होनी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—आठ-आठ दाइयां हर जिले में नियुक्त की जा सकती थीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैंने पूछा है कि इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी दाइयां नियुक्त होनी थीं।

श्री रामस्वरूप यादव—यही तो मैंने उत्तर दिया कि हर जिले में आठ-आठ। श्रीमन्, जो योजना थी उसका कार्य तीन हिस्सों में बांटा गया था। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों की अध्यापिकाओं के लिये आवास गृह का निर्माण, दूसरे स्कूल मदर्स की नियुक्ति और तीसरे छात्राध्यापिकाओं के लिये आर्थिक सहायता। स्कूल मदर्स के लिये मैंने निवेदन किया कि हर जिले में अन्तरिम जिला परिषद् से आशा की जाती थी कि आठ–आठ नियुक्तियां कर देंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों को इन दाइयों की नियुक्ति करने में क्या कठिनाई है जो अबतक नियुक्त नहीं कर सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो कारण जिलों से लिख कर आये उनमें एक तो यह लिखा है कि पहली राजाज्ञा दिनांक ११–११–५९ देर से पहुंची और दूसरे यह कि प्रौढ़ महिलायें उपलब्ध नहीं हो सकीं। इस कारण नियुक्तियां नहीं कर सके।

वेतन वृद्धि न पाने वाले रोडवेज ड्राइवर

*५—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार राज्य भर के रोडवेज के ऐसे ड्राइवरों की सूची उनकी नियुक्ति की तिथि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जो कि १९५७ से पहले नियुक्त किये गये थे और जिन्हें १९५७ से अब तक एक भी वेतन-वृद्धि नहीं मिली है ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८८ पर)

*६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त सूची में गिनाये गये ड्राइवरों की नियुक्ति की तिथि से बाद की तिथि में नियुक्त किये गये ड्राइवरों में से Clear Vacancy में नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां । इसका कारण यह है कि परिगणित जाति वालों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी गयी तथा कुछ सीनियर कर्मचारियों का काम असंतोषजनक होने की वजह से उनको क्लीयर वेकेन्सी नहीं दी गयी थी ।

*७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रोजवेज रीजन में कर्मचारियों की नौकरी के शर्तनामे के मसले पर हाल में जो गाड़ियां चलना बन्द हुई थी उससे कुल कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—तख्मीनन ३३,०४७ रुपये का नुकसान हुआ ।

श्री देवनारायण भारतीय—प्रश्न संख्या ५ में प्रश्नकर्त्ता ने राज्य भर की रोडवेज के ऐसे ड्राइवरों की सूची चाही है जो कि सन् १९५७ से पहले नियुक्त किये गये थे और जिन्हें सन् १९५७ से अब तक एक भी वेतन-वृद्धि नहीं मिली है। इसके उत्तर में जो सूची दी गयी है उसमें केवल ५ नाम हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि शाहजहांपुर में रोडवेज के एक ड्राइवर ऐसे हैं जो सन् १९४९ से भरती किये गये थे लेकिन अब तक उनको परमानेन्ट नहीं किया गया है और न कोई वेतन-वृद्धि ही दी गयी है और उनका नाम भी इस सूची में नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—माननीय सदस्य अगर मुझे लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि सीनियर कर्मचारियों का काम असन्तोषजनक होने के कारण उनको क्लियर वेकेन्सी नहीं दी गयी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन ड्राइवरों का काम असंतोषजनक पाया गया क्या उनके कैरेक्टर रोल में इस बात को एन्ट्री की गयी कि उनका काम खराब है या वैसे ही काल्पनिक मानकर दूसरों को पदोन्नति दे दी गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं समझता हूं कि जरूर एंट्री होगी उनकी किताब में ।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, जो उत्तर मिला वह 'होगी' की शक्ल म मिला ।

श्री अध्यक्ष—और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि इस वक्त तो उनके पास कैरेक्टर रोल है नहीं, वह डेफिनिटली कैसे बता सकते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—प्रश्न ७ का उत्तर मंत्री जी ने दिया है कि बसों के बन्द रहने से ३३,०४७ रुपये की हानि हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये बसें क्यों बन्द रहीं और ड्राइवरों को अपना काम बन्द कर देना पड़ा जिससे सरकार को इतनी ज्यादा हानि उठानी पड़ी ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह नयी सर्विस कंडीशन्स के सिलसिले में हुआ था ।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ५ आदमी बताये गये उनकी वेतन-वृद्धि न होने का क्या कारण है और दूसरे इस बात को सूचना मानते हुए कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी वेतन-वृद्धि नहीं हुई, वे पुनः जांच करायेंगे जिससे सही लिस्ट का पता मंत्री जी को लग सके ?

श्री मुजफ्फर हसन---मेरे सामने तो जो फेहरिस्त है वह मैंने रख दी। अगर कोई नाम मुझे बताया जायगा तो जरूर उसकी इन्क्वायरी होगी।

कर्नल ईश्वरसिंह इण्टर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग में प्रबन्ध कमेटी की आवश्यकता

*८---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या यह सही है कि जिला जालौन में कर्नल ईश्वर सिंह इंटर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग में कोई प्रबन्धक कमेटी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी कि कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती तथा भविष्य में कब तक कमेटी बना दी जायेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रबन्धक समिति नहीं है परन्तु एक एडहाक कमेटी है जिसके अध्यक्ष स्वयं जिलाधीश हैं और इसी एडहाक कमेटी की देखरेख में संस्था का संचालन हो रहा है। इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधान के अनुसार संस्था की प्रशासन योजना स्वीकृत की जा चुकी है और आशा की जाती है कि योजना के अनुसार शीघ्र ही समिति नियुक्त हो जायेगी।

*९---राजा वीरेन्द्रशाह---क्या यह सही है कि मुख्य दानदाता संरक्षक श्री ठकुरान साहब ने जिलाधीश जालौन को प्रार्थना-पत्र दिया है कि कमेटी शीघ्र बना दी जावे?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एडहाक कमेटी कब बनाई गई और इसके सदस्यों के क्या नाम हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मुझे खेद है कि जिला अधिकारियों ने केवल प्रबन्धकों की रिपोर्ट को फारवर्ड कर दिया इसलिये पूरी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, यह सवाल पहले भी स्थगित किया जा चुका है और अब भी सूचना नहीं आई है इसलिये इस पर आपकी कोई रूलिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने खेद प्रकट किया है।

श्री प्रतापसिंह---पहले भी एक बार खेद प्रकट कर चुके हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, उनके खेद प्रकट करने के बाद, कि क्या वह सूचना मंगा कर सदन के सामने रखेंगे या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव---मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूचना रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष---रूल्स में तो यह नहीं आता, लेकिन आप सूचना भेज देंगे तो मेज पर रख दी जायगी।

[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर तथा हेडक्लर्क, वाराणसी को एक ही स्थान पर रखने पर आपत्ति

*१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री परिवहन को ज्ञात है कि वाराणसी के वर्तमान सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर (ए० आर० टी० ओ०) और उनके हेडक्लर्क बनारस आने के पूर्व एक ही साथ देहरादून में भी नियुक्त थे?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां ।

*२--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो उपर्युक्त दोनों कर्मचारी कितने समय तक देहरादून में एक साथ रहे और क्या यह सत्य है कि देहरादून में किसी शिकायती प्रार्थना-पत्र पर इन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन--उक्त दोनों कर्मचारी १-१२-५६ से १२-८-५८ तक देहरादून में एक साथ तैनात रहे । यह सत्य है कि इनके विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच की गई थी परन्तु शिकायत निराधार पाई गई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच समाप्त होने के कितने दिनों बाद उक्त दोनों कर्मचारियों का तबादला वाराणसी को कर दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दोनों कर्मचारी देहरादून में एक साथ रहे, शिकायत भी रही और परम्परा के अनुसार शिकायत निराधार साबित हुई फिर एक साथ रखने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--दिक्कत यह है कि इस प्रदेश में दो ही ऐसे स्टेशन्स हैं जिसमें सीनियर आदमी को भेजने की इस वजह से जरूरत पड़ती है कि वहां इंडिपेन्डेन्ट चार्ज होता है और ये दो ही ऐसे हेडक्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट हैं । बहरहाल यह दिक्कत महसूस की जा रही है और कोई हल निकालने पर विचार हो रहा है।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में क्लर्कों की भर्ती के लिए परीक्षा

*३--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में जी० ओ० नं० ४४००-टी, दिनांक ८ मार्च, १९५७ के अनुसार जो सीधी नियुक्ति के बारे में है, कुछ जनरल क्लर्कों का रिवर्जन किया गया है ? यदि हां, तो जूनियर क्लर्कों की पदोन्नति का कोटा पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां । पदोन्नति का कोटा पूरा हो चुका है ।

*४--**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० में जनरल क्लर्कों के पद के लिये गोरखपुर में कोई परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो परीक्षा में पास हुए परीक्षार्थी कब-कब नियुक्त किये गये और परीक्षाफल कब घोषित किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां । वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*५--**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९-६० में ए० टी० आई० के पदों के लिये परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उस परीक्षा में कितने उम्मीदवार शामिल थे और कितने चुने गये और किस आधार पर चुने गये तथा किन-किन जिलों के कितने लोग चुने गये ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३-५ श्री रामस्वरूप वर्मा ने पूछे ।

*६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[वापस ले लिया गया।]

*७-९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जेल में चार्ज-शीट के बिना हवालाती

*१०—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, बाराबंकी में कुल कितने ऐसे हवालाती हैं जो ३, ६, ९ व १२ मास से अधिक समय से जेल में बन्द हैं और उनके मामलों की चार्ज-शीट न्यायालयों में नहीं पहुंची है ?

डाक्टर सीताराम—जिला जेल, बाराबंकी में केवल ६ ऐसे हवालाती हैं जो ३ मास से अधिक समय से जेल में बन्द हैं और उनके मामलों की चार्ज-शीट न्यायालयों में नहीं पहुंची। ६, ९ व १२ मास से अधिक समय के कोई हवालाती नहीं हैं जिनकी चार्ज-शीट न पहुंची हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ३ मास से अधिक जो ६ कैदी ऐसे हैं जिनकी चार्ज-शीट अभी तक नहीं पहुंची है तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—जेल डिपार्टमेन्ट तो कस्टोडियन डिपार्टमेन्ट है और महीने-महीने की रिपोर्ट जिलाधीश को देता है कैदियों के बारे में और जिनकी चार्ज-शीट नहीं पहुंची है उनके बारे में उन्होंने जिलाधीश को सूचना दी है और मुझे आशा है कि चार्ज-शीट फौरन पहुंचेगी।

बुलन्दशहर जिले में हायर सेकेंडरी स्कूलों को जमींदारी उन्मूलन ग्रांट

*११—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले के किस-किस हायर सेकेन्डरी स्कूल को जमींदारी उन्मूलन ग्रांट वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में मिलती थी और उनमें से अब किस-किस स्कूल की यह ग्रांट बन्द कर दी गई है और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूची संलग्न है। केवल स्वतंत्र भारत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कलोड़ा को अनुदान नहीं दिया गया।

कारण यह था कि यह संस्था प्रारम्भिक अनुदान की सूची पर ले ली गई थी तथा जमीन्दारी उन्मूलन से होने वाली आय की हानि की पुष्टि (verification) नहीं हो पाई थी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९० पर)

रोडवेज बस सर्विस के बिना जिले

*१२—श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने जिले रह गये हैं जहां अभी तक सरकारी बसें नहीं चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—हरदोई, झांसी, टेहरी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में रोडवेज बसें अभी नहीं चल रही हैं।

श्री चन्द्रहास मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई और झांसी जिलों में अभी तक रोडवेज की बसें क्यों नहीं चलाई हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न १० श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा।

श्री मुजफ्फर हसन--हरदोई जिले में गुजिश्ता साल कई रास्ते नोटीफाई किये गये हैं, उस पर कानूनी कार्यवाही हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास ये सुझाव भी आये हैं कि उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्ट्रेजिक एरिया होने के नाते वहां रोडवेज बसें चलाई जावें ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--उत्तराखण्ड में सड़कें बन रही हैं, उनके बनने पर विचार होगा।

श्री गज्जूराम--झांसी जिले में बसें न चलाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन--आहिस्ता-आहिस्ता हम फैला रहे हैं, झांसी तक जल्दी पहुंचेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि झांसी में बसें चलाने के लिये मैंने पिछले साल लिखा था कालपी-झांसी रोड और दूसरी सड़कों पर चलाने के लिये, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--मुझे पिछले साल का इल्म नहीं है। लेकिन झांसी में नयी सड़कें लेने पर विचार हो रहा है ।

रोडवेज विभाग के मैनुअल की तैयारी

*१३--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य के रोडवेज विभाग का अबतक कोई मैनुअल तैयार किया गया है?

श्री मुजफ्फर हसन--मैनुअल बनाया जा रहा है ।

*१४--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

नगरपालिकाओं को अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने की आज्ञा न होना

*१५--**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)--दिनांक २४-३-६१ के तारांकित प्रश्न ५३ के उत्तर के संदर्भ में, क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा डी० आई० १/१६२/१५--८००-८५-६०, दिनांक ३ मार्च, १९६० को नगरपालिकाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों पर न लागू करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--"म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट" की धारा ७३ (२) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार नगरपालिकाओं को अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः इस प्रकार की राजाज्ञा नगरपालिकाओं पर लागू करना संभव नहीं ।

श्री रामकुमार वैद्य--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के नियम न होते हुए भी बहुत-सी नगरपालिकाओं ने अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं और कई वर्ष इन लोगों को बीत गये हैं और शिक्षा सत्र समाप्त होने पर नोटिस दे दिया जाता है, फिर नियुक्त किया जाता है, इस तरह से बहुत से अध्यापकों का कार्यकाल ५ वर्ष हो गया है और आयु भी ३५ वर्ष से अधिक हो गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि उन अध्यापकों का और सहारा नहीं है, इन शिक्षा नियमों में परिवर्तन करेगी जो नगरपालिकाओं में प्रचलित हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--नियम परिवर्तित करने का विचार नहीं है ।

अमरोहा राजकीय इण्टर कालेज के छात्रावास में बिजली लगाने का आश्वासन

*१६—श्री रामकुमार वैद्य—क्या शिक्षा मंत्री को विदित है कि अमरोहा जिला मुरादाबाद के राजकीय इंटर कालेज के छात्रावास में बिजली न होने से वहां के विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने-लिखने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां शीघ्र बिजली लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

श्री रामकुमार वैद्य—क्या माननीय शिक्षा मंत्री अमरोहा के छात्रावास की स्थिति को देखते हुए जिससे वहां के विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा रहती है ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जुलाई में अगला सत्र प्रारम्भ होने से पहले वहां बिजली की व्यवस्था हो जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह कहना तो सम्भव नहीं है कि जुलाई तक व्यवस्था हो जायगी लेकिन सहायक अभियन्ता से एस्टीमेट मांगा गया है। जो सज्जन बिजली के लिये रुपया देना चाहते हैं अगर वह दे देंगे तो लगवा देंगे, वरना सरकार विचार करेगी ।

राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेन्दुवाई के अध्यापकों का पत्र

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री २४-३-६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती-पत्र शिक्षा निदेशक के यहां प्राप्त होने या न होने की जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह अब पता लग गया है कि शिकायती-पत्र दिनांक १० सितम्बर, १९६० को शिक्षा निदेशक के कार्यालय में यथासमय प्राप्त हुआ था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रार्थना-पत्र पर अभी तक शिक्षा संचालक के कार्यालय की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—डिप्टी डाइरेक्टर ने प्रबन्ध समिति से, उनके मैनेजर से, इस बारे में आख्या मांगी है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुमोदन उनकी सेवा समाप्त करने का नहीं किया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जब सेवा समाप्ति के लिये अनुमोदन नहीं किया था तो फिर उनको निकालने का कारण क्या है और क्या जिला निरीक्षक द्वारा प्रबन्ध समिति को यह आदेश दिलावेंगे कि उन्हें नियुक्त कर लिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—अगर उन्होंने नियम के विरुद्ध कार्य किया है तो उनसे आख्या मंगा कर क्षेत्रीय डिप्टी डाइरेक्टर निर्णय दे सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—कब तक उनकी आख्या प्राप्त होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक आख्या प्राप्त होगी ।

*१८—श्री रामकुमार वैद्य—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१९—२०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—२२—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

रोडवेज क्षेत्र, मेरठ में वर्कशाप, गाड़ियां तथा कर्मचारी

*२३---श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ कमिश्नरी रोडवेज में कितने वर्कशाप फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत हैं और उनमें से कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन---६। इनमें से केवल दो का रजिस्ट्रेशन हुआ है ।

*२४---श्रीमती शकुन्तलादेवी---क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर जिले के अन्तर्गत रोडवेज के वर्कशापों में कितनी-कितनी गाड़ियां हैं और उनकी देख-रेख के लिये कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---८४ गाड़ियां और १३० कर्मचारी।

श्रीमती शकुन्तलादेवी---मंत्री जी यह बतावेंगे कि इन ४ का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये कागजात गये हुए हैं, मंजूरी आने पर हो जायगा।

श्रीमती शकुन्तलादेवी---यह कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जब वहां आ जाय और मंजूरी तो हो जाय।

लखनऊ-कानपुर सड़क पर बस दुर्घटना

*२५---श्री होरीलाल यादव (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १७ मार्च, १९६१ को लखनऊ-कानपुर जाने वाली सड़क पर कोई बस दुर्घटना हुई है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण था, उसमें सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी तथा कितने यात्री घायल हुए अथवा मरे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। मैजिस्ट्रेट की जांच हो जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना का क्या कारण है। १७ व्यक्ति घायल हुए, मरा कोई नहीं। अंदाजन ५,००० रु० का सरकार को नुकसान हुआ।

श्री शिवप्रसाद नागर---मंत्री जी ने यह उत्तर दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जांच के बाद यह कहा जा सकता है, तो यह सारा जवाब उनका अन्दाज से है या कोई डेफिनिट रिप्लाई है ?

श्री अध्यक्ष---डेफिनिट तो है ही, यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जवाब यह आना चाहिये था कि जिलाधीश की यह रिपोर्ट है लेकिन माननीय मंत्री ने बतलाया कि "कहा जा सकता है" तो डेफिनिट रिप्लाई माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री प्रतापसिंह---यह दुर्घटना कैसे हुई इसके सम्बन्ध में जिलाधीश की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी और आने के बाद क्या माननीय मंत्री सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह तो मैं नहीं कह सकता कब आयेगी। अगर उसका नोटिस दिया जायगा तो जरूर हाउस में आ जायगी।

नोट :---तारांकित प्रश्न २५ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---विभागीय रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन---विभागीय रिपोर्ट तो यह है कि ड्राइवर की आंख झपक गयी और बस आगे एक पेड़ से जा कर वह टकरा गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इस आंख झपकने वाली बात के साथ क्या यह बात भी ठीक है कि ड्राइवर शराब पिये हुए था ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी कोई सूचना है नहीं।

श्री मदन पांडेय---विभागीय रिपोर्ट जो आई है उससे क्या यह भी ज्ञात होता है कि उस बस के किसी मुसाफिर से भी कोई बयान लिया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, विभागीय रिपोर्ट कोई बयानात ले कर तो तैयार नहीं हुई।

*२६--२७---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में लड़कियों का नार्मल स्कूल खोलने पर विचार

*२८---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २६ नये नार्मल स्कूल वित्तीय वर्ष १९६१--६२ में राज्य में खोले जायेंगे, क्या उनमें से कोई नार्मल स्कूल बस्ती जिले में खोला जायेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---वित्तीय वर्ष १९६१--६२ में केवल ५ नये नार्मल स्कूल खोले जायेंगे। स्थानों का नर्णय अभी नहीं हुआ है।

*२९---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह बस्ती जिले में कन्या (बालिका) नार्मल स्कूल तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही खोलने का विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजाराम शर्मा--- पांच जगहों का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---जिस समय खोलना आवश्यक होगा, तब निर्णय होगा।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी २७ लाख वाले बड़े जिले को ध्यान में रखते हुए एक कन्या नार्मल स्कूल बस्ती में भी खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९६१--६२ में ५ नार्मल स्कूल खोलने हैं, ३ बालकों के और २ बालिकाओं के।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी उस सिद्धांत को स्पष्ट करेंगे जिसके आधार पर स्थानों का चयन होगा कि ये ५ स्कूल कहां खोले जावें ?

श्री रामस्वरूप यादव---सिद्धांतों का अभी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन आमतौर से यही होता है कि जहां कम ट्रेन्ड अध्यापक होते हैं, जहां सुविधायें उपलब्ध हो जावें और इमारत बनाने के लिये भूमि हो सके तो बिना कीमत मिल जावे।

*३०--३१---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[२८ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

हरदोई से सीतापुर व उन्नाव तक बस सर्विस पर विचार

*३२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने १९६० में हरदोई-सीतापुर तथा हरदोई-उन्नाव सड़कों पर सरकारी बसें चलाने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर सरकारी बसें कब तक चलाई जायेंगी?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह कानूनी कार्यवाही किसी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहां चल रही है और इसके कब तक समाप्त हो जाने की आशा है?

श्री मुजफ्फर हसन—नोटिफिकेशन के बाद उसके जो मालिक हैं वे जे० एल० आर० के यहां दरख्वास्त दे देते हैं और वह जेरे गौर हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—कानूनी कार्यवाही किस अदालत में चल रही है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतलाया जे० एल० आर० के यहां।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय रोडवेज़ में पूंजी

१—श्री विश्रामराय—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि इस समय इस प्रदेश के राजकीय परिवहन में कितनी पूंजी सरकार की लगी है और कितनी शेयर पूंजी जनता की लगी है?

श्री मुजफ्फर हसन—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक की पूंजी लेखा अभी तैयार नहीं है, मार्च, ३१,१९६० तक उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में कुल ९,५३,४५,११० रु० की पूंजी सरकार की लगी थी, इसमें जनता की शेयर पूंजी कुछ भी नहीं है।

कानपुर की जाजमऊ स्थित टैनरियों में मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के लिये श्री मदन पांडेय ने जो विषय उपस्थित किया उसको मैंने स्वीकार किया है जो इस प्रकार है—

> "कानपुर की जाजमऊ स्थित १० टैनरियों में कुछ मांगों को लेकर होने वाली हड़ताल, जिसके कारण लगभग ३,००० मजदूरों के बेकार होने से कानपुर की मजदूर जमात में घोर आतंक तथा क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा निरन्तर सरकार की कानपुर मजदूर समस्या के प्रति उपेक्षा नीति के कारण विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है।"

इसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस विषय में माननीय श्रम मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे?

श्रम उपमंत्री (श्री बसी नकवी)—मंगल को कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(जिला कानपुर)—श्रीमन् जे० के० रेयन फैक्ट्री के बारे म मेरा नियम ५२ के अन्तर्गत एक था।

नोटः—तारांकित प्रश्न ३२ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछा।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो खाली यही लिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—वह तो बहुत जरूरी था, एक महीने से हड़ताल हो रही है।

श्री अध्यक्ष—यह तो तत्कालिक मामला है।

श्री वसी नकवी—अभी जो माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट करने वाला प्रस्ताव दिया है उसमें दो प्रश्न मालूम होते हैं। एक तो यह कि तीन हजार मजदूरों के बेकार होने से कानपुर की मजदूर जमात में घोर आतंक तथा क्षोभ व्याप्त हो गया है तथा कानपुर मजदूर समस्या के प्रति सरकार की निरन्तर उपेक्षा नीति के कारण....

श्री अध्यक्ष—यह तो राय का सवाल है, इसके ऊपर आपको वक्तव्य नहीं देना है। आपको तो इंकार करना है या हां करना है। आप तो फैक्ट्स के ऊपर वक्तव्य देंगे।

जिला नैनीताल के बनवसा कस्बे के जलने तथा सरकारी सहायता न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—जिला नैनीताल के बनवसा कस्बे में आग लगने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रताप सिंह द्वारा दिनांक १८ अप्रैल, १९६१ को दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय न्याय मंत्री वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, जो इत्तला आई है उसके आधार पर हालत यह है कि १४ अप्रैल, १९६१ को ढाई बजे दिन में आग लगी जिसमें ५ मकानात जले। उसमें दो गोशालायें शामिल हैं। नुक्सान का तखमीना ९०,००० रुपये का है और २१ परिवार मुत्तस्सिर हुए हैं, जानवर या मनुष्य के जीवन को हानि नहीं पहुंची है और वहां के लोगों ने फ्री सप्लाई आफ टिम्बर की मांग की है जिसके लिये जिलाधीश ने डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर पीलीभीत को आर्डर दे दिया है और दो आदमी जो डिजविंग थे उनको २५-२५ रुपये की सहायता दी गई है और ६ आदमियों को फ्री राशन बांटा जा रहा है। एस० डी० ओ० ठहरे हुए हैं और कलेक्टर जितना धन सरकार से मांगेंगे वह दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि बनवसा कस्बा नैपाल और भारत के बार्डर पर है और २९ से ज्यादा मकान जले हैं और वहां सब गरीब लोग रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड में रुपया बहुत कम रहता है, इसलिये स्पेशल ग्रांट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां ज्यादातर बिजनेसमैन रहते हैं और उन्होंने ग्रेचुटस रिलीफ लेने से इंकार कर दिया है, उन्होंने फ्री सप्लाई आफ टिम्बर की मांग की है जिसके लिये इंतजाम किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी को इत्तिला है कि १६ तारीख को अधिकारियों के साथ वहां के एम० एल० एज० भी गये थे ? यदि हां, तो क्या उनको यह भी सूचना है कि जो नुकसान के सम्बन्ध में उनको आंकड़े प्राप्त हुए हैं वह सही नहीं हैं और ४० से अधिक मकान जले हैं तथा कुछ झोंपड़ों में भी आग लगी है वह शायद इसमें शामिल नहीं हैं और अनुमानतः डेढ़ पौने दो लाख का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो वही ९०,००० रुपये के नुकसान की सूचना है और किसी बात के जानने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास कुछ ऐसे पत्र आये हैं जिनमें लिखा है कि वह सहायता लेना नहीं चाहते हैं और वहां जो लोग रहते हैं वह बिजनेसमैन नहीं हैं और लोग मजदूरी करते हैं और मकान तथा झोंपड़े बनाकर वहां रहते हैं? यदि हां, तो इसको देखते हुए वह स्पेशल फंड देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं तो कलेक्टर की रिपोर्ट के आधारपर बयान देता हूं। मेरे पास कोई खत नहीं आया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी विधान सभा के सदस्यों की रिपोर्ट को सही मानकर उचित कार्यवाही करेंगे और पुनः जांच के आदेश देंगे तथा रूरल हाउसिंग स्कीम के अनुसार ग्रामीणों को कुछ सहायता देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कलेक्टर को आदेश दे दिये गये हैं कि जितनी लकड़ी की जरूरत हो वह इकट्ठी करके दी जाय और जितने रुपये की जरूरत हो वह लिखें, सरकार उसको मंजूर करेगी।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या १४—आयुक्त और जिला प्रशासन (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—कल अनुदानों के ऊपर श्री बंशीधर शुक्ल भाषण दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष जी, कल जो सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव रखा गया था मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर रहा था जो अधूरे रह गये थे, उनको आज कहना चाहता हूं। आज सरकार को यह सुझाई नहीं दे रहा है कि हमारे प्रदेश का शासन किस प्रकार से चले। यह तो स्पष्ट है कि उसमें शासन की योग्यता न तब थी, न अब है और न आगे हो सकती है। यह जिस पार्टी की सरकार है आज उसकी परिस्थिति ले चलो, ले चलो वाली पार्टी से कम नहीं है, यह नौकरशाही की पूंछ पकड़कर चल रही है, वही करती है जो इसके नौकर कह देते हैं। इस प्रकार आप हुकूमत नहीं चला सकते। आप सीधे सीधे इस्तीफा दे कर घर में बैठिए और योग्य आदमियों को मैदान में आने दीजिये। हमारे विरोधी लोग जो कुछ कहते हैं उसका आप उल्टा करते हैं। अगर हम कोई सुझाव रखें कि किसान की गर्दन इस प्रकार नहीं इस प्रकार काटिये तो आप कभी भी नहीं मानेंगे। हमने बहुत दिन पहले कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि पंचायत राज ही चले तो तीन नम्बरी गांवों को एक पंचायत रखिये और उसमें जो ६ आदमी रखते हैं—ग्राम सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, पटवारी, कामदार, पतरौल, कुर्क अमीन—इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनको हटा कर केवल एक को रखिये और उस की अच्छी तनख्वाह रखिये। उसके हाथ में ग्राम का कार्य रखिये। पटवारी के पास क्या कागज होते हैं? वही खसरा और खतौनी। खसरा की अब कोई जरूरत नहीं है। खसरा एक झगड़े की जड़ है। इस तरह से उसके पास खतौनी केवल रह जाती है।

ग्राम सेक्रेटरी के पास फैमिली रजिस्टर रहता है। और क्या रहता है? जन्म और मरण का रजिस्टर। कामदार के पास कोई रजिस्टर है ही नहीं। वह गन्ने की पैदावार की रिपोर्ट लिखता है और सप्लाई लिखता है। यह उसके पास कागज रहते हैं। ये कागज एक आदमी चला सकता है। पतरौल के पास केवल सिंचाई के कागज रहते हैं। ग्राम सेवक

†२० अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

के पास कोई कागज नहीं रहता। कुर्क अमीन के पास लगान का रजिस्टर रहता है, इस प्रकार व्यर्थ का पैसा दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि गिरदावर की पोस्ट को भी खत्म कीजिये, केवल तहसीलदार रखिये।

ज्यादा समय नहीं है इसलिये ज्यादा बातें नहीं कह सकता। अब अपने जिले के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। हमारे जिले में अंग्रेजी जमाने से तीन तहसीलें चली आ रही हैं, एक तहसील ११४ मील लम्बी, ३० मील चौड़ी, दूसरी तहसील ९० मील लम्बी ४० मील चौड़ी और तीसरी तहसील ६० मील लम्बी, ६० मील चौड़ी है। अगर कोई काश्तकार तहसील में नम्बर लेने जाता है या पटवारी से मुलाकात करने जाता है तो उसके तीन दिन खराब हो जाते हैं, हम सरकार से कहते-कहते थक गये कि श्रीमती सरकार आलिया हमारे जिले में तहसीलें बढ़ाइये, आपके पास अंधाधुंध नायब तहसीलदार हैं इनको तहसीलों में नियुक्त कर दीजिये। हाकिम परगना प्रत्येक तहसील में रखा जाय, कोई जरूरत नहीं है कि शहर में बैठ कर इंसाफ करे। इंसाफ करने की उनमें योग्यता ही नहीं, उनके लिये मुंसिफ रखिये। वह पेशकार से पूछते हैं कि हम दस्तखत कहां करें। इस प्रकार, की ले चलो, ले चलो वालों की हुकूमत चल रही है। यह चल नहीं पायेगी। अगर आप चलाना चाहते हैं तो गिरदावर को खत्म कीजिये। डी० सी० का पद खत्म कीजिये। अन्तरिम जिला परिषद् का प्रेसीडेंट डी० सी० का काम कर सकता है।

लखीमपुर खीरी जिले में एक तहसील पलिया में होने से २४ मील पश्चिम के और २२ मील पूर्व के आदमी वहां आयेंगे। धौरहरा में एक तहसील करनी चाहिये। इस तरह से ६० मील की तहसील रहती है। ११० मील की तहसील में तीन तहसीलें कर दें तो कुछ सुविधा हो जायगी। मैलानी में एक तहसील कर दें तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वह अच्छी तरह से संगठित हो जाय। गोला में एक तहसील कर दीजिये, वहां पर भी एक तहसील की जरूरत है, मोहम्मदी तहसील में औरंगाबाद में एक तहसील होनी चाहिये। एक कस्ता में तहसील होनी चाहिए। लखीमपुर जिले में इस प्रकार ९ तहसीलें और गोला मुहम्मदी पलिया में मुंसिफी कर दी जायं तब तो कुछ सहूलियत हो सकती है। यद्यपि आपके द्वारा कोई कल्याण नहीं होगा लेकिन कुछ काम इस प्रकार चल सकता है। आज अगर कोई काश्तकार तहसीलदार के पास जाता है तो तीन चार दिन खराब हो जाते हैं कि आज के युग में दो मिनट का समय बड़ा कीमती है। मैं श्रीमती सरकार आलिया से कहूंगा कि व्यर्थ के मुकद्दमे खत्म कीजिये। प्रान्तीय रक्षक दल, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, टिड्डी मारन, मक्खी पालन आदि आदि। क्या कहें समय ही नहीं जो पूरी अपनी बात कह सकें। और मार्केटिंग के इंसपेक्टर हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट है और कितने ही इस प्रकार के जनख डिपार्टमेन्ट्स हैं। मैं श्रीमती सरकार आलिया से कहूंगा कि इनसे काम नहीं चलेगा। नौकरों को बढ़ाकर आप हुकूमत नहीं चला सकते। जितना ही इनको आप कम कर देंगे उतना ही बोझा आपका उतरेगा और उतना ही आपको आराम मिलेगा। यह सब मुफ्तखोर हैं, इनको बढ़ाइये नहीं, अक्सर यहां यह भी सवाल उठ जाता है कि फलां नौकर को मुस्तकिल कर दिया जाय, उसकी नौकरी बढ़ा दी जाय। क्या जरूरत है....

श्री अध्यक्ष----अब आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री दीनदयालु शर्मा** (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन पर आज दूसरा दिन इस हाउस में विचार करते हो रहा है। मेरा मत यह है कि इस हाउस में सामान्य प्रशासन जैसे सबजेक्ट के ऊपर आप दो दिन नहीं पूरे दो साल भी बहस के लिये लगा दें तो भी कोई उसकी समस्या हल नहीं होने वाली है, जब कि आप मूल रूप से उसे नहीं देखेंगे और जब तक आप प्रशासन के तौर तरीकों को इस तरह नहीं देखेंगे कि जिस जनता पर आप राज्य करते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया उस जनता का कोई ताल्लुक समझ अथवा समझदारी है या नहीं। दूसरे माने में यह मैं आपसे निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय कि सामान्य प्रशासन सरकार का वह दर्पण है, सरकार का वह शीशा है जिसको देखकर जनता अपनी हमदर्दी, अपना मत, अपनी श्रद्धा या अपना कदम आगे के लिए सोचती है। और जब हम यह सोचते हैं कि पब्लिक ने इस प्रशासन के शीशे को देखकर अपना क्या कदम उठाया है तो अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी के साथ हमको इस बात पर आना पड़ेगा कि जनता इस जनतंत्र के जमाने में—जबकि हमको १२ साल हो गए और हमको यह कहने का फख्र हासिल है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमसे दूर हटी है। जब जनता हमसे दूर हटी है एक तरीके से तो यह खराबी कहां पर है, यह हमको खोजना पड़ेगा। चाहे बहस इस हाउस में कितने ही दिन किये जाइये वह खोज जब तक नहीं की जायगी और जो उसके तौर तरीके हैं वह जब तक नहीं बदले जायेंगे उस वक्त तक सामान्य प्रशासन नाम से एक पंक्ति बिठाकर और उसके ऊपर बहस और दलील देकर अगर हम यह चाहें कि पब्लिक को संतुष्ट कर दें तो यह कदापि नहीं हो सकता। मेरा मत यह है कि इन्सान की जिन्दगी में सबसे जरूरत की चीज है खाना, गिजा, अगर किसी आदमी को पेट भर खाना मिल जाय तो उसको कुछ न कुछ और बात सोचने के लिये मिलती हैं। लेकिन अगर वह खाने के लिये ही मोहताज हो जाय तो उसकी तो आह निकलती है और गालियां निकलती है भूखे के मुंह से। और कोई बात वह नहीं सोच सकता।

हम यह देखते हैं कि प्लानिंग के तरीके से पहली और तीसरी योजनाओं में कृषि को प्रथम स्थान दिया गया लेकिन हमारे सूबे के आंकड़े यह बताते हैं कि हमारी कृषि बराबर हर साल घटती हुई चली जा रही है। एक तरफ तो करोड़ों रुपया हम कृषि के ऊपर बहा रहे हैं और हमारा कृषि प्रधान यह प्रदेश है जिसमें ८० प्रतिशत किसान बसते हैं गांवों के अन्दर लेकिन इन ८० प्रतिशत किसानों के आंकड़े जब हम देखते हैं तो साल ब साल की लिस्ट सरकार की लीजिए, किसी दूसरे की नहीं हमारी खेती के आंकड़े बराबर घटते जा रहे हैं, खेती की पैदावार घटती जा रही है। यह चाहे चौधरी चरण सिंह जी अपनी योग्यता के अनुसार उसमें दलील कुछ दे दें, मगर आप लिस्ट मंगाकर देख लीजिये, डाइरेक्टोरेट के आंकड़े ले लीजिये, खेती की पैदावार हर साल घटी है। तो आखिर जनता कैसे हमारी कामयाबी को देखेगी? कैसे वह हमको आंकेगी, ८० प्रतिशत किसानों की पैदावार जब घटती हुई नजर आयेगी तो इस प्रशासन के दर्पण को देखकर हमारे रूप को अच्छी तरह देखकर हममें क्या कभी श्रद्धा वह लायेगी? नामुमकिन बात है कत्तई तरीके से।

अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। श्रीमन्, माफ कीजिएगा, अदब के साथ कहना चाहता हूं, एक दफा गान्धी जी दिल्ली की कुटिया में बैठे हुए थे। मेरा जिला नजदीक होने के नाते मैं भी वहां हरिजन बस्ती में उनकी कुटिया में पहुंच गया। यह वाकया है कि जवाहरलाल जी और पटेल साहब भी बैठे हुये थे, उनसे बातें कर रहे थे। जब उनकी बातें खत्म हुईं तब मैं भी वहां चटाई पर बैठ गया। मेरे मन में यह भाव आया कि गांधी जी जिस कुटिया में रहते हैं वैसा तो घर मेरा भी है बल्कि इससे कुछ अच्छी ही कुटिया मेरी भी है और मेरा ही हौसला हो सकता है कि मैं गांधी जी को अपने घर पर ले जाऊं। लेकिन जब मैं अपने मिनिस्टरों की कोठियों और बंगलों को देखता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है कि कैसे उन्हें अपने घर ले जाऊं। गांधी जी को तो मैं ले जा सकता था, उनका भक्त हो सकता था, लेकिन उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले आदमियों को अपने घर चलने के लिये कह भी नहीं सकता और न उनसे अपनी बात ही हो सकती। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम जनता के प्रतिनिधि कैसे बन सकते हैं।

हमारा क्या तरीका है? मैं, श्रीमन्, एक बात प्रशासन के सम्बन्ध में कह रहा हूं। जिस प्रशासन को हम चला रहे हैं वह अंग्रेजी की देन है। अंग्रेज हमारे ऊपर राज्य करता था। अंग्रेजों ने इस प्रशासन के तरीके को निकाला और आई० सी० एस० के दर्जे का आदमी यहां अपना

[श्री दीनदयालु शर्मा]

विश्वासपात्र हर जगह पर छोड़ दिया। अंग्रेजों के मुश्तपनाह यहां पर बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े ताल्लुकदार थे, बहुत बड़े बड़े रईस थे, कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे, कहां कहां तो इन्हीं लोगों के लड़के पढ़े लिखे होते थे तो उनको भर्ती कर लेते थे आई० सी० एस० वगैरह में भर्ती कर लिया, लेकिन वह उनको किसी जिम्मेदारी की पोस्ट नहीं देता था और जब दस बीस वर्ष उनसे चापलूसी करवा लेता था और उनको मालूम पड़ जाता था कि ये हमारे पूरे गुलाम हो गये तब उनको कोई जिम्मेदारी की पोस्ट दी जाती थी। जितनी जिम्मेदारी की पोस्ट्स होती थीं उन पर अपने विश्वासपात्र अंग्रेजों को ही रखा जाता था। अब आई० सी० एस० के ही दर्जे पर आई० ए० एस० का दर्जा चलाया गया लेकिन क्या वह आपके आई० ए० एस० आपके विश्वासपात्र हैं? जरा बता तो दीजिये कि कितने आदमी उनमें फिरकापरस्त हैं, उसके अन्दर कितने कम्यूनिस्ट और कितने जनसंघी हैं और कितने उनमें हिन्दू महासभाई हैं? दो दो तीन-तीन साल के आदमी हैं उनको जिले का पूरा चार्ज दे रखा है।

जरा मेहरबानी करके बता दीजिये कि आप उनसे कैसे विश्वास करते हैं कि वह आपके विश्वासपात्र हैं। हुकूमत उनके हाथ में देदी गयी है, तीन तीन और दो दो वर्ष के आदमियों को ऐसी पोस्ट्स दे दी गई हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि कितने अख्तियार उनको हैं। अगर आप उनसे पूछ लें कि कितने अधिकार और किस किस्म के अधिकार आपके पास हैं इतने अधिकार आजकल कलेक्टरों को प्राप्त हैं लेकिन उनको यह भी पता नहीं है कि किसी कलेक्टर के पास कितने अधिकार हैं। इतने अधिकारों की भरमार है कि उनको पता तक नहीं है कितने को कितने अधिकार हैं। तीन चार साल के तजुर्बेकार लड़के रख दिये गये हैं। योजना बनी मगर यन्त्र का निर्माण उसको चलाने के लिये आपने नहीं किया और जब तक आपके विश्वास-पात्र व्यक्ति न हों तो फिर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि प्रशासन आपका चलेगा? किस चीज पर प्रशासन चलायेंगे? अंग्रेजों का एक तरीका था। जिम्मेदार जो आदमी उसकी पुश्तपनाह थे उनकी बात पर विश्वास करता था। इसी तरीके हम आपके पुश्तपनाह पर हैं लेकिन हमारे ऊपर जूते लगते हैं। इधर अपने आई० ए० एस० आफिसरों पर विश्वास करते हैं जो अभी तजुर्बेकार नहीं हैं और उधर हमारे ऊपर जूते लगते हैं। इधर आपको वह बहकाते हैं। आपके पास हिम्मत नहीं कि आप किसी आदमी की फाइल पर उसके खिलाफ नोट तक लिख दें।

मैं कहता हूं पहले से ज्यादा रेडटेपिज्म आज है। मैं यह चाहता हूं कि आप देखिये कि सेक्रेटेरियट में आज एक आदमी इरीगेशन में है तो वह उसका एक्सपर्ट है। दूसरे दिन वह पहुंच गया ऐग्रीकल्चर में तो अब वह उसका भी एक्सपर्ट है। उसको हटाकर भेज दिया जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में, तब वहां उसका भी एक्सपर्ट है, उससे हटाकर मेडिकल में भेजा तो उसका भी वह एक्सपर्ट हो गया, हस्बेंडरी में भेज दिया तो वहां भी एक्सपर्ट हो गया। वह इतना हर चीज का एक्सपर्ट है कि खीर में डाल दो तो शक्कर का और दाल में डाल दो तो नमक का, हर जगह पर खप गया और हर जगह का एक्सपर्ट। पता नहीं चलता कि क्या तमाशा है। भगवन्, इस तरह से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाय। कोई न कोई मंत्र अगर मंत्री में है तो कोई न कोई ऐसा मंत्र उनको देना पड़ेगा और अगर नहीं मालूम है तो आपस में सलाह करो, इस बात को सोचो और तय करो और ५४ साथी विश्वासपात्र जो हों उनको ५४ जिलों में बैठा दीजिये और ये आपके कलेक्टर्स उन आदमियों की सलाह मानकर काम करें, आपके विश्वासपात्र के जरिये से वे काम करें और आप उसके कहने पर अमल करें, अगर इस पर आप नहीं आ सकते तो इस प्रशासन से आप जनता पर थोड़े दिन और शासन कर सकते हैं, १४ वर्ष हो गये हैं, १४, १५ साल और चल जायगा, हम लोग मर जायंगे लेकिन जनता आप के पास से हटती चली जायगी और उसकी आत्मा आपको संतोष देने के लिये तैयार न होगी। इसलिये यह मुख्य

महकमा है और इस के द्वारा आप जनता में विश्वास पैदा करने की कृपा कीजिये, यही मेरा निवेदन है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन, और कुछ कहने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य प्रशासन को अगर बड़े बाबू की सरकार कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। क्योंकि नीचे से ऊपर तक यह देखा जाय श्रीमन्, कि कोई काम नहीं करता है। न कलेक्टर साहब काम करते हैं, न सेक्रेटरी साहब काम करते हैं, न मंत्री जी काम करते हैं, काम करता है बड़ा बाबू। बड़ा बाबू जो भी लिख कर भेज देता है उस पर सब डिटो कर देते हैं, सब के सब ।

इसके लिये मैं आप से क्या निवेदन करूं। एक जिले में एक कलेक्टर साहब जब पहुंचे तो उन्होंने बड़े बाबू पर बड़ा रंग बांधा। सोचा कि मैं उनको दबा कर छोड़ूंगा, और उन बड़े बाबू ने चार छः महीने में उन कलेक्टर साहब को काम से इतना लाद दिया कि वह हैरान हो गये और एक दिन कागजों के बीच रखे हुये उन्होंने खुद अपने इस्तीफे पर दस्तखत कर दिया। बड़े बाबू ने उन्हीं से उनके इस्तीफे पर दस्तखत करा लिया और उसको ही भेज दिया।

मैं अपना तजुर्बा बतला सकता हूं । सेक्रेटेरियट में मैं एक सेक्रेटरी साहब के पास गया एक विशेष कार्य से। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन काम बतलाने पर सेक्रेटरी साहब ने अपने बड़े बाबू को टेलीफोन किया और उन से पूछा कि क्या मैं यह काम कर सकता हूं ? सेक्रेटरी साहब को यह नहीं मालूम था कि उनका अपना कार्यक्षेत्र क्या है, हम कितने दायरे में काम कर सकते हैं, इसके लिये उन्होंने अपने बड़े बाबू से राय ली। जब उन्होंने कहा कि हां हां, आप यह कर सकते हैं तो सेक्रेटरी साहब ने उस काम को किया।

श्रीमन्, अब इस के अलावा जो सब से बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर हमारे मुख्य मंत्री जी हैं उनकी भी एक बात मैं निवेदन करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा कि किस का काम था ।

श्री अध्यक्ष—आपने नाम तो ले दिया।

कुंवर श्रीपालसिंह—मुख्य मंत्री जी के यहां किस का काम था उसका नाम नहीं लूंगा, एक आदमी का काम था। मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया कि तुम्हारा काम सही है, इसलिये जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन चूंकि सेक्रेटरी साहब उस के खिलाफ थे और वह नहीं चाहते थे कि उस ढंग से वह काम हो,लिहाजा सेक्रेटरी साहब ने जो नोट लिख कर भेजा वह उस के खिलाफ भेजा और वह फाइल माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उस वक्त पेश की गयी जिस वक्त मुख्य मंत्री जी अपनी मेज पर से उठ रहे थे और आपने उस पर एग्रीड लिख कर दस्तखत कर दिया। जब दस्तखत कर दिया और जो कुछ बात आपने उस से कही थी उसके खिलाफ पड़ गयी तो वह आदमी फिर आया मुख्य मंत्री जी के पास और आकर उसने कहा कि हमारा काम तो नहीं हुआ। मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने तो कर दिया। उसने बतलाया कि आपने काम तो उल्टा कर दिया है, फिर फाइल तलब की गयी और देखा गया कि एग्रीड उसके खिलाफ लिखा गया है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर इस विभाग को बड़े बाबू की सरकार कहा जाय तो कोई गलती नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारा का सारा काम बड़ा बाबू ही करता है और उसी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं।

श्रीमन्, यह सरकार एक जंजीर के तरीके से है और इसकी कड़ियां हैं । कड़ियां इसमें श्रीमन, इस प्रकार की हैं। मैं नीचे की कड़ी से शुरू करता हूं। सब से पहली कड़ी है लेखपाल, दूसरी है कानूनगो, तीसरी है नायब तहसीलदार, चौथी है तहसीलदार, पांचवीं कड़ी है डिप्टी कलेक्टर, छठी कलेक्टर ,सातवीं कमिश्नर और उस के बाद सेक्रेटरी,फिर मंत्री और उस के बाद

[कुंवर श्रीपालसिंह]

गवर्नर यानी राज्यपाल। यह सरकार की पूरी जंजीर हो गयी। इसमें कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो बिलकुल बेकार हैं मेरी राय में। उनका कोई काम नहीं है। वह यूं ही दो कड़ियों के बीच में जोड़ दी गयी हैं, उनका उपयोग क्या है शायद वही जानते हों जिन्होंने इस जंजीर को बनाया था।

श्रीमन्, लेखपाल और नायब तहसीलदार के बीच में जो कानूनगो की पोस्ट है, मैं नहीं समझता कि उसकी क्या जरूरत है और वह क्यों है। वह मेरी समझ से इसलिये है कि आजकल भ्रष्टाचार के सोपान में एक सोपान यह भी जोड़ दिया गया है। इसी तरह तहसीलदार और कलेक्टर के बीच में डिप्टी कलेक्टर वाली पोस्ट है। जब तहसीलदार एक तहसील का जिम्मेदार व्यक्ति होता है और वही पूरा काम करता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि डिप्टी कलेक्टरों की पोस्ट्स का क्या महत्व है। फिर कलेक्टर और सेक्रेटरी के बीच में कमिश्नर रखे गये हैं। इन सब पोस्टों को अगर लेटर बक्स कहा जाय तो ठीक ही होगा, इन पर लाखों रुपया खर्च होता है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में केवल ७२० कानूनगो हैं और उनको १४५ रुपये माहवार वेतन मिलता है। इस तरह से सालाना खर्चा करीब १२,५२,८०० रुपये आता है। डिप्टी कलेक्टर ३३५ हैं और उनका वेतन ८५० रुपये है। इनका सालाना खर्चा करीब ३३,९६,६०० रु० आता है। कमिश्नर २० हैं जिसमें १० फुलफ्लैज्ड हैं और १० एडीशनल कमिश्नर हैं जो फुलफ्लैज्ड हैं, उनमें से कुछ आई० सी० एस० हैं। उनको ३,००० रु० वेतन मिलता है वे लोग तो पुरानी सरकार के बनाये हुये हैं उन्हें तो यह छू नहीं सकते। जो दूसरे हैं वे आई०ए० एस० हैं और उन्हें २,२०० रुपये मिलते हैं। इनकी तनख्वाह करीब ४,३८,००० रु०आती है। तो अगर इन सभी पोस्टों को खत्म कर दिया जाय तो एक करोड़ रुपये की तो यहीं बचत हो जायगी। इसके अलावा इनके साथ जो और पैराफर्नीलिया लगा रहता है, तमाम भत्ते आदि का खर्च रहता है और भी तमाम चीजों पर खर्च होता है उन सब खर्चों को जोड़ा जाय तो न मालूम कितने रुपये बचाये जा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो अनावश्यक रूप से खर्चा हो रहा है इसको कम किया जाय और इनके हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार करे।

श्रीमन्, इनके न हटाने के पक्ष में एक ही बात कही जाती है और वह यह कि यह लोग मुकदमे बहुत जल्दी फैसल करते हैं, अगर मुन्सिफ, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट या जज एक दिन में १ मुकदमा करता है तो यह ५ मुकदमें फैसला कर सकते हैं, यह दलील दी जाती है। मान्यवर, यह बात सही है कि यह लोग डिप्टी कलेक्टर और एडीशनल कमिश्नर वगैरह मुकदमे जल्दी फैसला करते हैं मगर उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा वही होता है जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि जनता का आज विश्वास हटता जा रहा है। कमिश्नर साहब तो जल्दी-जल्दी में जो नीचे से बड़ा बाबू लिख कर भेज देता है उसी पर आर्डर कर देते हैं। चकबन्दी के मामलों में आमतौर पर सूबे भर में मैंने देखा है कि एक-एक दिन में २००, २५० लोगों के एतराज खारिज कर दिये जाते हैं। जब कोई कुछ कहता है तो वे जवाब देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, अपील करो, हमने तो खारिज कर दिया है। यह जल्दबाजी का नतीजा होता है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जो लोग पहले कलेक्टर थे अब व जिलाधीश हो गये हैं यानी पूरे जिले के मालिक हो गये हैं, उस जिले के ईश्वर बना दिये गये हैं, यहां पर तो हिन्दी के लिये बड़ा जोर दिया जाता है, मंत्री जी भी कहते हैं हमने आदेश दे दिये हैं, हिन्दी राष्ट्रभाषा है, यह सब बातें कही जाती हैं मगर मेरे पास कलेक्टर के यहां से एक भी चिट्ठी हिन्दी में नहीं आती, सभी अंग्रेजी में आती हैं। मेरा खयाल है माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी जिलों से जो चिट्ठियां आती होंगी वे अंग्रेजी में ही आती होंगी, हिन्दी में एक भी नहीं आती होगी। यहां से जो चिट्ठियां मेरे पास आती हैं वे जरूर हिन्दी में आती हैं।

(लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, ५ मिनट और दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष––आपको मैं समय और देता हूं, बाद को सभी को १० मिनट दूंगा, इससे ज्यादा नहीं।

कुंवर श्रीपालसिंह––कलेक्टर के पास काम अधिक है मैं इसको मानता हूं। उनके जिम्मे इन्होंने बहुत सारे काम लाद दिये हैं। मैं जानता हूं मगर उनको ये कम कर सकते हैं। उन्हीं को इन्होंने हर बात के लिये जिम्मेदार बना दिया है इसलिये उनके पास काम अधिक हो गया है।

श्रीमन्, इसी प्रकार ट्रांस्फर्स में होता है कि उनमें पक्षपात किया जाता है। यह पहले देखा जाता है कि यह किसी ऊंचे दर्जे का संबंधी तो नहीं है, या ऊंचे दर्जे की सिफारिश तो नहीं आ जायगी। एक मर्तबा मैंने सेक्रेटेरियट के एक सेक्रेटरी की मेज पर निगाह दौड़ाई तो एक फाइल पड़ी थी जिस पर गर्द पड़ी थी और "इम्मिडिएट" का लेबिल भी लगा हुआ था। मैंने कहा कि यह तो बहुत दिनों से पड़ी हुई मालूम होती है। उन्होंने कहा कि ६ महीने इन्तजार करेगी। मैंने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हुक्म हमारे लिये जो होता है वह टेलीफोन पर दूसरा, जबानी दूसरा होगा, लिखकर दूसरा होगा, मंत्री जी के ३–४ हुक्म चलते हैं। अगर उसके पहले रवाना कर दूं तो अपनी गर्दन नपवाऊं।

५५ साल की उम्र रिटायरमेंट की पहले ५८ साल हुई। अब हो गयी ६१ साल। अभी अभी एक पुस्तिका बांटी है एक साहब ने। मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार की पुस्तक बांटने वालों के ऊपर मुकदमा चलाना चाहिये, और सरकार नहीं चलाती है तो इसके मानी यह हैं कि इस किस्म की गलत चीजों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उन्होंने लिखा है कि सिंचाई विभाग में ३ चीफ इंजीनियर थे, अब चौथा और जोड़ दिया गया। उनका नाम रखा गया है "इंजीनियर इन चीफ"। वह इंजीनियर इन चीफ साहब ६१ साल के हैं। वह क्यों रखे गये, उसके जो कारण बताये हैं उनको मैं कहना उचित नहीं समझता हूं।

एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि "रवीन्द्र रंगशाला" कर के एक आडिटोरियम बनने वाला था। उसके लिये बनारसी बाग में जगह ली गयी प्रदर्शनी भवन के पास। इसके लिये १२ लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने दिया हमारी सरकार को कि वह बनवाये और उससे सब नागरिक लाभ उठाते। जिस पार्टी को जरूरत होती वह किराया देकर ले सकती थी। उसका शिलान्यास भी हो चुका था, लेकिन अब न मालूम क्यों उसे मोती लाल नेहरू ट्रस्ट की चारबाग में जो जमीन है वहां बनवाया जायगा। मैं नहीं कह सकता हूं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। इतना जरूर कहूंगा कि १२ लाख रुपया पब्लिक मनी का था और उसे पब्लिक प्लेस की जमीन पर इस्तेमाल होना चाहिये था। बनारसी बाग की जमीन जनता की जमीन थी, जनता के रुपये से जनता की इमारत खड़ी होती और उसके इस्तेमाल में आती, लेकिन चूंकि प्राइवेट ट्रस्ट की भूमि पर बन रही है, इसलिये उनके हाथ में रहेगी और वही जिसको चाहें इस्तेमाल करने देंगे और जिसको चाहेंगे नहीं करने देंगे और जो किराये से रुपया आएगा वह भी उसी संस्था के पास जायगा, न कि सरकार के पास। वरना यह १२ लाख रुपया पब्लिक मनी का जो लग जाता तो उससे जो रिटर्न होता वह पब्लिक के रुपये में आकर जुड़ जाता।

श्रीमन्, एक चीज और निवेदन करूंगा। कल गोविन्द सहाय जी ने एक बात बड़ी पते की कही। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बतलाया कि यह घोड़ा है और इसके ऊपर एक चतुर सवार हो जो चढ़ कर लगाम को ठीक रखे ताकि घोड़ा भाग कर इधर उधर न जा सके। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वह एक दम विपरीत थी। वह कहते हैं कि बयूरोक्रैसी के दिमाग में भी एक पोलिटिकल विचारधारा होनी चाहिये, एक पार्टी की विचारधारा होनी चाहिये, यानी पार्टी की विचारधारा जब आ गयी नौकरशाही के अन्दर तो वह घोड़ा न रह कर सवार हो गया और घोड़ा सवार के ऊपर सवार हो गया, तो उस सवार के कचूमर निकलने में कितनी देर लगेगी, इसे गोविन्द सहाय जी समझ सकते हैं।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

एक ३५ साल पुरानी कविता इसी सदन में पढ़ी गयी थी मंत्रियों के बारे में। मैं उसे जरा सा, चन्द लाइनें, श्रीमन्, की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं और सोचता हूं कि श्रीमन् भी उसे पसन्द करेंगे। मंत्री बनने के लिये एक काबलियत की जरूरत थी। एक साहब कोई मंत्री बनना चाहते थे उस जमाने में।

श्री अध्यक्ष---बहुत लम्बी मालूम होती है।

कुंवर श्रीपालसिंह---मुश्किल से डेढ़ मिनट लगेगा। उन्होंने कहा था इसी सदन में, जब यहां कौंसिल थी, और उस वक्त वह जितनी फिट थी उतनी आज भी है। वह इस प्रकार से है:---

बुद्धू ने कहा बाप से एक रोज ये हंस कर,
तरकीब वो बता दो कि हो जाऊं मिनिस्टर।

जब बाप ने देखा कि ये लड़का है खिलाड़ी,
हर वक्त तुड़ाता है अगाड़ी व पछाड़ी।
हैं उसकी तमन्नाएं सभी वलवला अंगेज,
कब्जे में किया चाहता है चौड़ी सी एक मेज।

शौकत पे गवर्नमेन्ट की ये दिल से फिदा है,
और उसकी विजारत की भरी सर में हवा है।

हैं एक हजार उसकी जो नजरों में समाये,
तो सूझते कुछ भी नहीं हैं अपने पराये।

अल्लाह मुबारक करे है हौसला अच्छा,
हम जी से बहुत खुश हैं कि क्या खूब है लड़का।

अलकिस्सा यही सोच के तरकीब बताई,
दौलत की जरूरत हो तो सुन लो मेरे भाई।

हंस हंस के जो साकी हों उन्हें खूब रिझावो,
फिर तुमको बताता हूं नया रंग ये लावो।

सरकार के हो जावो मुखालिफ किसी सूरत,
हर बात में करते रहो तुम उनकी मजम्मत।

यह ढंग किये तुमने अगर अपने मुकर्रर,
हो जावोगे बे शुबह किसी रोज मिनिस्टर।

एक बात बताते हैं उसे गौर से सुन लो,
नालायकी जाहिर किसी सूरत से न कुछ हो।

कुर्सी पे जो बैठो तो एक अन्दाज से बैठो,
तकरीर करो कोई तो आंखें भी निकालो।

सेक्रेटरी करते रहेंगे पुश्तपनाही,
तुम क्या हो बहुत लोगों ने ऐसे ही निभाई।

जब तुमसे सवालात करें मेम्बरे महफिल,
हर तरह जवाबात में करदें तुम्हें कायल।

शरमाना नहीं जाने पिसर कहना समझ कर
वी हैव एवरी सम्पथी वी शैल कन्सिडर।

उस पर भी किये जायं जो मेम्बर वही घिस घिस,
कह देना अकड़ कर कि सर आइ वान्ट ए नोटिस ।

टल जाय जब इस तरह से बेटा ये मुसीबत,
और आ पड़े किस्मत से कोई दूसरी आफत ।

जो कुछ भी मुंह में आये बके जाना बस मुदाम,
इससे गरज नहीं कि कहो सुबह को तुम शाम ।

बेटा करो मिनिस्टरी इस तरह शान की,
पूछे जमीन की तो कहो आसमान की ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के ऊपर जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आस्टेरिटी का कैम्पेन शुरू किया है और अपने घर से ही शुरू किया है मिनिस्टरों की तनख्वाहें घटाकर, उसका भी मैं स्वागत करता हूं और मैं यह समझता हूं कि उन्होंने जो यह शुरुआत की है वह सिर्फ एक संकेत मात्र है, यह यहीं समाप्त नहीं हो जायगी बल्कि जहां-जहां जिन मुहकमों में और विभागों में फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोकने का पूरा प्रयत्न किया जायगा । वैसे तो पूज्य गांधी जी का नाम इधर वाले और उधर वाले, दोनों लिया करते हैं लेकिन लेते उसी जगह हैं जिस जगह उनको सूट करता है। मैं तो साफ-साफ कह दूं कि मिनिस्टरों की तनख्वाह घटाने का मैं पक्षपाती नहीं हूं । मिनिस्टरों की जो तनख्वाहें घटाई गई हैं, इससे मैं समझता हूं एफीशिएन्सी बढ़ने की नहीं है ।

पूज्य गांधी जी ने एक समय यह कहा था कि मिनिस्टरों की तनख्वाह ५०० रुपया होनी चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय पूज्य गांधी जी ने ५०० रुपये की बात कही थी उस समय बाजार में चीजों का क्या भाव था ? उस समय के भावों के हिसाब से तो आज मिनिस्टरों की तनख्वाह कम से कम दो हजार होनी चाहिये । तनख्वाह घटाने से एफीशिएन्सी बढ़ जायगी, मैं इसका कायल नहीं हूं । मैं तो इस बात का कायल हूंकि मिनिस्टरों की संख्या न बढ़ाई जाय, उनकी तनख्वाह जरूर बढ़नी चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में इस सूबे का शासन चार एडवाइजर्स के जरिये से चलता था तो फिर आज क्या जरूरत है कि २७–२८ मिनिस्टर्स मुकर्रर किये जायं । यह जरूर है कि जो मिनिस्टर मुकर्रर किये जायं वह योग्य होने चाहिये और उनकी तनख्वाह भी पर्याप्त मिलनी चाहिये । चार टट्टुओं को मिला कर एक घोड़ा नहीं बन सकता, घोड़ा वही होगा जो घोड़ा है । इसलिये मिनिस्टरों की तनख्वाहों में जो कमी की गई है मैं उसका हामी नहीं हूं ।

जहां तक फिजूलखर्ची की बात है, वह जरूर बन्द होनी चाहिये । आज जिलों में हम देखते हैं कि जगह-जगह इन्सपेक्टर ही इन्सपेक्टर दिखाई पड़ते हैं। कहीं आपको मछलियों का इन्सपेक्टर मिलेगा, उसके आगे मुर्गियों का इन्सपेक्टर मिलेगा और आगे पंचायतराज का इंसपेक्टर मिलेगा । इंस्पेक्टरों की कमी नहीं है। जिन कामों को पहले एक तहसीलदार किया करता था उसके लिये आज २० इन्सपेक्टर हैं । जनता जान नहीं पाती कि उनका कौन सा काम कौन इंसपेक्टर करेगा । यह जो डुप्लीकेशन हो रहा है इसको रोकना चाहिये । जरूरत इस बात की है कि मंत्रिगण पालिसी मुकर्रर करें और उसको कैरी आउट करने का काम अधिकारियों पर हो । आज हमारी पालिसीज को कार्य रूप में परिणत करने के लिये हमें जो अधिकारी मिले हैं वे उस हुकुमत के हैं, उस जमाने के हैं जब कि विदेशी हुकुमत थी । उसका रवैया यह था कि किसी तरह से इस मुल्क में विदेशी शासन को मजबूत किया जाय, पर अब उनको यह नजरिया बदलना चाहिये । जनतंत्र में जनता के अधिकार बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से जनता के अधिकार बढ़ते हैं उसी अनुपात में नौकरशाही के अधिकार कम होते हैं । आज जनता

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

और नौकरशाही में होड़ लगी हुई है। जब जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है, जो अधिकार कि उसको संविधान ने दिये हैं, वह अदालत में जाती है और जब अदालतों से एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म कैंसिल होते हैं तो उसे बुरा मालूम पड़ता है।

आजकल जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव की होड़ लगी हुई है। जुडीशियरी पब्लिक के अधिकारों की रक्षा करती है लेकिन नौकरशाही चाहती है कि वे अधिकार उसी के पास रहें, लिहाजा सन् ४७ के बाद जो कानून बनाये गये हैं उनका ट्रेन्ड बदल गया है। उनमें जुडीशियरी के अधिकारों को कम करने की कोशिश की गयी है। लेकिन डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने के लिये अच्छी जुडीशियरी की बहुत आवश्यकता है। जुडीशियरी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है और उसके साथ-साथ एक अच्छा बार भी होना चाहिये।

मुल्क में अच्छी बार हो इसके लिये आवश्यक है कि लीगल एजूकेशन अच्छी हो। आजकल जो लीगल एजूकेशन दी जाती है वह बहुत अच्छी नहीं है। इस बार ने हमारे देश को बहुत से नेता दिये हैं। जैसे मोती लाल नेहरू, सी० आर० दास, बल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, गोविन्द बल्लभ पंत, स्पीकर साहब और वर्तमान मुख्य मंत्री जी भी उनमें से ही आते हैं। इस क्लास ने देश को बड़े-बड़े लीडर्स दिये हैं। आज इस क्लास का ह्रास हो रहा है। अगर ऐसा जारी रहा तो एक वैकुअम क्रिएट हो जायगा। नौकरशाही चाहती है कि स्ट्रांग बार न हो और वह इसी कोशिश में है मसलन यह कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और पंचायतों के मुकदमों में वकील पैरवी न कर सकें। इसका नतीजा क्या होता है?

मिसाल के तौर पर मैं पंचायत राज के एक फैसले को लेना चाहता हूं। एक फैसला न्यायालय के सामने आया। न्यायालय ने पंचायत को वह वापिस किया और कहा कि सरपंच का संबंध उस पार्टी से था जिसने दावा किया था। लेकिन दूसरी बार सरपंच ने जो पंचायत बनायी उसमें भी अपने को रख लिया और जजमेंन्ट दिया कि यह मुद्दायलह बहुत परेशान करता है, गैर हाजिर होता है, इसलिये मुद्दई का क्लेम सच्चा है और उसको डिग्री कर दिया। इसलिये मेरा कहना यह कि डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिये वकीलों की बहुत आवश्यकता है लेकिन आज जो टेंडेंसी चल रही है उसमें वकीलों को समाप्त किया जा रहा है। यह डेमोक्रेसी को खत्म करने की तरकीब है और नौकरशाही की ताकत बढ़ाने की तरकीब है।

श्री मन्, इसका भी जिक्र आया कि सरकारी नौकरों की रिटायरमेन्ट एज ५८ से फिर ५५ कर दी जाय। यह सही है कि हिन्दुस्तान में सब जगह रिटायरमेन्ट एज ५५ ही है, लेकिन इस प्रदेश में ५८ कर दी गयी थी। जिस समय ५५ से ५८ में तब्दीली की गयी थी उस समय मैं भी इसी मत का था कि यह तब्दीली नहीं होनी चाहिये। लेकिन इन चार सालों में हमने बहुत परीक्षण किया है, हमने यह भी देखा है कि हमको इससे कुछ लाभ हुआ है या नहीं। अभी लखनऊ में जुडीशियल आफीसर्स की कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि ५५ से ५८ साल की उम्र करने से एफीशियेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उधर डाक्टरों की भी राय है कि एवरेज एज अब २१ साल से ३७ साल हो गयी है इसलिये मेडिकल, इंजीनियरी और जुडीशियल लाइन में ५८ साल की उम्र की गयी है, वह उचित है। लेकिन बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको फिजीकल स्ट्रेन्थ की आवश्यकता होती है। जैसे पुलिस आदि की सर्विसेज हैं उनमें ५८ से ५५ कर दिया जाना ही उचित है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर होल सोल फैसला नहीं करना चाहिये। परन्तु हर एक सर्विस को उसके काम के हिसाब से जज करना चाहिये और जिनमें कमी होनी चाहिये उनमें ही कमी कि जानी चाहिये।

श्रीमन्, दो मिनट और चाहूंगा मैं। श्रीमन्, यहां बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट ये दो उच्च न्यायालय हैं। माल के मुकदमें बोर्ड आफ रेवेन्यू को जाते हैं और दीवानी-फौजदारी के

हाई कोर्ट को जाते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट की राय में फर्क भी होता है और यह भी देखा गया कि कभी-कभी रिट भी हुई हैं और बोर्ड के जजमेन्ट को सेट एसाइड किया गया है। इस डुप्लीकेशन को मिटाने के लिये यह जरुरी है कि हमारी जुडीशियरी का एकीकरण हो और सारे मुकदमें हाई कोर्ट को जायं, बोर्ड आफ रेवेन्यू की कोई जरुरत नहीं है।

इसी तरह से कमिश्नर्स की कोई जरुरत नहीं है। जिले के स्तर पर कलेक्टर जिम्मेदार हों। आज शासन के आदेश के अनुसार सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस क्वार्टरली मीटिंग किया करता है जिसमें क्षेत्र के एम० एल० एज० और एम० पीज० को बुलाकर सलाह मशविरा होता है। उससे फायदा भी हुआ है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर को भी इस तरह के आदेश होने चाहिये कि जिले के विधायकों की एक मीटिंग हुआ करे, जिससे, मैं समझता हूं, बहुत सी बातें जिनके लिये अभी मिनिस्टर के पास दौड़ना पड़ता है, हल हो जाएंगी।

आज सत्ता का विकेन्द्रीकरण हमें करना है। इसलिये यह सत्ता बजाय कलेक्टर के चुनी हुई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में होनी चाहिए और जिला मैजिस्ट्रेट को सिर्फ यह अधिकार होना चाहिये कि वह देखे कि कानून की मंशा पूरी होती है या नहीं और सरकारी पालिसी के खिलाफ तो कोई चीज नहीं होती है।

एक सवाल यह होगा कि जब बोर्ड आफ रेवेन्यू को एबालिश कर देंगे तो हाई कोर्ट में काम बढ़ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे की पाप्युलेशन को देखते हुए और केस वर्क को देखते हुए अगर हाई कोर्ट के जजों की संख्या ५५ हो तो भी कम है। इस स्ट्रेन्थ पर तो केवल एरियर्स पांच वर्ष तक नहीं साफ कर सकते हैं। जब यह हालत है तो सेन्टर से कहना चाहिये कि जजों की तादाद को बढ़ाया जाय।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)––मान्यवर, आज इस प्रदेश में जो हुकूमत चल रही है, मुझे कहने में शंका नहीं है कि दो प्रकार के नोटों की चल रही है। एक तो वह नोट जो करेंसी में चलते हैं और दूसरे वह जो फाइलों पर चलते हैं। दो ही प्रकार के नोट हैं जिनके बीच में यह सरकार अपना काम किसी प्रकार चला रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी आज यहां के गरीब किसान को अगर वह कचहरी में जाय तो लेखपाल से अपना इंतखाब उतरवाने के लिये, यह जानने के लिये कि उसके लैंड रेकार्डस में क्या हुआ है, रिश्वत देनी पड़ती है। आज अगर वह पंचायत में जाय अपने मुर्दे के लिये लकड़ी मांगने तो वहां भी रिश्वत देनी पड़ती है। यह सीधे संबंध रखता है इस प्रशासन से और इसकी जिम्मेदारी सीधे संबंध रखती है इस सरकार से।

गोविन्द सहाय जी ने इस बात का बड़े जोर से जिक्र किया कि सरकार ने सरकारी अफसरों के ग्लेमर को तोड़ दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौन सा ग्लेमर है जो था और अब टूट गया। मेरे खयाल से आज के जो कांग्रेसी सरकार के मंत्री महोदय हैं वह उस ग्लेमर को अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि सेल्यूट से ही उनका मान बढ़ जाता है और मैंने यह देखा है कि आज भी उसी प्रकार से सब काम इस सरकार का चल रहा है जैसे कि पहले चलता था।

अभी कल एक प्रश्न हुआ। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि १० वर्ष तक इस प्रदेश में उद्योग के लिये कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि कृषकों के लिये कु नहीं हुआ काश्तकारों के लिये कुछ भी नहीं हुआ यह बात सच है, सिवाय इसके,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उस रोज अपने कृषि सम्बन्धी भाषण में कहा था कि हम मजबूर हैं कि हम सब टैक्सों का भार उसके ऊपर डाल दें और उसका रक्त निकाल लें। प्रशासन से उसको कोई सहायता नहीं मिलती, यहां तक कि जो तमाम ग्रान्ट्स हैं उनसे भी उसको कोई सहायता नहीं मिलती और उस पर केवल टैक्सों का भार पड़ता है, चाहे सिंचाई के रुप में हो, या लगान के प में हो। आज की सरकार कहती है हम तो जनता के सेवक हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का सामान्य शिष्टाचार यह है कि गरीब कृषक अगर किसी कर्मचारी के पास आता है तो उससे कोई बात नहीं करता सीधे मुंह। यह आज प्रशासन की सबसे बड़ी शिकायत है। ग्लेमर टूटे या बना रहे उससे सामान्य जनता का बहुत कम मतलब है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का पुराना भाषण आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता है। उस समय वह प्लानिंग के मंत्री थे। जैसा अभी वंशीधर शुक्ल जी न कहा कि सरकार के ४ दृष्टिकोण हैं पूंजीपतियों की तरक्की, कुनबा परस्ती, चंदा मांगना और पार्टी परस्ती। यही बातें उनके भाषण से झलकती हैं। यह १ मार्च १९५६ की कार्यवाही है, पृष्ठ २०८, वह कहते हैं जब जब चुनाव आते रहते हैं पार्टी वाले मुझको याद करते रहे हैं और किस लिये याद करते रहे हैं यह भी उन्होंने विधान सभा की कार्यवाही में घोषित किया है। उन्होंने कहा "मैं सन् १९५१-५२ को भूला नहीं हूं और इस सदन के सदस्य भी अभी उस जमाने को भूले नहीं हैं। वही दोनों कुर्सी थीं जहां पर विरोधी दल के नेता और उपनेता बैठते थे और ज्यों-ज्यों चुनाव का जमाना नजदीक आता गया त्यों-त्यों मेरे प्रति याददाश्त उनकी बढ़ती गयी। इसके आगे पृष्ठ २१४ पर वह कहते हैं मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। एक आध साहब ने दीक्षा दी कि पूंजीपतियों से चन्दा नहीं लेना चाहिये, मैं उन व्यक्तियों से नम्रता से कहना चाहता हूं कि "फिजीशियन हील दाईसेल्फ" ऐसे व्यक्ति जो मिथ्या बातों का प्रचार करके सलाह देना चाहते हैं, अगर मैं अपशब्द न कहूं तो वह "अपना उल्लू सीधा करने के लिये ऐसा करते हैं और उससे सदन प्रभावित होने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री आज के इस तरह से कहते हैं कि जिससे होगा चंदा लेंगे और अपनी पार्टी को जितायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मुक्तभोगी हूं और इसलिये मैं आज के दिन यह शंकाव्यक्त करता हूं इस सरकार के प्रति कि आगे आने वाले चुनाव में बुरा से बुरा हथकंडा उठाने से सरकार नहीं चूकेगी। मैं वार्न करता हूं कि दरअसल उनको डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को छूना नहीं चाहिये जो कि उन्होंने आज तक नहीं किया है। अगर वह निष्पक्ष रूप से चुनाव होने देंगे तो आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में जो ५७ में हुआ, उसी में सरकार लौट कर न आती, और १९६२ में तो लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं आपके सामने हाई कोर्ट का एक जजमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं कि किस प्रकार जिला प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, चुनाव के बाद भी इस प्रकार की कोशिश करता है कि विरोधी दल के लोगों को अधिक से अधिक तकलीफ दी जाय। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है :—

"This complaint also appears to have been surreptitiously put in the sealed envelope received from the presiding officer in the election office, Sitapur. It is surprising that all the three sealed envelopes which contained the complaints, exibits 39, 38 and 41 appeared to have been tampered within the election office and that the complaints do not bear the presiding officer's endorsements. This could not be a mere coincidence and we have not the slightest hesitation in saying that the sealed envelopes were tampered with in the election office and the forged complaints were put in them."

मैं आपके द्वारा इस जजमेंट को इसलिये रख रहा हूं, यही नहीं जितनी भी पेटीशन्स वहां पर चलीं उनमें से दो का मुझे स्वयं ज्ञान है जिनसे मेरा दल सम्बन्धित था। मेरा दुखद अनुभव इस सम्बन्ध

में है कि चुनाव में जो कुछ सरकारी कर्मचारियों ने किया वह तो अधिक किया, लेकिन विरोधी पक्ष के लोग जब यहां आ गये तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा ।

जब एक दूसरे स्थान पर पिटीशन हो रहा था तो वहां एक सर्टिफाइड कापी हमारे व्यक्ति ने मांगी । उसको सर्टिफाइड कापी मिली, लेकिन तत्काल ही दूसरी ओर से एक दूसरी सर्टिफाइड कापी फाइल हो गयी । जब ओरिजिनल से मिलाया गया तो जो मेरे दल वाले को पहले मिली थी उससे वह नहीं मिली और दूसरे वाले से मिल गयी । आज डेमोक्रेसी के युग में चुनाव के मामले में इतना भ्रष्ट शासन है, जिसका संकेत माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उस भाषण में स्वयं कर दिया था, उसे देखते हुए यह कैसे विश्वास दिलाया जाय सामान्य जनता में कि चुनाव निष्पक्ष होंगे ।

अभी जौनपुर के एक बी० डी० ओ० के पास किसी कांग्रेसी महोदय ने एक पत्र भेजा था, कार्यालय में वह रखा हुआ है, मैं उसे आपके पास भेज सकता हूं, उसमें लिखा था कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आये और आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइये । इस तरह की बात तो सामान्य कार्यकर्त्ता करते रहते हैं । मैं किसी जज की नीयत पर हमला नहीं करता, लेकिन एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूं जिससे साबित हो जायगा कि प्रशासन कितना भ्रष्ट है । मैं अपने वाद के सम्बन्ध में उपस्थित हुआ और ४ बज कर १० मिनट तक उपस्थित रहा, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय ने लिख दिया ३.५८ पर मैं चला गया और मुझे एबसेंट कर दिया । लिहाजा सरकार इन तथ्यों की ओर देखें । गोविन्द सहाय जी जब भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० आफिसर को जिस पद पर बैठाल दिया जाता है वह उसी से मतलब रखता है, लेकिन कांग्रेस के लोग हर जगह घुस कर जब एक जगह कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरी जगह करने की कोशिश करते हैं ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह जो महत्वपूर्ण अनुदान इस सदन में उपस्थित किया गया है उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । हमको हल्की बातें कह कर इस सदन की मर्यादा कम नहीं करनी चाहिये । हमें ऐसी कोई गप्प सड़ाका नहीं लगाना चाहिये जिससे हमारे पर्यवेक्षकों पर ऐसा असर पड़े कि वे अपने साथ एक दूषित संस्कार ले जायं । मैं इस सम्बन्ध में चर्चा ज्यादा न करते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री की सेवा में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे उन पर अवश्य विचार करेंगे ।

पहली बात यह है कि इस प्रदेश की जनता इस बात के लिये बहुत उत्सुक है कि अवकाश ग्रहण करने की आयु जो ५५ वर्ष से ५८ वर्ष कर दी गयी थी उसे अब पुनः ५५ वर्ष शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिये । दूसरी बात यह कहनी है कि उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि राज्य भाषा हिन्दी हो, इसकी घोषणा इसी प्रदेश ने सबसे पहले की थी । लेकिन इस प्रदेश में अब हिन्दी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों का प्रचलन बहुत ही अशोभनीय है । प्रदेश की जनता को इससे बहुत ही दुख हो रहा है । हमें मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना है कि उन्हें कोई ऐसा नियम निकालना चाहिये, जिससे हम इस पाप से मुक्त हो सकें । हिन्दी अंकों के स्थान पर अंग्रेजी अंकों का प्रचलन करने से किसी उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होती, न इस समय होती है और न भविष्य में हो सकती है, भले ही तुष्टि नीति के कारण ऐसा किया गया हो । लेकिन ऐसी बात यहां नहीं होनी चाहिये क्योंकि इसके पहले भी इसका विरोध हमारे आदरणीय टंडन जी ने किया था कांस्टीट्यूएंट असेम्बली के सामने । इसलिये मैंने यह उचित समझा कि इस बात को आज आदरणीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखूं । और मेरा यह विश्वास है कि यदि वह इस पर विचार करेंगे तो उनकी

[श्री रामलखन मिश्र]

आत्मा से कोई न कोई पथप्रदर्शन हमें मिलेगा और इस सम्बन्ध में हमें कोई सुझाव भी प्राप्त हो सकेगा ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस मितव्ययिता के आन्दोलन में चकबन्दी के कार्यक्रम में अमीनों को अधिक संख्या में निकाल देने से उसकी कार्य क्षमता में अभाव आ जायगा । मैं देखता हूं अपने जिले में कि अमीन निकाले जा रहे हैं । हमें यह देखने की आवश्यकता है कि कौन सी कड़ी को हम निकालें । एक इंस्पेक्टर को न निकाल कर ५०० चौकीदारों को अगर हम निकाल दें तो मितव्ययिता तो हो जायगी, लेकिन इस पर जरा सोच विचार करना होगा। चकबन्दी पर तात्कालिक प्रभाव पड़ने वाला है इसलिये इस विषय में थोड़ा और विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अमीन ही सारा काम करते हैं । अगर उनकी संख्या कम हुई तो इस सदन में चकबन्दी के सम्बन्ध में फिर रोना सुनायी पड़ेगा । मितव्ययिता के साथ-साथ यह भी देखने की आवश्यकता है कि एफिशिएन्सी पर प्रभाव न पड़े ।

इसके साथ-साथ एक और नम्र निवेदन यह करना है कि अंग्रेजों के कार्यकाल से चली आयी जो करप्शन की पद्धति है इसके प्रति हमारा यह कर्त्तव्य है कि जहां तक हम सफल हो सकें इसको हम थोड़ा सा निकालें । मैं पश्चिमी जिलों की बात तो नहीं जानता पर पूर्वी जिलों में हमारे कानूनगो लोगों ने एक ट्रेडीशन इस तरह का बांध रखा है कि लेखपालों से कहीं ४, कहीं ८ रुपये मासिक लेते हैं और सभी जानते हैं, जिलाधीश से लेकर नीचे के कर्मचारी तक । हमने कई बार इस बात को सरकार के ध्यान में लाने की कोशिश की कि कोई कानूनगो जब नायब तहसील-दार हो जाता है तब भी वह लेता रहता है । इसलिये सरकार को चाहिये कि थोड़ा जिलाधीशों को कसें या ऐसी एन्टी करप्शन कमेटीज, जिनकी कार्य क्षमता एक सीमा में आकर बन्द हो गयी है, उनको अधिकार देना चाहिये कि जिस जगह के ऊपर उनके सब सदस्य गण एक मत हों तो वे बिना किसी आरोप पत्र के आये हुये भी यदि सरकार की नोटिस में ले आयें, उसके ऊपर कार्यवाही होगी । वरना ऐंटी-करप्शन कमेटी के सदस्य जानते हैं कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसा कि इंडियन एविडेन्स ऐक्ट में है कि प्रत्यक्ष शहादत लायें, इस लिये वे कुछ नहीं कर पाते और वह कर्मचारी सीना फुला कर दुराचार के पथ पर बढ़ता हुआ नजर आता है । तो ऐंटी-करप्शन कमेटी के सदस्यों को भी कुछ अधिकार देना चाहिये जिससे कि प्रचलित करप्शन को दूर करने में कुछ सफलता प्राप्त हो सके । वरना डेमोक्रेसी में करप्शन एक ऐसा फैक्टर है जो जनता की रुचि में एक परिवर्तन लाता है, प्रजातंत्र से फिर वह घृणा सी करने लगता है । इसलिये इस दिशा में हमें विशेष विचार करना है ।

चौथा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि सरकार को बहुत शान्त रूप से प्रत्येक जिले को देखना चाहिये । मेरे अपने बस्ती जिले में ६ तहसीलें हैं, जिनमें से तीन तहसीलें उत्तरी नेपाल की सरहद से मिली हुई हैं । उनमें ऐसी नदियां हैं जिन पर कोई पुल नहीं है । बरसात के समय में हमारे बस्ती जिले से कोई उत्तरी सीमा पर प्रशासन की दृष्टि से जाना चाहे तो गोंडा या गोरखपुर होते हुये ही जा सकता है और उसका फल यह है कि बड़े-बड़े अपराधों के अन्तर्गत हम वह न्याय नहीं कर पाते हैं क्योंकि साक्ष्य खत्म हो जाता है और सरकार वहां जा नहीं पाती है । बार-बार कहने पर भी सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है । मेरा यह सुझाव है कि अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि-कोण से भी और विशुद्ध प्रशासन के दृष्टिकोण से भी बस्ती जिले में दो जिले कायम कर देने चाहिये । एक जिला तो डुमरियागंज, बांसी और नौगढ़ तहसीलों का स्थापित किया जाय । इससे एक तो नेपाली सरहद के आन्दोलन को सरकार थोड़ा सा देख सकेगी और दूसरे उन तहसीलों में वह न्याय भी कर सकेगी । क्योंकि सरकार की दृष्टि बड़ी ईमानदारी के साथ उधर नहीं जा पाती है और इधर यह होता है कि वहां की जनता जिले की प्रगति से ५० वर्ष पीछे पिछड़ गई है । नदियों पर पुल न होने से कार्यक्रम में इतनी बाधायें आ गई हैं कि हम आगे चल ही नहीं पाते हैं । इसलिये मेरी जोरदार मांग है कि बस्ती जिले में दो जिले होने चाहिये । एक जिला डुमरियागंज, बांसी और नौगढ़ तहसीलों को लेकर कायम कर दिया जाय तो यह एफीशियेंसी के दृष्टिकोण

से और प्रशासन के दृष्टिकोण से भी बहुत उद्देश्यपूरक सिद्ध होगा। अब मैं अपने भाषण को और विस्तृत न करके विश्राम लेता हूं।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सामान्य प्रशासन के अनुदान पर माननीय राजनारायण जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, गत चार वर्षों से प्रति वर्ष यह अनुदान इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत होता है और हम दोनों ओर से इसकी समालोचना सुनते हैं। पक्ष से भी और विपक्ष से भी इसकी समालोचना होती है कि हमारी शासन प्रणाली में कुछ न कुछ अवश्य दोष हैं, जिनकी वजह से न तो उतना प्रभाव ही पड़ता है और न प्रदेश की जनता को अच्छी व्यवस्था ही मिलती है और तरह-तरह की बुराइयां शासन में उत्पन्न होती चली जा रही हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस समालोचना का परिणाम केवल समालोचना ही है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यद्यपि नौकरशाही की शक्ति अंग्रेजी शासनकाल में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी जन प्रतिनिधि जो चुने जाते थे उनका बड़ा महत्व होता था। कल माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा था कि वर्तमान शासन ने नौकरशाही को महत्व को कम करने की चेष्टा की है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी स्थिति रखना चाहता हूं जिसको शायद आपने भी अनुभव किया होगा। आज जब हम लोग सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि एम०एल० एज० एम० एल० सीज० तथा अन्य जनसंस्थाओं के सदस्य जाते हैं और सब जन प्रतिनिधियों का एक ही स्थान होता है, चाहे वह ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे पार्लियामेंट का मेम्बर हो, तो हम देखते हैं कि कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर या अन्य सरकारी अधिकारी मिलने से इंकार करते हैं और उनके व्यवहार में कड़ापन होता है। वह उचित शिकायत सुनने के बाद भी उपेक्षा का भाव दिखाते हैं।

श्रीमन्, मेरे जिले में जब अंग्रेजी शासन था तो एक सज्जन कौंसिल की सीट के लिये खड़े हुये। उस समय जो वहां अंग्रेजी कलेक्टर था उसने उनका विरोध किया। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि यह अंग्रेजी जाति की निष्ठा डेमोक्रेसी के प्रति जो थी उसका एक अच्छा उदाहरण है। जब वह सज्जन कौंसिल की सीट के लिये चुन लिये गये तो तत्कालीन कलेक्टर ने उनके पास एक विशेष अधिकारी को भेजकर क्षमा याचना की और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा कर्त्तव्य मुझे प्रेरित कर रहा था। श्रीमन्, एक तो उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे और एक आज हमारे अधिकारी हैं।

अधिष्ठाता महोदय, इस अनुदान पर प्रति वर्ष समालोचना होती है, पक्ष विपक्ष से सुझाव भी आते हैं, लेकिन क्या होता है? उसका परिणाम कुछ नहीं होता। अभी हमारा जिला परिषद् विधेयक बना। सारा सदन इसके विरोध में था कि जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधीश हो, लेकिन सरकार ने उसको ठुकरा दिया। इसके बाद अब जिस रूप में वह आ रहा है उसमें भी मुख्य अधिकारी को जो अधिकार दिये गये हैं और जो बहुत सी शक्तियां उसको दी गई हैं, वह हमारे लिये लज्जास्पद हैं। फिर किस तरह से शासन में एफीशियेन्सी लायें, यह हम समझ नहीं पाते हैं।

श्रीमन्, मैं आशा करता था कि हमारे प्लानिंग विभाग से हमारे प्रदेश के शासन की कार्य क्षमता बढ़ेगी। लेकिन यह स्वयं भी एक विभाग बन कर रह गया है। बजाय इसके कि कोआर्डीनेशन होता, जितने विभागों के अध्यक्ष हैं और जो दैनिक कार्य हैं उनमें एक समानता आयेगी, एक रूपता आयेगी, इस तरह से कार्य बढ़ता जायगा, लेकिन हुआ क्या? विभागीय अध्यक्ष अलग-अलग, मंत्री अलग-अलग, अनुदान अलग-अलग नाम से प्रस्तुत होते हैं। सबके अन्दर एकरुपता के बजाय, एकात्मकता के बजाय, अलगाव का भाव है। यदि कृषि विभाग कहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकुमार वैद्य]

चाहता है कि यहां पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, तो सिंचाई विभाग उसमें बाधक होता है, यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग कहीं चाहता है कि यहां सड़क बननी चाहिए तो वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाधाएं डालता है। इस प्रकार हमारी नीतियों के कार्यान्वयन में कोई विशेष क्षमता नहीं है। इसके लिए कुछ माननीय मित्रों ने अच्छे सुझाव दिये। एक सुझाव यह दिया गया कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो कि बचपन से हमारे छोटे-छोटे बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाय, एक रेजिमेंटेशन आफ आयडियाज की बात कही गयी। मैं तो इसका साधारण सा उपाय यह समझता हूं कि जो जन प्रतिनिधि हैं, चाहे वे विधायक हों या मंत्री, उनको अपना व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए, उनमें कार्य और निर्माण के प्रति एक लगन हो। अगर हमारा व्यक्तित्व ऊंचा है, यदि वैयक्तिक दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों के सामने हम अपने को ऊंचा सिद्ध करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों पर उसका प्रभाव न पड़े।

भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने जो उपाय अपनाये हैं वे सर्वथा निष्फल सिद्ध हो चुके हैं। जिले में एंटी करप्शन कमेटी बनायी गयी है। मैं भी उसका एक पदेन सदस्य हूं। मुझे हंसी आती है। उसको चार, साढ़े चार सौ रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं, शायद स्टेशनरी खरीदने के लिए दिये जाते हैं। उसके पास न कोई साधन है न कोई शक्ति है। उसमें महत्व किसका है? कलेक्टर साहब और एस० पी० साहब का। अगर वे न आयें तो कमेटी चल नहीं सकती। यद्यपि उसका सभापति जनप्रतिनिधि बना दिया गया है तथापि जिले के विभागीय अध्यक्षों को समिति के सामने उत्तर देने तक में संकोच होता है, सामने आने में उनको अपमान मालूम होता है। इस प्रकार मेरा अनुभव है और मैं समझता हूं कि अन्य माननीय मित्रों को भी यही अनुभव होगा कि भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के गठन की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। इस प्रकार से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रश्न को दार्शनिक आधार पर उलझा देने से काम नहीं चल सकता है।

नवलकिशोर जी ने इकोनामी की बातों को कहा। जहां तक मैं समझता हूं, आचरण इसके विरुद्ध हो रहा है। आज आफिसेज का जिस प्रकार विस्तार हो गया है, उसके समर्थन में कोई उक्ति नहीं दी जा सकती है। माननीय गोविन्द सहाय ने कहा कि जन कल्याण राज्य में सर्विसेज का विस्तार होगा। मैं इसको मानता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि जहां एक सेक्रेटरी है, कहा जाता है कि वहां एक सेक्रेटरी और होना चाहिए। जब सेक्रेटरी हो गया तो उसकी रिपोर्ट आती है कि दो सहायक सेक्रेटरी चाहिए। यह परम्परा कहां जा कर समाप्त होगी?

जहां तक जनसाधारण को न्याय मिलने की बात है, जहां तक उन अदालतों की बात है जिन का सम्बन्ध सामान्य प्रशासन से है, उनके प्रति भी घोर असंतोष लोगों में है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। मेरी तहसील में १९५७ में एक आदमी को बाढ़ संबंधी सहायता दी गयी। १९५९-६० में उसने पांच रुपये अदा कर दिया लेकिन उससे फिर कहा गया कि पचास रुपये दो। वह तहसील में गया, तहसीलदार से मिला, नीचे के कर्मचारियों से मिला। सबने यही कहा कि कागज में तुम्हारे नाम ५० रुपये लिखे हैं हम क्या करें? मैंने जाकर प्रार्थना की लेकिन उन्होंने कहा, नहीं इसके नाम पचास रुपये लिखे हैं। बड़े-बड़े झंझट के बाद, जब मुरादाबाद से ओरिजिनल पेपर्स मंगाये गये तब जाकर मालूम हुआ कि पांच ही रुपये उसको मिले थे जिसे वह पिछले वर्ष अदा कर चुका। यह दशा है हमारे कार्यालयों की और प्रशासन की।

एक प्रश्न को बड़ा महत्व दे दिया गया, यद्यपि मैं समझता हूं कि प्रश्न सामान्य था। प्रश्न यह है कि इस वर्ष नैनीताल जाना चाहिए या नहीं। मैं नहीं समझता कि यह बहस क्यों उठायी जाती है? नैनीताल भी हमारे ही प्रदेश का अंग है, वहां पर इसी प्रदेश के रहने वाले रहते हैं और किसी सीमा तक उन लोगों का जीवनयापन सरकार के वहां चले जाने से होता है। तो इसमें इकोनामी का नारा लगाकर सिर्फ अपनी इच्छाओं और मान्यताओं को दूसरे के ऊपर थोपने

की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जो जो क्रान्तिदृष्टा हैं जिनका सारा जीवन समस्त देश के लिए है वह सामान्य प्रशासन की आधारभूत नीतियों में कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन करेंगे कि जिससे जनता को एक सुन्दर, सुदृढ़ और न्यायपूर्ण शासन मिल सके।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस सामान्य प्रशासन के अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल इस जनतंत्र के युग में हमारे अधिकारियों का जो रवैया जनता के प्रति है वह कुछ शोभाजनक नहीं है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे वह गांव सभा के सभापति हों, नगरपालिका अथवा जिलाबोर्ड के अध्यक्ष हों, कोई भी हों, उन्हें एक प्रतिष्ठा अधिकारियों द्वारा मिलनी चाहिए न कि उनका उपेक्षा का व्यवहार आज की तरह होना चाहिए। आज के वातावरण में अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के प्रति जो व्यवहार है वह एक दुश्मनी का, घृणा का और एक उपेक्षा का बर्ताव है। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो जनता के प्रतिनिधि चुने गये हैं उनके पास अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित जनता की शिकवा-शिकायतें हैं जायेंगी ही। लेकिन जो जिले के प्रशासक हैं उनको इस बात से नफरत होती है कि वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तक क्यों पहुंचते हैं। वह उनसे कहते हैं कि उनके पास जाने से क्या फायदा, तुम सीधे हमारे पास क्यों नहीं आते? हम तुम्हारी बात सुनेंगे। यह भावना उनके दिलों में है। और यही नहीं आज यह भी होता है कि वह प्रशासक तो हैं ही लेकिन मैं उनका जनता के नेता का स्वरूप भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वह हैं माला पहिनने के लिए, उद्घाटनों के लिए। उनके नीचे के कर्मचारी वहां के लोगों को इस बात का प्रलोभन देते हैं कि जिलाधीश के द्वारा फलां उद्घाटन होगा तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा, आपका जिलाधीश से सीधा सम्पर्क हो जायगा। तो इस प्रकार के कामों में एक प्रतिद्वंद्विता हो गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मान न देकर स्वयं सम्मान पाने की एक भावना उनके दिलों में काम कर रही है।

मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर जिन लोगों को शिकायतें होंगी वह जनता के प्रतिनिधियों तक आयेंगे और जब जिला स्तर पर वह समस्या हल नहीं होगी, तो मंत्रिमंडल तक हम आयेंगे। यहां तक हम लोग वह चीज लायेंगे। लेकिन अगर हमारी सरकार उन अधिकारियों के नोटों पर ही अमल करती चली जायगी तो क्या जरूरत है कि हम मंत्री महोदयों के दरवाजे पर जायं। जब उनके नोटों पर ही डिट्टो करते चले जाना है, सेक्रेटरी का नोट ब्रह्मा की लकीर अगर है, किसी की हिम्मत नहीं, जुरअत नहीं कि वह उसे बदल सके और हिम्मत के साथ लोगों को न्याय दे सके तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बन्द कर दीजिये वह दरवाजे, हम सबको आदेश दे दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट की अथारिटी ही सब कुछ है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। जो सेक्रेटरी नोट लिख देगा उसको काटने की जुरअत किसी में नहीं है, तो हम लोग अपना वक्त व्यर्थ जाया क्यों करें?

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस सरकार के द्वारा जब कोई जांच की जाती है, किसी मंत्रि परिषद् के सदस्य द्वारा कोई जांच हो रही होती है तो एक सेक्रेटरी उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है। वह जांच कुनिन्दा प्रतिनिधि के पास जाकर कहता है कि इसमें ऐसा कर देंगे तो विभाग की बड़ी बदनामी होगी। तो इस तरह प्रशासन कैसे चलेगा कैसे न्याय मिलेगा? कैसे जनता को यह विश्वास होगा कि यह प्रजातंत्र है? इन्साफ पाने का, इस स्तर पर भी हमको अधिकार नहीं है और इस तरह से दबाव उस पर दिया जाय, यह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता। इस रवैये में फर्क होना चाहिए और अधिकारियों की इस मनोवृत्ति में फर्क होना चाहिए। अधिकारियों की मनोवृत्ति आज जनतंत्र के अनुरूप होनी चाहिए। चाहे वह गांव सभा का सभापति हो, चाहे अन्य कोई प्रतिनिधि हो, उसे उचित सम्मान उन्हें देना

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

चाहिए। आज चाहे जिस स्तर पर ले लीजिए, चाहे विधायक हों, चाहे जिला परिषद् या नगर-पालिका के अध्यक्ष हों, जिलों में तमाम महोत्सव और फंक्शंस वगैरह होते हैं एक-एक की सीटें रिजर्व हैं, वहां पर डिप्टी कलेक्टर के लिये, एस० डी० ओ० के लिये, उनकी पत्नियों के लिये सीटें रिजर्व हैं लेकिन जनता के रहनुमाओं के लिये कोई स्थान तक नहीं होता। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन महोत्सवों में लोगों ने जाना बन्द कर दिया है चाहे आप इसको बहिष्कार कह लीजिये चाहे तिरस्कार लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिये वहां पर जाना बन्द किया है और वहां पर जाना वे पसन्द नहीं करते।

एक अर्ज मेरी यह है कि झांसी जिला डेढ़ पौने दो सौ मील लम्बा है। पिछले चन्द वर्षों से प्रशासन के ढीला होने के कारण, पिछड़े हुए क्षेत्र के होने के कारण और सरकार द्वारा उपेक्षित होने के कारण वहां के लोगों ने १९५५-५६ में और उससे पहले यह मांग की थी कि बुन्देलखंड का क्षेत्र मध्यप्रदेश में मिला दिया जाय और खास तौर से झांसी जिले के लिये कह रहे थे, लेकिन हम सब लोगों ने जो यहां पर थे वहां की जनता को इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हारा हित उत्तर प्रदेश में ही है। यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, गंगा और यमुना यहां पर बहती हैं, तुम्हारा हित यहीं पर है, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से वहां के जो एस० पी० और डी० एम० हैं १ सौ मील दूर सागर जिले तक कंट्रोल करने के लिये, तो उसमें खर्च के दृष्टिकोण से भी और ऐडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये ललितपुर क्षेत्र को एक जिले का स्थान दिया जाय। यह मांग वहां के लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही है। जब कि कानपुर से लखनऊ तक तीन जिले ४९ मील के अन्दर हो सकते हैं तो भले ही वहां आबादी कम हो लेकिन वहां के इन्सानों के जीवन की रक्षा और वहां की तरक्की का भार सरकार के ऊपर है और अगर उनकी यह मांग मान ली जाय और उस सारे क्षेत्र को एक जिले के स्तर पर ले आया जाय तो वहां की बहुत सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और उनकी बहुत सी बातें पूरी हो सकती हैं।

तीसरा निवेदन यह है कि जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है हमारी ऐंटी करप्शन कमेटियां बनी हुई हैं और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कम्प्लेन्ट्स हैं, उनकी जांच पड़ताल वह सब करते हैं लेकिन कोई बाध्य नहीं है, कोई विभाग बाध्य नहीं है कि उनकी जो रिपोर्ट है उसपर अमल करे ही। जो ऐंटी करप्शन कमेटीज हैं उनका तरीका दूसरा है वह विभागीय जांच में जांच पड़ताल करते हैं और शिकायतें सम्बन्धित विभाग को भेजते हैं। विभाग वाले बाद में कहते हैं कि वह असत्य पायी गयीं और निर्मूल पायी गयीं इसलिये वह सब निर्दोष हैं। अगर यह है तो फिर इन कमेटियों की क्या जरूरत है, और क्या जरूरत है कम्प्लेन्ट्स आफिसर की। यदि उनको शिकायतें देनी हैं और उनकी रिपोर्ट पर अमल करना है तो उन कमेटियों को अधिकार दिया जाय और साथ ही कम्प्लेन्ट्स आफिसर की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

५५ और ५८ वाला जो मामला है उसके बारे में प्रशासन के अन्दर बड़ी ढिलाई है। कुछ लोग बिस्तर बांधे बैठे हैं कि पता नहीं कब छुट्टी मिल जाय और दूसरे लोग आशा लगाये हुए हैं कि कब वह उनके स्थान पर आ जायं। जब किसी दूसरे प्रदेश की सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने भी उसको नहीं स्वीकार किया है तो फिर यह सरकार क्यों ५५ वाले मामले को करने में हिचक रही है और कहती है कि विचार चल रहा है। उसको मेहरबानी करके शीघ्र स्वीकार कीजिये।

हमारे मुख्य मंत्री जी अब लखनौआ नहीं रहे, अब वह पहाड़ी बन गये हैं। पहाड़ के गरीबों का ध्यान उनको रखना चाहिये और नैनीताल न जाकर अगर लाख दो लाख की सरकार बचत करना चाहती है तो वहां जो मजदूर हैं, गरीब हैं उनका काम कैसे चलेगा। न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि आपकोंजाने से सैकड़ों और हजारों प्रदेश के बाहर के लोग वहां जाते हैं और उनके जरिये वहां की लोगे के जीविका चलती है। इस दृष्टि से वहां के लोगों का ध्यान करेंगे और नैनीताल

न जाकर वहां लोगों के रोजगार पर आघात नहीं पहुंचायेंगे क्योंकि वे साल भर की रोजी इन्हीं दो तीन महीनों में कमाते हैं। वे आशा लगाये रहते हैं और मई और जून दो तीन महीनों में पूरे साल भर की रोजी पैदा करते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सामान्य प्रशासन पर कल से भाषण चल रहेहैं, उनमें कही हुई बहुत-सी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता और अपनी ही दो एक बातें कह कर अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं। श्रीमन्, इस देश और प्रदेश का प्रशासन आज दो सेवाओं द्वारा चल रहा है जिनको स्थायी और अस्थायी सेवायें हम कह सकते हैं। हमारे जितने भी अधिकारी हैं आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आदि वे स्थायी सेवायें कहलाते हैं और जो मंत्री आदि पद पर लोग हैं, उनको हम अस्थायी सेवायें कह सकते हैं। इन दो सेवाओं द्वारा ही हमारे प्रदेश का शासन चल रहा है और हमें इस प्रशासन की मद पर ही आज अपना मत देना है।

अगर श्रीमन्, हम इन स्थायी सेवाओं को गौर से देखें तो हमें माननीय नवल किशोर जी की कल की बात याद आती है। उन्होंने बतलाया था कि इन स्थायी सेवाओं में जो लोग हैं उनमें से आधे से अधिक ऐसे हैं कि लखनऊ के आसपास ही नियुक्त हैं और उन्होंने अपने मकान भी इसी लखनऊ के आस पास बना लिये हैं और मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के मुताबिक लोन लेकर १५-१५ हजार रुपये के बड़े-बड़े बंगले बना कर उससे किराया वसूल कर मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी देखा देखी बहुत से करीब ११२ नान-गजेटेड कर्मचारियों ने अपने मकानों को बनाया है और उन से मुनाफा उठा रहे हैं। वे लोग लखनऊ के आस पास अपनी सेवाओं के लिये मुकर्रर हैं और बड़े-बड़े बंगले बना कर आराम से रहते हैं। इस प्रदेश का प्रशासन उनके सुपुर्द है और उनके द्वारा प्रान्त का प्रशासन किस प्रकार हो पायेगा इसको मैं अपनी आत्म कहानी के रूप में आप के समक्ष निवेदन करूंगा।

दूसरे, हमारी अस्थायी सेवाओं द्वारा, मंत्रियों आदि के द्वारा जो प्रदेश का प्रशासन किया जा रहा है उसमें नये मंत्रिमंडल बनने की कहानी आप देखें कि वह किस प्रकार बनाया गया है। यदि प्रान्त में सब मन्त्रियों के दरमियान ३४ विभाग हैं तो उनमें आधे से ज्यादा हमारे मुख्य मंत्री जी के पास हैं यानी १६ विभाग वे स्वयं लिये हुए हैं और अन्य १५ ऐसे हैं कि जो मन्त्रियों व उप मन्त्रियों को दिये हुए हैं। इस प्रकार के कार्य के विभाजन में प्रांत का प्रशासन इन दो सेवाओं द्वारा चलाया जा रहा है और उन के द्वारा दावा किया जाता है कि हम सारे प्रांत की जानकारी रखते हैं। मुख्य मंत्री जी बड़े तपाक से कहते हैं कि मैं गांवों में गया हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि इधर अपने चुनाव के समय में जरूर कुछ पहाड़ पर के गांवों में गये हैं और वहां की स्थिति को कुछ देखा सुना है, किन्तु उन के साथ-साथ सारी स्थायी और अस्थायी सेवाओं में लगे लोग यह कहें कि हम प्रदेश की स्थिति जानते हैं तो मुझ जैसे गरीब सदस्य को उन पर बड़ा तरस आता है। मैं तो बहुत गरीब खानदान का आदमी हूं। गांवों में पैदा हुआ हूं, वहीं का रहने वाला हूं और वहां के बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूं कि प्रदेश के गावों में क्या हालत है और जब स्थायी सेवाओं से या मंत्रियों से यह सुनता हूं कि उन्हें गांव के बारे में जानकारी है तो मुझे उन पर तरस आता है। जब वे यह कहते हैं कि उनके पक्के मकान बन रहे हैं और अकड़कर चलते हैं अथवा वे डरपोक नहीं रह गये हैं, उनमें उन्नति हो रही है, जैसा कि वित्त मंत्री करते हैं तो मैं क्या कहूं। शायद उन्होंने गांव को घंटे दो घंटे घूम कर मोटर पर जाकर ही देखा है। और किसी प्रकार का अनुभव तो शायद उनको नहीं मालूम पड़ता।

श्रीमन्, मुझे विशेष तौर पर इस ओर ध्यान दिलाना है कि हमारा मंत्रिमंडल कैसे बना है। उसकी कहानी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसका काम क्या रहा है। उसका काम रहा है पिछले मंत्रिमंडल के किये हुए कार्यों पर अब नये ढंग की बात करना, उनमें से कुछ को उलट-पलट करना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मितव्ययिता की घोषणा की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]
उसका ढकोसला मैंने देखा है। आज बंगलों में तब्दीली की गयी है, राजस्व मंत्री जी इस बंगले को छोड़कर उस बंगले में चले गये, वित्त मंत्री जी उनके बंगले में चले गये, बड़ी मोटरों के स्थान पर छोटी मोटरों को रख दिया, तो इस तरह के बदलाव से ही काम चलने वाला नहीं है। आपके केवल हाव-भाव बदलने से ही काम चलने वाला नहीं है।

मैं माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की उन घोषणाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने सीतापुर जेल लाठी कांड के बारे में, जिसमें सोशलिस्ट सदस्यों के साथ अन्याय किया गया था, की थीं। उन्होंने कहा था कि वे इसकी पूरी जांच करायेंगे। मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने उसकी पूरी तरह से जांच की? कितने ही सोशलिस्ट सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार हुआ और उनमें से ४७ सत्याग्रही खून से लथपथ हो गये, किन्तु जो आपने जांच की उसका क्या परिणाम निकला? उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने लाठियां चलवायीं तथा वहां के जिलाधीश के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की? यह घोषणा माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की थी, मगर उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। मैं प्रश्नों को उठाकर उसके बारे में जानकारी कर सकता था, मगर मैंने सोचा कि अच्छा हो यदि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उसके बारे में सूचना दे दें। मुझे यह देख कर दुख होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन घोषणाओं को दाखिल दफ्तर कर दिया है।

कल माननीय विकल जी ने भी कहा था कि आप जो भी घोषणायें करते हैं उन पर अमल नहीं किया जाता। आज भी ७ साल पहले के बागों के लगान की वसूली की जा रही है। कहा जाता है कि उसके खिलाफ अगर किसान अमीन को एतराज वसूलयाबी के समय भी लिख कर देगा तो उस पर अमल होगा, लेकिन काम उसके विरुद्ध होता है। मंत्री जी को इन बातों की जांच करना चाहिये कि जो भी वे आदेश देते हैं उनका पालन किया जाता है या नहीं।

शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि हम एक आयोग मुकर्रर करेंगे, मगर उसकी किस तरह से लीपापोती की जाती है, उसको सभी जानते हैं। यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया, मगर बाद को उसमें भी काफी हेरफेर कर दिया गया। जितने कदम यह सरकार आगे को उठाती है, उतने ही कदम यह सरकार पीछे की तरफ भी चलती है। क्या इसी तरीके से यह सरकार सुधार करना चाहती है, क्या इसी तरह से प्रदेश का सुधार होगा।

श्रीमन्, मुझे कुछ जरूरी बातें कहनी हैं, मुझे दो चार मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्रीमन्, उधर के बैठने वाले मंत्रिगण बड़े तपाक से कहते हैं कि आज जनमत हमारे साथ है, हम बहुमत में हैं। वे यहां तक दावा करते हैं कि हम आगे भी जनमत में रहेंगे। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और वह देखें, हमारा उनका मुकाबला होगा, सन् ६२ के इलेक्शन में।

श्रीमन्, आये दिन चुनाव होते हैं और अब जनरल इलेक्शन भी कुछ दिनों में होने वाले हैं। इस प्रशासन के मद में ही चुनाव के लिये प्रपत्र छपने का प्राविधान है। चुनाव में जो मार्किंग सिस्टम रखा गया है इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपको मालूम है कि आज हमारे यहां २४ फी सदी जनता, जैसा कि मंत्री जी ने हाल ही में बताया है, पढ़ी लिखी है, और उसके हिसाब से ७५ फीसदी जनता अनपढ़ है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह अनपढ़ जनता इस मार्किंग सिस्टम को कैसे समझ सकेगी। मैं इसके लिये यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप जो चुनाव चिन्ह हों उनको भिन्न-भिन्न रंगों से रंगवा दीजिये। जैसे हमारा चिन्ह बरगद का है उसे आप हरा रखिये, आप अपने बैलों वाले चिन्ह को सफेद या उनके सींग काला कर सकते हैं। इसी तरह से उनको रंगने से जो अनपढ़ लोग होंगे वे उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उससे बड़ी सुविधा होगी।

श्रीमन्, आज बहुत सी मदों के लिये, सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत हमसे रुपया मांगा जा रहा है। आज बहुत से ऐसे स्थान हैं जैसे आयुक्त के स्थान जिनको खत्म करने की आवश्यकता है। बड़े-बड़े अधिकारियों के वेतन को कम करने के बारे में भी हम कई बार कह चुके हैं। मेरी समझ म नहीं आता कि जब माननीय मंत्री १ हजार रुपया पायेंगे तो उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी लोग जिन्हें तीन–तीन हजार पया मिलेगा वे आपका कैसे सबार्डीनेशन मानेंगे। इस लिये मेरा निवेदन है कि किसी भी अधिकारी का वेतन १ हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आपने कई बार कमिश्नरों की पोस्टों को खत्म करने का एलान किया। आपने बराबर उनको हटाने की बात कही, मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। आज भी २० कमिश्नर आपके यहां हैं जिनके ८०० से ३,००० रुपये वेतन हैं। उसी प्रकार जिला अधिकारियों का वेतन ८०० से १,८०० रुपये माहवार है। इन सब का वेतन आरम्भ से चलकर १,००० रुपये तक ही देना चाहिये––अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिये। इन बड़े तनख्वाह वाले अधिकारियों को अगर खत्म नहीं करेंगे तो आदर्श कैसे रखेंगे?

कहा गया है कि बहुत सी ऐसी मद हैं जो चार्ज मद हैं, जिन पर हम वोट नहीं दे सकते। उनमें से एक यह भी है––आपका यह बैठने का स्थान, अध्यक्ष का स्थान और उपाध्यक्ष का है। मैं जानना चाहता हूं कि आप अधिष्ठाता महोदय जब बड़ी योग्यता से इस कार्य को कर सकते हैं और अध्यक्ष का काम तो है ही, तो यह उपाध्यक्ष का स्थान किस लिये है? मैं इसे अनावश्यक समझता हूं। जैसे एक गाड़ी में ४ पहिये होते हैं तो पांचवां...

श्री अधिष्ठाता––आर्डर, इसका तो कांस्टीट्यूशन में प्रावीजन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मैं समझता हूं कि वह आइटम चार्ज्ड है, लेकिन मेरी राय है कि उपाध्यक्ष का स्थान तोड़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––आपका समय भी समाप्त हो गया।

***श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला कानपुर)––अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मुख्य मंत्री ने स्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां जितन भी सदस्य हैं उन्होंने नये मुख्यमंत्री की नीति की घोषणा का स्वागत किया है परन्तु अभी हमारी बहुत सी आवश्यकताएं हैं और जो नीति और विचार हमारे सामने मुख्य मंत्री ने आफिस में आने के बाद रखे हैं, हमें आशा और विश्वास है कि उन नीति और विचारों का आगे भी समर्थन होता रहेगा और उसी के अनुसार वह अपने कार्यों को करते रहेंगे। यह बात जरूर है कि अभी उनको आफिस लिये बहुत कम समय बीता है इसलिए हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि सारी बातें जो जनता चाहती है वह इतनी जल्दी हो सकें। मैं इस सम्बंध में सुझाव के तौर पर कुछ बातें बताऊंगा। शायद इन से उनको अपन काम में कुछ मदद मिल सक।

ट्रांसफर की जहां तक बात है, मैं बताना चाहूंगा कि कहीं-कहीं तो ४–४, ५–५ वर्ष में हमारे अधिकारियों के ट्रान्सफर नहीं होते हैं जिले में, और सेक्रेटरियट की तो बहुत ही बुरी हालत है। मैं जानता हूं और अधिकारी भी जानते हैं और मंत्री भी जानते हैं कि सेक्रेटरियट के अन्दर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी बपौती समझ रखी है और वह जाने का नाम नहीं लेते। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि एक–एक साल के अन्दर दो-दो ट्रांसफर अधिकारियों के हो जाते हैं। मैं समझता हूं, इससे प्रशासन के अन्दर कुछ खराबियां हो जाती हैं और उनको दूर करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये मैं आगरे के लिये कह सकता हूं कि आगरा जो कि कवाल टाउन्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

में हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पिछले दो साल के अन्दर ट्रांसफर किया गया। कितना गवर्नमेंट का खर्चा हुआ? क्या इकानामी ड्राइव में यह नहीं आता कि हम ट्रांसफर न करें? आगरा तो वैसे ही पर्यवेक्षकों के आने से अपना महत्व रखता है, तो क्या जरूरत थी कि वहां से रोज जिला अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाय? यहां सेक्रेटेरियट में बैठे हुए लोग, जिन्होंने ५–५, ६–६ साल से यहां अपना अधिकार जमा रखा है, उनके ट्रांसफर के बारे में आपने कोई विचार नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि जहां छंटनी के लिये बहुत से आदमियों का विचार किया जा रहा है, वहां एक या दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बिलकुल अछूते हैं। उदाहरण के लिये मैं इंडस्ट्रीज और लेबर डिपार्टमेंट के लिये कहूंगा कि जहां पर श्रमायुक्त दो–दो हैं और उप-श्रमायुक्त ३–३ हैं। उनका कार्य, मैं समझता हूं, जिले के और अधिकारियों और डिपार्टमेंट के अन्य लोगों के द्वारा बड़ी आसानी से हो सकता है। लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज में तो आफिसर्स की इतनी भरमार है कि शायद जिले में समझना मुश्किल हो जाता है कि कितने अधिकारी हैं। कानपुर में इसका हेड आफिस है। वहां भी यही व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी जब छंटनी करने जा रहे हैं तो चपरासियों की छंटनी करने से पहले जरूर विचार करें कि जो हमारे उच्चाधिकारी हैं जिनकी ऊंची तनख्वाह है, इनकी पहले छटनी की जाय तो ज्यादा अच्छा है।

जहां तक बी० डी० ओ० की बात है, कल वक्ताओं ने अपने मत उनके बारे में रखे थे। मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। और दूसरे अधिकारी नायब–तहसीलदार वगैरह तो थे ही, लेकिन बी० डी० ओ० उन सबसे एक महान व्यक्ति जिले में है, या कहिये कि गांव में है। वह अधिकारी तो शहर में रहते थे लेकिन बी० डी० ओ० गांव के अन्दर रहकर उन सब अधिकारियों पर राज्य करता है। उनके कार्यकलापों को कल से आज तक कितने ही माननीय सदस्यों ने बतला दिया है। इसलिये मैं अब उनके बारे में और ज्यादा क्या कहूं।

आस्टेरिटी ड्राइव जो चलाया गया वह बहुत अच्छी चीज थी। मैंने जैसा कहा कि यह सोचा गया कि चपरासियों को निकालकर खर्चे में कुछ कमी की जायगी लेकिन मैं समझता हूं दूसरा कदम उच्चाधिकारियों पर होगा क्योंकि एक अधिकारी दस चपरासियों के बराबर होता है। अगर अधिकारियों को कम करके पैसा बचाया गया तो वह एक बहुत बड़ी बात होगी।

पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ भी मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर जोकि न्याय का ठेका लिये बैठे हैं जिनके लिये यह कहा जाता है कि राज्य के प्रशासन में जिस अधिकारी को भी वह रेजेक्ट कर दें वह निकाल दिया जाय नौकरी से, उनके सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। कमीशन के एक मेम्बर मेरी जानकारी में हैं, एक प्रतिष्ठित मेम्बर हैं जिनका चयन कुछ समय पूर्व हुआ था। उनकी आयु हाई स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक कुछ और दी हुई है और उन्होंने लिखकर कुछ और दी थी। ऐसा आदमी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनकर बैठा रहे यह बड़े दुख की बात है। मैं समझता हूं गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी और देखेगी कि वहां पर इस तरह की धांधलेबाजी क्यों हो रही है।

एक बात और है। उदाहरण के लिये हरिजनों के लिये मुंसिफी में रिजर्वेशन के आधार पर पांच सीटें सुरक्षित थीं। यदि रिजर्वेशन में पांच सीटें हैं तो इन्टरव्यू के लिये सात आदमी बुलाये जायेंगे—रिटेन टेस्ट में दस पंद्रह आदमी क्वालीफाई कर लेंगे—लेकिन इन्टरव्यू में उनका आधा कोटा कम हो जायगा। पांच में से केवल तीन मुंसिफ लिये गये। पिछले तीन चार सालों से यह धांधलेबाजी हो रही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, दो मिनट और दे दीजिये....

श्री अधिष्ठाता--अभी दो मिनट आपके हैं ।

श्री छत्रपति अम्बेश--इसके अलावा दो मिनट और दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--अगर कोई काम की बात होगी तो दे दूंगा, आप बोलिये।

श्री छत्रपति अम्बेश--तो श्रीमन, इस प्रकार जो पक्षपात की बातें की जाती हैं वह कहां तक उचित हैं ? इसी प्रकार से श्रीमन्, बी० डी० ओ० के सेलेक्शन में रेजर्वेशन की बात आई। उन्होंने एक साथ इन्टरव्यू करना शुरू किया। मैं नहीं कह सकता कि कहां तक यह उचित बात है ।

सेक्रेटेरियट के बारे में भी मैं अपनी जानकारी के आधार पर एक बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। ट्रांसफर्स के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जो पक्षपात किया जाता है, वह पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस समय पूर्वी जिलों में पौड़ी-गढ़वाल में ट्रांस्फर की बात होती है, तो मेरी जानकारी है कि यहां पर पक्षपात किया जाता है। आगरे से ही एक ए० डी० एम० का ट्रांसफर पौड़ी-गढ़वाल हो गया। लेकिन जब उसको पता चला कि उसका ट्रांसफर वहां हो गया है, तो वह यहां लखनऊ आया और उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। इस प्रकार की अनेक घटनायें हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो नाम भी बतला दूंगा कि इस प्रकार की धांधलेबाजी ट्रांसफर में होती है। मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार यह धांधली होती है और किस प्रकार से लोग मैनीपुलेट कर लेते हैं। चूंकि सेक्रेटेरियट में बैठे हुए लोगों ने यहाँ पर अपनी बपौती बना रखी है और वह समझते हैं कि हम जो करेंगे वह बिल्कुल ठीक करेंगे। इसलिये यह बातें आसानी से हो जाया करती हैं।

सर्विसेज के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। हरिजनों को प्रशासन में रखा तो गया है लेकिन उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती । ५२ जिलों में एक डी० एम० रखा गया है और ए० डी० एम० शायद एक भी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसी बात क्यों है।

सेक्रेटेरियेट के बारे में एक बात मैं और कहूंगा । इनकी आज्ञाओं का जिलों में पालन नहीं होता है । मैं नहीं जनता कि इस बारे में उन्होंने कोई कदम उठाया है या नहीं । १८ परसेंट के आर्डर्स जिलों में गये यहां से, तो क्या वजह है कि उनका पालन नहीं होता है ?

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त ।

श्री बदलूराम (जिला बहराइच)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पूर्व कि माननीय मुख्य मंत्री जी या न्याय मंत्री जी हमारे भाषण के दौरान में चले जावें मैं उनके नोटिस में बहराइच की ऐंटी करप्शन कमेटी का हाल लाना चाहता हूं । वहां यह कमेटी बहुत दिनों से बनी हुई है जैसा कि और जगहों में है । उसके अध्यक्ष मंत्री जी के ही साथी, उन्हीं के दल के पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं जिन्होंने पिछले ९, १० महीने से उस कमेटी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। इसके पूर्व जब वहां कोई मीटिंग होती थी तो उसमें एस०पी० महोदय आने का कष्ट नहीं करते थे बल्कि अपनी जगह अपने मातहत किसी को, डी० वाई० एस० पी० को भेज दिया करते थे । मेरे विचार से उस कमेटी का नाम बदल कर करप्शन कमेटी कर दिया जाय या उसका उन्मूलन कर दिया जाय तो अच्छा हो या यह कह दिया जाय कि इसमें करप्शन दूर करने की क्षमता नहीं है ।

मुझे सामान्य प्रशासन के बारे में यह निवेदन करना है कि इसमें प्रति दिन सत्ता का दुरुपयोग, सरकारी साधनों का दुरुपयोग और सरकारी सम्पत्ति का अपहरण और अपव्यय बढ़ता चला जा रहा है । यहां यह कहा जाता है कि कमिश्नर और कानूनगो का पद तोड़ देना

[श्री बदलू राम---]

चाहिये या सारी नौकरशाही में एक आमूल परिवर्तन करना चाहिये, यह नहीं हो सकता है। यह बात जरूर हो सकती है कि हम स्थान स्थान पर कुछ सुधार कर सकें क्योंकि इस मंत्रिमंडल के पास केवल १ वर्ष का समय है। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गई और कहा यह जाता था कि जनता का शासन है, नौकरशाही जनता की ओर से केवल एक सार्वजनिक नौकर है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नौकरशाही का प्रभुत्व जितना बिटिश जमाने में था उससे कहीं अधिक बढ़ गया है। पहले पुलिस शासन था। चोर बदमाशों को ही पुलिस परेशान करती थी। अब यह जमाना आया है जबकि भले आदमियों को, चाहे कोई व्यवसायी हो या दूकानदार हो, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट के शासनाधिकारी अपना प्रभाव रखते हैं क्योंकि आजकल लाइसेंस और मनोपोलीज का जमाना है।

हमारे कल्याणकारी राज्य बनाने से और प्लानिंग करने से गवर्नमेन्ट के अधिकार बढ़ गये। उस नीति को उन अधिकारों को, कार्यान्वित करनेवाले नौकरशाही वर्ग के लोगों के भी अधिकार बढ़ गये। देश के कल्याण के लिये, योजनाओं की सफलता के लिये, उनकी मनोवृत्ति को बदलना बहुत आवश्यक है। जो मनोवृत्ति नौकरशाही की आई० सी० एस० के जमाने में थी वही आज भी है। जब हम एक वर्गविहीन और वर्णविहीन राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो यह जो बीच में एक ठेकेदारों की क्लास है, महाजनों का क्लास है, सरकारी वर्ग का क्लास है उसे कैसे हम इस देश में रख सकते हैं, यह देखना है। आज ब्राड गेज पर चलने वाला इंजन कैसे मीटर गेज पर चल सकता है? हमारा बजट बहुत बढ़ गया है, करोड़ों के रूप में हम बजट के अनुदान पास करते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमें रुपया मिलता है परन्तु उस रुपये को हम खर्च करते हैं उस जीर्ण-शीर्ण, टूटी-फूटी मशीनरी के द्वारा जिसकी मनोवृत्ति वही दकियानूसी है जो पहले थी।

आज हम चाहते हैं कि देश में रामराज्य कायम हो और हमारी विकास की योजनायें सफल हों। इसके लिये हमारे ऊपर कर बढ़ रहे हैं मगर नौकरशाही की मनोवृत्ति उसी अनुपात से नहीं बदली। तो चाहे जितनी योजनायें हम बना लें और चाहे जितना धन उसके ऊपर खर्च कर लें, हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं। करोड़ों रुपया अपव्यय हो गया हमारी दो योजनाओं में। लेकिन उसके अनुपात से काम क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह नहीं है कि गवर्नमेंट इनसिसियर है। हमसे कहा जाता है कि आनेवाली सन्तानों के लिये बड़े भारी बलिदान करने की आवश्यकता है और टैक्स का भार इसलिये बर्दाश्त करना चाहिये जिससे हमारी आनेवाली पीढ़ियां सुख से रहें। भाखरा और नांगल जैसे डैम बने जिनसे सिंचाई हो और विद्युत मिले। हम टैक्स देने के लिये तैयार हैं, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब कि गरीब किसान और मजदूर की गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा जो टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है उसका सरकारी नौकरशाही के द्वारा अपव्यय होता है। यह पैसा लोगों से निर्दयतापूर्वक वसूल करके फजूल खर्च किया जाता है। जब हम देखते हैं कि सरकारी गाड़ी पर बी०डी०ओ०साहब सिनेमा देखने जाते हैं, शिकार खेलने के लिये जाते हैं, शाकभाजी लेने के लिये जाते हैं, तो इस अपव्यय को देखकर हमें बड़ी तकलीफ होती है। सब जगह आप विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि शासन गांवों में हो और आपने न्याय पंचायतों की स्थापना की। रेवेन्यू अपील के लिये आप कहते हैं कि एडीशनल कमिश्नर्स किया करें। अब एक आदमी बहराइच का रहने वाला सत्तू बांधकर फैजाबाद चला जाय, गोंडा का रहनेवाला दूसरी जगह चला जाय, इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। इसलिये कमिश्नरी की अपीलेट कोर्ट को बिलकुल दूर हटा करके जिला लेबिल पर रखना चाहिये।

मैं नैनीताल जाने के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। शासन में इकौनामी ड्राइव चल रही है और यह सोचा जा रहा है कि अगर लोग नैनीताल चले गये, सरकारी अधिकारी नैनीताल चले गये, तो इसमें बड़ा भारी अपव्यय होगा। मैं समझता हूं कि यह अपव्यय नहीं है। अगर वहां की गरीब जनता की जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं तो यह अपव्यय नहीं कहना चाहिये। हमारे

मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपने निर्वाचन के लिये पहाड़ी क्षेत्र को चुना जो कि बहुत उपेक्षित था और जहां चीन का खतरा पैदा हो गया था । इसलिये उन्होंने कहा कि मैं एक पहला सिपाही हूंगा जो कि चीन का उत्तरीय क्षेत्र में मुकाबला करूंगा । तो मैं समझता हूं कि उसमें दिलचस्पी कायम रखते हुये जो हिल एक्सोडस की स्कीम इकानामी ड्राइव में छोड़ दी गई है उसे नहीं छोड़ना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त ।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेन्ट अनुदान पर बोलने का मौका दिया । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह शिकायत रही है कि वह टाप हैवी है तथा उसके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं । यह बात जान कर मुझे खुशी हुई कि जब मद्रास में एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट ३३ प्रतिशत है और बाम्बे में ३२ प्रतिशत है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ३१ कुछ है । यदि हमारे आंकड़े सही हैं, क्योंकि जो कुछ भी बात हम करते हैं वे आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं, तो हमें खुशी ही होती है कि हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट कुछ कम ही है । लेकिन फिर भी हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो आस्टेरिटी के कदम उठाये गये हैं, उनके लिये मैं बधाई देता हूं । लेकिन बजट में कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं पड़ता । उसका एक कारण यह हो सकता है कि बजट कई माह पहले तैयार होता है । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कदम अब तक उठाये हैं, जहां तक मैं समझता हूं, उनसे १३० लाख रुपये सालाना की बचत हुई है । उन्होंने आस्टेरिटी अपने से ही शुरू की है । मंत्रियों की तनख्वाहों मेंकमी की गई है, बड़ी कारों पर पाबंदी लगाई है, बड़े बड़े मकानों में रहना स्वीकार नहीं किया है ।

इसके साथ ही साथ मेरा यह विचार है कि हमारी विधान सभा के जो सदस्य ऐसे हैं जो होल टाइम काम करते हैं, उनको जो भी मिलता है वह उनके खर्चे के लिये काफी नहीं है । लेकिन जहां तक आस्टेरिटी की बात है, चैरिटी बिगिन्स एट होम । अपने घर से ही खैरात शुरू होती है । लेकिन हमारा विश्वास है कि जब तक इस ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम नहीं किया जायगा, तब तक खर्चा कम नहीं हो सकता । हो सकता है इसके लिये मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई प्रयत्न किया जा रहा हो लेकिन प्रत्यक्ष में हमें कुछ मालूम अभी नहीं हुआ है । अभी जो कुछ मालूम हुआ है वह वही कि एक ओर तो मुख्य मंत्री जी ने १३० लाख रुपया बचाया दूसरी ओर एक आई० जी० के बजाय दो आई० जी० कर दिये गये । मैं समझता हूं अभी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

माननीय नवल किशोर जी पिछले चार सालों से बराबर जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते हैं तो कहते हैं कास्ट आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन कम होना चाहिये । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना किया लेकिन किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि हम अपनी तरफ से इतना कट करना चाहते हैं । तो शासन को उनके द्वारा चलना है जो नेता हैं, मंत्री हैं, वह तो पालिसी बनाते हैं, तो आस्टेरिटी तब तक नहीं हो सकती बचत तबतक नहीं हो सकती जब तक कि जो हमारे आफिसर्स हैं उनका इस तरफ ध्यान नहीं जाता और वह यह नहीं समझते कि वाकई खर्चे में कमी करनी है । मिसाल के लिये जितने सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेन्ट्स में, यह ठीक है कि कुछ काम बढ़ गया है जिसकी वजह से अधिकारी बढ़े हैं और मैं यह भी मानता हूं कि कुछ सेक्रेटरीज ऐसे भी हैं जो सुबह ९ बजे आ जाते हैं और शाम को ५ बजे तक काम करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ११ बजे टेलीफोन किया जाय तो मालूम होता है कि साहब घर से नहीं आये । १२ बजे के बाद ३ बजे तक लंच का टाइम होता है और फिर ४ बजे के बाद घर जाने का टाइम हो जाता है । जिलों में भी यही हाल है कि जब टेलीफोन किया जाय तो ९ बजे तक चपरासी कहता है कि साहब बाथरूम में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पूजा में हैं और कुछ कहते हैं

[श्री जगदीशनारायण]

कि मीटिंग में है। श्रीमन्, एक चपरासी ने बताया कि इन अफसरों को सिवाय बाथरूम के और कहीं छिपने को जगह ही नहीं है । ये ऐसी बातें हैं जिन्हें सब लोग महसूस करते हैं । जब चपरासी और छोटे-छोटे अधिकारी यह महसूस करें कि उनके अफसर इस तरह की बातें करते हैं तो शासन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा ?

जहां तक कमिश्नरी लेविल का संबंध है, कमिश्नरों के लिये पहले आपने कहा था कि अब कमिश्नर की पोस्ट को नहीं रखना चाहते हैं लेकिन आज भी कमिश्नर मौजूद हैं । हर डिवीजन में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग, ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन, ये तमाम होते हैं । मैं समझता हूं कि इनसे शासन में कोई सहायता नहीं मिलती बल्कि रैड टेपिज्म बढ़ता है और काम में देर होती है । जब जिले के स्तर पर पशुपालन, एजुकेशन, इंडस्ट्री, तमाम विभागों के आफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्स हैं तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों की क्या जरूरत है ? अगर इन पदों को तोड़ दिया जाय तो खर्चे में कमी होगी ।

जो डिस्ट्रिक्टस हैं उनमें जो बड़े-बड़े जिले हैं वहां हो सकता है कि ए० डी० एम० (ई०) रहे, लेकिन सब जगह उनकी कोई आवश्यकता नहीं है । पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर रहता था अब उसके बजाय ए० डी० एम० हो गया । वह समझता है कि शीघ्र उसे ए० डी० एम० होना है, इसलिये शान में रहता है । प्लानिंग का काम क्या होगा ?

तहसील लेविल पर जो बी० डी० ओ० हैं वह नये लड़के होते हैं । मेरा सुझाव है कि जो एस० डी० एम० है उसका हैडक्वार्टर तहसील पर होना चाहिये और तहसील के जितने ब्लाक हैं वह उसका इंचार्ज हो । जीपों के बारे में भी शिकायत रहती है कि उनका मिसयूज होता है । मैं समझता हूं कि वहां कोई उनका इम्मीडियेट बास नहीं होता है इसलिये ऐसा होता है । इसलिये वहां जो एस० डी० एम० हो वह प्लानिंग का इंचार्ज हो और जीप उसके पास रहे और वह उसका एलाटमेंट करे, जब जिसको जरूरत हो तो दे दी जाय ।

जहां तक लेजिस्लेचर का ताल्लुक है, धीरे-धीरे एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की ताकत को लेती जा रही है । अब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जूडिशियरी दिन ब दिन इस ताकत को लेती जा रही है और मैं अपने जिले में देखता हूं कि हमारे यहां जो जूडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं वह क्लब्स में खुले आम ऐडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला कहते हैं । एक हमारे यहां के ए० डी० एम० (जे) हैं, हमारे यहां बलवा हुआ इत्तफाक से उनके यहां सिपाही नहीं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि पुलिस के जितने मुकदमें हैं सब छोड़ दो जिसकी वजह से मुरादाबाद में ला लेसनेस बढ़ गई है । इसलिये जो जुडिशियरी दिन पर दिन ताकतवर होती जा रही है यह भी ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये खतरा है ।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्री यमुनाप्रसाद (जिला रायबरेली)----उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव है उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आस्टेरिटी मेजर्स अडाप्ट किये हैं, उनसे जनता में बहुत ही प्रसन्नता हुई है । परन्तु अभी बहुत सी ऐसी और मदें हैं जिन पर आस्टेरिटी मेजर्स अडाप्ट किये जा सकते हैं । उनके ऊपर सुझाव मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि रिटायरमेंट की जो उम्र ५५ से ५८ कर दी गई इससे सरकार का काफी व्यय बढ़ गया । जैसे मान लिया जाय एक डिस्ट्रिक्ट जज है जिसको १०० रुपया साल की तरक्की मिलती है वह ५५ से ५८ तक हर साल १०० रुपया अधिक पाता है और अगर वही आदमी ५५ पर रिटायर होता है तो दूसरा व्यक्ति आवेगा जिसकी तनख्वाह भी कम होगी और इनक्रीमेंट भी उसका उतना नहीं होगा जब तक कि ५५ साल की उम्र पर न पहुंच जाय या उसके आस-पास न हो । इसी तरह से एस० डी० आईज हैं जिनकी तनख्वाह ५०० तक है ।

अब तीन साल तक वह ५०० रुपया प्रति मास पाते हैं जब कि अगर ५५ पर रिटायर हो जायं तो उनसे कम तनख्वाह पाने वाला आदमी उस काम को करेगा । इसलिये अगर ५८ से ५५ करने का विचार है तो उसे शीघ्र किया जाय और इससे हजारों रुपये की बचत होगी ।

इसके अलावा मंत्रियों को जो उद्घाटन का रोग लगा हुआ है इससे भी जनता का धन बहुत व्यय होता है । अक्सर यह होता है कि जब मंत्री जाते हैं तो उनकी दावत का प्रबन्ध किया जाता है । डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर से और वह तहसीलदार से, तहसीलदार, कानूनगो से और वह लेखपाल से उनकी दावत का प्रबन्ध करने के लिये इंतजाम करता है । नतीजा यह होता है कि लेखपाल जनता से रुपया वसूल करके देता है जो स्वागत सत्कार में व्यर्थ खर्च किया जाता है । इसके अलावा जब उद्घाटन के लिये जाते हैं तो बहुत से अन्य कर्मचारी तथा पुलिस के लोग, जिनको और कार्यों में लगना चाहिये, भी स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं । इस से जनता के कार्यों में बड़ी हानि होती है ।

इसके अलावा जो आस्टेरिटी मेजर्स लिये जा रहे हैं यह बहुत अच्छे हैं । मगर जो करप्शन चल रहा है, कुनबापरस्ती चल रही है, अनुचित रूप से पार्टी के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है इससे जनता के अन्दर अविश्वास पैदा हो रहा है और जनता में श्रद्धा की कमी होती जा रही है । अभी एक पुस्तिका बटी है जिसका जिक्र एक वक्ता महोदय ने किया है । उसमें ऐसा लिखा है कि एक मंत्री महोदय ने अपने दामाद को २७ आदमियों को सुपरसिड करा कर खास जगह पर नियुक्त कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह बात वास्तविक है तो इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये और अगर गलत है तो जिन व्यक्तियों ने ऐसा समाचार फैलाने का प्रयत्न किया है उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिये तथा उनको कठोर दंड मिलना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता तो जनता के अन्दर जो श्रद्धा और विश्वास है वह धीरे-धीरे नष्ट हो जायगा ।

एक चीज यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विषय में जो नया कानून बना है उसमें यह है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स किसी व्यक्ति पर लगता है तो उसकी अपील अब कमिश्नरी में होती है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के छोटे-छोटे टैक्स होते हैं, किसी पर १० रुपया लगा किसी पर २० रुपया लगा । अगर वह टैक्स अनुचित है और उसकी अपील करनी है तो कमिश्नर के यहां अपील होगी । कमिश्नर के यहां अपील में उस टैक्स से अधिक खर्च हो जाता है । जो आदमी लखनऊ कमिश्नरी में सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, ऐसी जगहों से आयेगा और वहां से वकील लायेगा तो एक पेशी में ३०—४० रुपये खर्च हो जायेंगे इस वजह से वह अपील नहीं कर पाता है । पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां अपील होती थी और जहां जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग-,अलग है वहां ए० डी० एम० (जे०) के यहां होती थी । अब एक तो अपील ही करने में दिक्कत है और फिर अगर जीत जाता है तो रुपया निकालने में और कठिनाई होती है । इस तरह से अपील करना और न करना बिल्कुल बेकार हो जाता है । तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान दें और इसमें परिवर्तन करने की कृपा करें

अभी कई माननीय वक्ताओं ने मुख्य मंत्री जी का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित किया । यद्यपि हमारी घोषणा है कि हम हिन्दी में सब कार्य करेंगे लेकिन फिर भी हिन्दी में कोई कार्य नहीं हो रहा है । आज भी अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदे जा रहे हैं । इस बजट में भी कई अंग्रेजी के टाइपराइटर खरीदने के लिये रुपया रखा गया है । अगर यही दशा रही तो हिन्दी की कैसे तरक्की हो सकती है ।

इसके अलावा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में कई ऐसे क्लर्क हैं जो सन् १९४८ में सेवा से मुक्त हो चुके हैं मगर उनकी तनख्वाहें आज तक नहीं मिली है । बराबर लिखा पढ़ी हो रही है लेकिन कहा जाता है कि अभी आडिट ने हिसाब पूरा नहीं किया ।

[श्री यमुनाप्रसाद]

दूसरी चीज यह कि जो आफिसर्स आन स्पेशल ड्यूटी हैं उनको उस जगह पर मुस्तकिल कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो । गवर्नमेंट उनको स्पेशल पे दे रही है जिससे कि बड़ी हानि हो रही है ।

इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सामान्य प्रशासन का जो अनुदान इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इस आदरणीय सदन में सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में इधर और उधर, दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । उनमें से कई विचार ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि मुख्य मंत्री जी उन पर विचार करें क्योंकि हम देखते हैं कि जहां नौकरशाही या जहां प्रशासन सुदृढ़ नहीं होता, कार्यकुशल नहीं होता और समय और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार काम नहीं करता, वहां लोकशाही का कोई भविष्य नहीं होता । इंगलैण्ड को पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी (संसदीय लोकशाही) की जननी कहा जाता है । लेकिन अगर उस देश में कई ऐतिहासिक आंधियों के बावजूद भी, कई क्रान्तियों के बावजूद भी, सदियों से डेमोक्रेसी (लोकशाही) कामयाब होती चली आ रही है तो उसका श्रेय वहां की जनता के राजनीतिक विवेक को कम है और वहां की सुदृढ़ नौकरशाही और उसकी कर्त्तव्यपरायणता के लिये अधिक है । इसलिये मेरा निवदन है कि इस देश और प्रदेश में भी अपनी नौकरशाही को कर्त्तव्य-परायण बनाने के लिये जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर मुख्य मंत्री और यह सरकार जरूर विचार करें ।

कुछ सुझाव जिनका अनुमोदन मैं भी करना चाहता हूं इस प्रकार हैं—पहिला—मिनिस्टर अपने दौरे कम किया करें । सही बात है कि मिनिस्टर्स यदि अपने दौरे कम करें तो कई बुराइयां जो आज शासन में दिखाई देती हैं और खास तौर से उसका ढीलापन, वह दूर हो सकती है, खर्चा कम हो सकता है और जिले में जो जिला प्रशासन है उसको बहुत से लोग यह दिखाते फिरते हैं कि हम मिनिस्टर साहब के कृपा पात्र हैं इसलिये उसको प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं तब उनको इसका बहाना नहीं मिलेगा । दूसरी बात यह है कि जब मिनिस्टर लोग अपना ज्यादा समय फाइलों के अध्ययन और अपने विषय में 'मास्टरी' (सुविज्ञता) हासिल करने में बितायेंगे तो स्पष्ट है कि उनके नीचे के जो प्रशासक होंगे वह डरेंगे श्रद्धालु बनेंगे और समझेंगे कि अब हम मनमानी नहीं कर सकते हैं । इसलिये हमें सरकारी नौकरों को कुछ नहीं कहना है बल्कि अपने मंत्रिमण्डल से कहना है कि वह अपने विषय पर 'मास्टरी एक्वायर' (सुविज्ञता) हासिल करें और हर विषय पर अपना फैसला देने की काबिलियत हासिल करें ।

दूसरा प्रश्न भाषा के संबंध में उठाया गया है । मैं भी समझता हूं कि जिस किस्म की हिंदी आज प्रशासकीय कार्यों में इस्तेमाल की जा रही है वह हिन्दी जनता की भाषा नहीं है । सरकारी काम, सरकारी योजनायें जनता तक तभी पहुंच सकती हैं और जनता में उनके प्रति उत्साह और सहयोग की भावना तभी पैदा कर सकते हैं, जब सरकार की सभी योजनायें जनता की भाषा में होंगी । इसलिये हमें हिन्दी को क्लिष्ट नहीं बनाना है, बल्कि साधारण जनता की भाषा बनाना है । हमारे सामने महात्मा बुद्ध जी ने एक उदाहरण पेश किया था जब कि उन्होंने अपने धर्म का प्रतिपादन जनता की भाषा में किया था । दूसरा उदाहरण स्वामी दयानन्द जी ने उपस्थित किया था जब कि उन्होंने आर्य समाज के सिद्धान्तों को जनता की भाषा में जनता के सामने रखा था, इसलिये हमें हिन्दी को सर्व साधारण की भाषा बनानी चाहिये ।

तीसरी बात यह कही गई है कि जिलाधीशों के पास यह आदेश जाने चाहिये कि वह विधायकों से ज्यादा से ज्यादा परामर्श किया करें। आज समय आ गया है जब कि विधायकों के सम्बन्ध में सरकारी लोग और जनता यह समझ ले कि इनकी जिम्मेदारी ऊंचे से ऊंचे सरकारी

अधिकारियों से ज्यादा होती है। विधायक जो काम करता है उसके लिये उसे जनता के सामने जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी मजबूरी किसी सरकारी कर्मचारी की नहीं होती बल्कि जो कुछ काम वह करता है उसकी जिम्मेदारी भी विधायकों के सर पर मढ़ी जाती है। इसलिये वांछनीय है कि जिला स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर जो कार्य हों वह विधायकों के परामर्श से हों और जहां तक सम्भव हो सके उनके विचारों के अनुरूप हों।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये जरूरी है कि सरकार के नैनीताल जाने से भले ही कुछ अधिक खर्चा होता है लेकिन स्थानीय गरीब लोगों की हालत सुधारने के लिये सरकार यह खर्चा पूर्ववत् बर्दाश्त करती जाय। मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूं और सरकार से तथा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार नैनीताल जाने या न जाने के संबंध में अविलम्ब अपना निर्णय घोषित कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी यंत्र कार्य—दक्ष हो और देश के प्रति वफादार हो और कर्त्तव्य परायण हो। इसके लिये ऐसी स्थितियां हमें पैदा करनी होंगी कि सरकारी यंत्र या नौकरशाही से जिन सूबियों की अपेक्षा करते हैं वे पैदा हो सकें। पहाड़ के जितने विधायक थे उन्होंने सरकार के सामने एक सुझाव डेढ़ दो साल पहले रखा था कि हम लोग बहुत पिछड़े हुये हैं, इसलिये पहाड़ के जिलों में ऐसे जिलाधीशों को भेजें जिनको काफी अनुभव हो और उन्हें इतने समय तक वहां रहना चाहिये कि वे वहां की विशेष परिस्थितियों से परिचित हो सकें और वहां की परिस्थितियों को देखकर अपनी योजनायें बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें। अफसोस है कि हमारे इस आग्रह के बावजूद मैंने अपने जिला पौड़ी-गढ़वाल में ४ साल में ५ जिलाधीश देखे हैं। उन जिलाधीशों में सब में अपनी अपनी खूबियां थीं। पहले जिलाधीश की सभी बातें पांडित्यपूर्ण हुआ करती थीं इसलिये जनता का बहुत भरोसा उन पर था। दूसरे जिलाधीश जो हमारे यहां आये वे किसी भी विषय पर भी तात्कालिक निर्णय दिया करते थे इसलिये वे काफी लोकप्रिय हो गये। तीसरे जिलाधीश जो आये वे दृढ़ता से काम करने वाले तथा न्यायप्रिय थे और इसकी वजह से मशहूर हो गये थे और लोग उनसे बड़ी-बड़ी उम्मीदें करते थे। चौथे जिलाधीश लोक भावनाओं का आदर करते थे इसलिये लोकप्रिय हो गये थे और ५ वें जिलाधीश जो इस समय कार्य कर रहे हैं उनकी कार्य-दक्षता तथा कार्य करने में उत्साह को देखकर जनता बड़ी प्रसन्न है। लेकिन मैं सुन रहा हूं कि उनका भी तबादला हो रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो मौजूदा जिलाधीश महोदय हैं उनको कुछ समय तक मेरे जिला पौड़ी-गढ़वाल की सेवा करने का मौका दिया जाय और लोगों को वहां यह महसूस न होने दिया जाय कि वहां जो भी जिलाधीश आयेगा, अगर वह अच्छा काम करता है तो उसको वहां से एकदम तब्दील कर दिया जायगा और उसकी जगह पर दूसरा जिलाधीश वहां नियुक्ति किया जायगा जो सरकार की नजरों से किसी प्रकार उतरा हुआ है, यही भावना वहां काम भी कर रही है।

श्रीमन्, मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिलाधीश पहाड़ी जिलों में इस प्रकार से तत्काल और बार बार तब्दील न किये जायं क्योंकि पहाड़ की विशेष स्थितियां होती हैं उनको समझने के लिये हर एक जिला अधिकारी को कुछ समय चाहिये। इसके बाद वह अपनी योजनायें बनाता है और तब उनको कार्यान्वित करता है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री स्वयं भी पहाड़ी बन गये हैं मगर उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि पहाड़ की भलाई इसी में है कि वहां के जिलाधीशों को वहां काम करने का पूरा-पूरा मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उत्तराखंड के विषय में निवेदन करना चाहता था। मैं उत्तराखण्ड कि योजना को समझ नहीं पाया हूं। मेरी समझ से यह एक दोगली प्रशासकीय व्यवस्था है

[श्री नरेन्द्रसिंह भण्डारी]

मैंने दोगली प्रशासकीय व्यवस्था इसलिये कहा कि पिथौरागढ़ चमोली और उत्तर काशी में जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं वे न लोकहित की भावना से काम करते हैं और न कोई ऐसा काम करते हैं जो कभी लोग भावना के अनुरूप हो। कदाचित इसके लिये वे नियमतः मजबूर भी हों क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे जिलों में परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है उन्हें कोई भी वित्तीय या प्रशासकीय अधिकार नहीं दिये गये हैं। उनका काम केवल प्रशासन को मदद देना है। ऐसी जब योजना हो तो वे लोक भावना के अनुरूप काम कैसे करें? अगर लोक हित की भावना से काम हुआ होता तो चमोली जिले में जो धनपुर पट्टी है वह उसमें अब तक शामिल कर दी गयी होती। हर तरह से धनपुर पट्टी चमोली जिले का अंग है। चमोली जिला और धनपुर की जनता चाहती है वहां की जिला परामर्शदात्री समिति चाहती है कि इस पट्टी को चमोली जिले में शामिल किया जाय, लेकिन हमारी किसी बात का आदर नहीं किया जाता और कोई भी बात नहीं सुनी जाती। इसलिये धनपुर अभी तक चमोली से अलग है, जो सर्वथा गलत, अवांछनीय और अन्यायपूर्ण है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि अगर लोकहित की भावना से काम होता तो अब तक अगस्तमुनि और तलवाड़ी स्कूलों का प्रान्तीयकरण हो गया होता। हमसे कहा जाता है कि हम इन स्कूलों का प्रान्तीयकरण इसलिये नहीं करना चाहते कि जनता को कुछ इनिशियेटिव कार्य-प्रेरणा मिले जिससे जनता को कुछ संस्थायें खोलने और चलाने का अनुभव हो, लेकिन जो जनता कहती है कि हम इन स्कूलों के बोझ से सन् ४४ से पिस गये हैं, हम इन संस्थाओं के व्यय और संचालन भार को अब एक दिन भी वहन नहीं कर सकते अगर उस जनता की भावना का आदर न होता हो तो मैं समझता हूं कि यह कम से कम मेरे लिए एक बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि मुझे उस जनता का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए शर्म की बात इस लिये भी है क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड का निर्माण इस लिये हुआ, करोड़ों रुपया इसलिये बिछाया जा रहा है कि वहां की जनता की कुछ भलाई हो सके लेकिन जब मैं देखता हूं जिन कामों को जनता ने किया है उन कामों को सरकार मान्यता नहीं देती तो जनता की भलाई कैसे हो सकती है? बाहर के लोग और यह आदरणीय सदन समझता हो कि वहां जन-कल्याण के लिये बहुत कुछ हो रहा है और असलियत की कैफियत इस प्रकार हो तो वह शर्म की बात नहीं तो क्या है? मेरा आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वहां की जनता के कल्याण के लिये जो उचित सुझाव समय-समय पर दिये जाते हैं उन पर वे ध्यान पूर्वक विचार करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मान्यवर, मैं भाई राजनारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

इस सामान्य प्रशासन पर विवाद के समय इससे पूर्व कि मैं उन चीजों की चर्चा करूं जो प्रदेश से सम्बन्धित हैं आज देश की सुरक्षा का जो सवाल है यद्यपि यह केन्द्र का सवाल है लेकिन हमारे प्रदेश के प्रशासन से बड़ा सम्बन्ध है, क्योंकि इस प्रदेश की पी० ए० सी० हमारे प्रदेश की सीमा पर है इसलिए उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सीमा पर हमारी जो पी० ए० सी० है या जो कुछ व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। जब कि तिब्बत की तरफ क्वार्टर्स बने हुये हैं हमारे सिपाही जाड़े के दिनों में टेंट्स में रहते हैं। मुझे यह कहने में ऐतराज नहीं है कि मेरे जैसे इस देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें भारतवर्ष के सुरक्षा मंत्री की नेकनीयती में शुबहा है। लेकिन अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री की राष्ट्रवादिता में हमें कोई शुबहा नहीं है। मैं आशा करता हूं कि पी० ए० सी० के सिपाहियों का मारल ऊंचा करने के लिये उनकी दशा सुधारने के लिये और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे।

अभी पहाड़ की तमाम बातें आयीं, मैं उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। हमारे पहाड़ के मित्र माननीय नरेन्द्रसिंह जी अभी बोल रहे थे। सभी पहाड़ी मित्रों ने कहा कि सरकार को पहाड़ पर जाना चाहिये और इसलिये पहाड़ पर जाना चाहिये कि वहां गरीब लोग बसते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रदेश के एक छोटे से खंड की गरीबी को हटाने का तरीका यह है कि वहां जाकर वहां के लोगों को कुली की हैसियत से, बेटर की हैसियत से या चाय वाले की हैसियत से कुछ पैसे मिल जायं। इससे वहां की आर्थिक दशा बदलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि यह समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है। यह बड़ा व्यक्तिवादी और पूंजीवादी दृष्टिकोण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को न ले जाकर, वह भाग जो सीमा पर पड़ता है, उसमें टूरिज्म डेवलप किया जाय। सरकार के मंत्री जिन घरों में रहते हैं, उनको टूरिस्ट्स को दिया जाय, या दूसरी सुविधाएं दी जायं, इससे अधिक पैसा उन गरीबों को मिलेगा। वहां के विकास के लिए अधिक रुपया खर्च करना चाहिए।

यह बात मेरी समझ में आती है लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि उनकी गरीबी का अनन्त काल तक मजाक उड़ाया जाय और आगे भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाय। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी पहाड़ी हो गये हैं, इसलिए उन पर प्रेशर पड़ेगा और इस हाउस में लोग कहने लगे हैं कि गरीबों की व्यवस्था कीजिये लेकिन यह गरीबों की व्यवस्था नहीं, बल्कि उनकी गरीबी का मजाक है। चाहिए यह कि उनकी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार बदली जाय जिससे वे परमुखापेक्षी न बने रहें। उनका आर्थिक ढांचा, आत्मनिर्भरता पर अधारित हो, न कि यह कि हर साल बाहर से कुछ लोग आयें, एक महीना काम करें और ११ महीने उससे अपनी जिन्दगी चलाएं। मैं समझता हूं कि यह पहाड़ी लोगों का अपमान है, उनकी गरीबी का मजाक है।

जब कांग्रेस स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ती थी, जबकि और लोग भी कांग्रेस से सम्बन्धित थे और आज जो बहुत से लोग कांग्रेस में हैं वह उस समय नहीं थे, तो उस समय यह कहा जाता था कि अंग्रेज नैनीताल में और मंसूरी में मौज करता है। इसके लिए हमने अंग्रेजों को बड़ी गालियां दी हैं। क्या वे बातें हम भूल गये? इसका मतलब यह है कि अंग्रेज भी नैनीताल, वहां के लोगों की गरीबी दूर करने जाया करता था। मैं समझता हूं कि पहाड़ पर जाना, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनकी गरीबी का मजाक उड़ाना है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा न चाहें कि बराबर पहाड़ के लोग बैकवर्ड बने रहे ताकि यहां कोई कठिनाई हो तो वहां से आने में आसानी हो। आप उनका आर्थिक विकास कीजिये जिससे कि उनको आपकी तरफ देखना न पड़े।

दूसरी बात जो बड़ी ही दुखद और शर्मनाक हुई है वह है साम्प्रदायिक शक्तियों का देश में प्रचार। फिरकापरस्त ताकतें आज सारे देश और प्रदेश में बढ़ रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां इस साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए फिरकाप्रस्त ताकतें जिम्मेदार हैं वहां यह सरकार भी उस जिम्मेदारी से अलग नहीं है। सरकार इस फिरकाप्रस्ती की आंधी को दबाने में असमर्थ रही है। जिन अफसरों की जिम्मेदारी इस प्रकार की फिरकापरस्त मनोवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए ठहरायी गई, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उलटे उनकी तरक्की हुई है। मजबूती के साथ इस चीज को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जहरीले साहित्य का वितरण होता है उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं गाय का फोटो बना दी, कहीं किसी की फोटो बना दी, इस तरह से जो लोगों के दिमाग को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जो लोग इस तरह काम करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। यह जो इस तरह का एक प्वायजनस प्रोपेगेण्डा देश की एकता को बिगाड़ रहा है उनकी तरफ देश का और सरकार का ध्यान होना चाहिए।

[श्री गौरीशंकर राय]

इसी के साथ दूसरी तरफ यह जो ऐंटी नेशनल फोर्स जिनकी निगाह बार्डर और चाइना की तरफ है उनको और भी ध्यान देने की जरूरत है। आज देश को भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से खतरा है और सामान्य प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि चाहे वह भीतर का खतरा हो, चाहे बाहर का खतरा हो दोनों को वह मजबूती से संभाले। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में सामान्य प्रशासन की एक विशेष जिम्मेदारी है और सरकार को एक विशेष तरीके से सोचने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, अब मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश की उस दास व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कि हमारे ये चपरासी कान्सटेबिल और पतरौल वगैरह आते हैं। अभी नेशनल हेराल्ड में एक लेख निकला था कि चपरासी किसी अफसर साहब के लड़के या लड़की को इम्तहान दिलाने ले जा रहा है, किसी की तरकारी ला रहा है। मैं कह सकता हूं कि बड़े-बड़े उच्च अधिकारियों के घरों में सरकारी चपरासी कुक की हैसियत से काम करते हैं। और स्टेनों उनके घर का काम देखते हैं। एक स्टेनों अगर आपके दफ्तर का काम करता है तो दूसरा घर का सारा काम देखता है। तो इस तरह की दास प्रथा सरकारी अधिकारियों की लाइन से हटनी चाहिये और चपरासियों का घरेलू कामों के लिये इस्तेमाल बन्द होना चाहिये। आज सारे प्रदेश में इस सिलसले में बड़ी आवाज उठती है कि सिपाहियों से इस तरह के काम न लो उसकी जगह चपरासी रख लिए जायं और चपरासी रखे भी गए लेकिन आज भी सिपाहियों से उसी तरह काम लिया जाता है।

५८ से ५५ करने की बात कही गई। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के अवकाश की उम्र ५५ साल रहनी चाहिये। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी बात समझ में नहीं आती है कि ५८ साल उम्र है तो उसमें एक्सटेंशन देने की क्या जरूरत हो जाती है? आज १४, १४ साल से एक-एक आदमी यहां सेक्रेटेरिएट में पड़े हुए हैं उनकी अवस्था ५८ से ऊपर होती चली जा रही है। कोई टेकनिकल लोग भी वह नहीं हैं लेकिन उनको एक्सटेंशन देने की हमदर्दी पता नहीं क्यों इस सरकार को पैदा हो गई है। रिहेंडडैम की बड़ी कटु आलोचना यहां हुई। वहां के एक इंजीनियर साहब हैं, के० सी० गुप्ता या क्या नाम है उनकी उम्र ६१ साल हो गई है लेकिन सरकार की हमदर्दी इतनी है और उसका दिल इतना चौड़ा है कि बराबर एक्सटेंशन दिये जा रही है। तो यह एक्सटेंशन देने की प्रवृति समाप्त होनी चाहिये। इससे फेवरिटिज्म और नेपोटिज्म बढ़ता है।

एक और बात कहना चाहता हूं। यह सरकार सामान्य प्रशासन के जरिये अगर प्रजातांत्रिक भावनाओं को दम नहीं देती है जो प्रजातंत्र का फल है, उसको मजबूत नहीं बनाती है तो देश का भला होने वाला नहीं है। यहां इतने भाषण होते हैं, दफा ५२ के सवाल आते हैं और सारे प्रश्न और उत्तर होते हैं अखबारों में समाचार छपते हैं कोई तवज्जह उनकी तरफ नहीं दी जाती। प्रेस पार्टी और प्लेटफार्म यह तीन इस जनतंत्र व्यवस्था के तीन मुख्य हिस्से हैं। लेकिन सरकार इनकी तरफ मुखातिब नहीं होती है। न यह सरकार प्रेस की तरफ मुखातिब होती है, न पार्टी की तरफ मुखातिब होती है, न प्लेटफार्म की तरफ मुखातिब होती है और आज वह इस हाउस की तरफ भी मुखातिब नहीं होती है। इतनी बहस जो सारे जिलों की यहां होती है उसमें जितनी शिकायतें आती हैं सरकार के अधिकारी आज यह सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि यह शिकायतें कहां तक जा रहे हैं और कहां तक बेजा हैं। इस तरह से जो यह नौकरशाही का तंत्र है वह प्रभावशाली हो रहा है और प्रजातांत्रिक तंत्र समाप्त होता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

मैं माननीय नवलकिशोर जी की उस बात से सहमत हूं और यह दोहराना चाहता हूं कि यह स्पेशल पे का बखेड़ा हटना चाहिये। अगर सौ में पांच आदमियों को कोई स्पेशल पे दी जाय तब तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन अगर ९५ को दी जाय तो उसको स्पेशल पे कहने का क्या हक है? और यह स्पेशल पे भी ८ सौ रुपये से ऊपर की तनख्वाह वालों को,

और आई० सी० एस और आई० ए० एस० वालों को मिला है। उनको उसकी क्या आवश्यकता है। जो पे उनको मिलती है अगर गवर्नमेंट उससे संतुष्ट नहीं है तो बढ़ा दे उनकी तनख्वाहों को ट्रेजरी उनके हाथ में ही है लेकिन स्पेशल पे के नाम पर अफसरों में ग्रूपबाजी को बढ़ावा मिलता है? किलक होती है और पार्टीबाजी होता है और यह होता है कि चीफ सेक्रेटरी ने फला को स्पेशल पे वाली जगह पर रख दिया और हमको नहीं रखा तो पार्टीबाजी शुरू हो जाती है। और यह नहीं है कि किसी एक दो जगह पर स्पेशल पे हो, ९० प्रतिशत ऐसे जगहों पर ऐसे आफिसर हैं। करीब साढ़े सात सौ अधिकारी हैं जो स्पेशल पे पाते हैं।

एक बात और कहूं, नवल किशोर जी ने पार्टीबाजी की बात कही कि अफसरों में पार्टीबाजी नहीं होना चाहिये। मैं कहता हूं कि पार्टीबाजी विधान सभा में तो हो क्यों कि यह प्रजातंत्र के लिये आवश्यक है लेकिन अफसरों में पार्टीबाजी का प्रयोग किया गया तो उससे देश का क्या हाल होगा? हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने जब वे यहां आये थे तब कहा था कि प्रदेश कांग्रेस के चुनाव में सरकारी आफिसरों से काम लिया जा रहा है वे भाग ले रहे हैं। अब मैं इन दोनों ही सज्जनों की बात को कैसे झूठ मान लूं। जब सरकारी अधिकारियों की यह हालत है कि वे जब यह जानते हैं कि कभी आप और कभी वे बादशाह हो सकते हैं तब भी आपके खिलाफ उनको इस्तेमाल किया है तो इधर के बैठने वालों की क्या हालत है उनका तो खुदा हाफिज है। भगवान के नाम पर अपने आफिसरों का प्रयोग ग्रुप के लिये पार्टी के लिये न कीजिये वरना देश का नक्शा बदल जायगा और जिस प्रजातंत्र और समाजवाद की बात आप कहते हैं उसका भविष्य धूमिल पड़ जायगा।

अब मैं जिले के प्रशासन के बारे में एकाध बात कहूं। इस्टेट्स चली गया, राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह और बलदेवसिंह और राजा साहबान का राज्य तो खत्म हो गयी, लेकिन एक-एक जिले में एक-एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजा है बहुत बड़ी कोठी है, लीची के, आम के, केले के फल लगे हैं कहीं पी० डब्ल्यू० डी० के आदमी काम करते हैं और कहीं इरीगेशन के आदमी काम करते हैं, माली लोग काम करते हैं और उनके सारे दरबार को सजाते हैं। कहने के लिये बहुत सी सत्य बातें हैं लेकिन मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता फिर भी इतना तो सत्य है कि आज प्रदेश में जिलाधीश जनता की सेवा करने के लिये है जिलाधीश कोई नवाब नहीं है। आज जिलाधीश का एक नवाबी क्लास बन गया है, पुराने जमींदार तो खत्म हो गये लेकिन अब यह नवाब जिले जिले में आ गये हैं और यह भी कहना चाहता हूं कि जिलाधीश ऐसे लोगों को बनाना चाहिये जो परमानेन्ट इम्प्लाईज हों। आई० सी० एस० आफिसर की जगह पर जो जापानी आफिसर आपने भेज रखे हैं उनको न भेजें वरना लीडरों की सिफारिश करते करते उनकी मौत हो जाती है।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि इस यू० पी० की विधान सभा को बड़ी मजबूती के साथ जबरदस्त प्रस्ताव करना चाहिये और केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये कि यहां के लिये अपर हाउस अनावश्यक है। अपर हाउस के लिये किसी अंग्रेज विद्वान का कहना है कि अपर हाउस बेकार है इसलिये कि "If they disagree they are mischieous, if they agree they are superfluous."

तो इस दरिद्र देश में, उसकी एकोनामी पर अपर हाउस को थोपना अनुचित है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिये।

इसके साथ ही जिलाधीश के कार्यों को विकेन्द्रीकरण करके उनके अधिकारों में कमी करनी चाहिये।

इसके साथ एकोनामी की जो बात कही गयी है उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर एकोनामी सही माने में की जाय तो उसका हर भला आदमी प्रदेश का हर

[श्री गौरीशंकर राय]

रहने वाला स्वागत करेगा। माननीय गोविन्द सहाय जी इस वक्त यहां पर नहीं हैं, लेकिन जब वे सोशलिज्म की बात करते हैं तब मैं सजग हो कर हाउस में बैठता हूं, कभी-कभी कन्फ्यूज्ड विचार वे सोशलिज्म के बारे में कहते हैं। वे यह कहते हैं कि हर सोशलिज्म एकोनामी में सरविसेज पर ज्यादा खर्च होगा। यह बात सोशलिज्म की एकोनामी के लिये नई मालूम होती है और यह उनकी अपनी परिभाषा है लेकिन सोशलिज्म और यह बात दोनों निहायत कंट्रेडिक्टरी हैं। सोशलिज्म की परिभाषा उनकी अपनी अकेली है एकोनामी के लिये। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जरा मिनिस्टरों के दौरों पर निगाह डाला करें तो एकोनामी का अन्दाजा लगेगा।

मैं अन्त में कहूंगा कि सरकारी अधिकारियों के एटीच्यूड को बदलने की जरूरत है। मैं कंसालिडेशन के सिलसिले में एक दरख्वास्त का जिक्र करता हूं कि आफिसर नाराज हो गये क्योंकि उन्होंने अपने फैसले को सम्मान का प्रश्न बनाया। उनके फैसले की अपील हुई। उनका फैसला ऊपर से बदल गया, लेकिन फिर अमल दरामद नहीं होने दिया। तो वह प्रेस्टिज का सवाल बना गया है। मैं कहना चाहता हूं आज साधारण प्रशासन में प्रेस्टिज का कोई सवाल नहीं आना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि १४ गजटेड आफिसर फूड ऐण्ड सिविल सप्लाईज में ह्वीटिंग स्कीम के अन्दर रखे गये थे, मुझे ऐसा बताया गया है। वह ह्वीटिंग की स्कीम तो चालू नहीं है लेकिन वे १४ आफिसर आज तक अपनी जगह पर हैं। अभी कल सवाल आया था मान्यवर, कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों के ३७ पद कायम किये गये बिना विधान मण्डल की स्वीकृति किये हुए। अब सरकार का जो फाइनेन्स विभाग है उसके बारे में भी बता दूं। वह बजट पेश करता है पास होता है और उसके बाद रुपया ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट को खर्च करने के लिये चला जाता है, लेकिन फिर भी उन पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट का चेक रहता है। आज जरूरत यह है कि फाइनेन्स को बजट पास हो जाने के बाद उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिये। उसे पहले इस्टीमेट के काम को देखना चाहिये, उसे इक्जामिन करना चाहिये और बजट पास हो जाने के बाद अपने को उससे अलग कर लेना चाहिये।

मैं उन लोगों से सहमत हूं कि जिनका यह विचार है कि प्रदेश का प्रशासन टाप हैवी हो गया है। चरण सिंह जी यह कहते हैं कि सिपाही नहीं बढ़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके यहां डी० आई० जी० बढ़े हैं। सेक्रेटेरियट में जिधर जाइये, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी न मालूम कितने सेक्रेटरी बढ़ते चले जा रहे हैं। वे सब ऊपर में बढ़ते जा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है। एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का सेपरेशन एक माकरी है। उसमें कहीं भी सेपरेशन नहीं हुआ है।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि अगर मुख्य मंत्री जी प्रदेश के प्रशासन को ठीक से चलाना चाहते हैं तो उसे वे ऊंचाई के साथ, समानता की दृष्टि से देखें तभी प्रदेश का भला हो सकेगा।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सामान्य प्रशासन पर दो दिन से बहस चल रही है और इस पर ५,८८,९५,५०० रुपया खर्च किया जाने वाला है। यह बजट सुरसा के बदन की तरह साल ब साल बढ़ता ही चला जा रहा है, महज इस आधार पर कि हम प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करेंगे और जनता को सुखी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेंगे और सारी मुश्किल को खत्म करके जनजीवन को सुखमय बना देंगे । इन बातों को लेकर यह बजट दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है इसके लिये हमारे देहात के लोगों पर इतना टैक्स लगा दिया गया है कि उनकी कमर टूटी जा रही है और वे कराह रहे हैं । आपके द्वारा जो सामान्य प्रशासन में धांधली चल रही है उसे मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं । अधिकारियों में जो धांधली चल रही है आज शायद इससे पूर्व कभी नहीं थी । भले ही हमारा मुकदमा सही हो, लेकिन रुपये की बौछार से सरेआम सत्य पर परदा डाल कर, झूठ के रास्ते पर गुमराह हो कर सत्य के विपरीत फैसला हो जाता है । मुवक्किल जब अदालत में जाता है तो चपरासी अंगूठे पर ऊंगली रख कर खनखनाता है, पेशकार, हाकिम परगना के बैठे रहने पर भी बगल से हाथ निकाल कर रुपया मांगता है, अपना इनाम चाहता है । यह अदालतों में सरे आम व्याप्त है और इसको समाप्त करने के लिये सरकार से कई बार मांग भी की गयी, लेकिन अभी तक इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई योजना नहीं बन सकी ।

अब मैं दो-एक मिसालें सामान्य प्रशासन के लिये रखना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक उदयी का पुरवा है । जब मैं वहां गया तो देखा कि जो रास्ता निकाला गया था उसको दोनों तरफ के लोगों ने दबोच लिया है । इतना भी रास्ता नहीं था कि आदमी आराम से निकल सकता । इसलिये जनता ने कार्यवाही के लिये दरख्वास्त दी । हाकिम परगना विघना की अदालत में केस गया और शिकायत करने के कारण मुझे तलब किया गया । मैंने जो बयान दिया उसके बाद हाकिम परगना ने यह मुनासिब समझा कि मौके पर उसकी जांच की जाय । हाकिम परगना महोदय मौके पर गये और उन्होंने वहां जाकर देखा कि जो कुछ मैंने कहा था वह सत्य था । उन्होंने यह आदेश दिया कि वह रास्ता सार्वजनिक रास्ता है । इतना कहकर वे वहां से चले आये । इसके बाद हमारे कुछ कांग्रेस भाइयों ने उनसे मिल कर .....

श्री उपाध्यक्ष—किसी खास न्यायालय के बारे में आप कुछ न कहें । दूसरी बात कहिये ।

श्री भजनलाल—तो मैं सिर्फ इतना बतला देना चाहता हूं कि इस तरह से आज जनता को गुमराह किया जाता है । उस मामले को बाद को बिलकुल समाप्त कर दिया गया ।

मैं एक दूसरी मिसाल अदालत के ही संबंध में और देना चाहता हूं । मेरे सवाल के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने यह बताया था कि वहां पर धन-क्षति तो हुई है मगर जन-क्षति नहीं हुई है । जनता को दिन दहाड़े लूटा जाता है । उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी ने बताया कि जन-क्षति नहीं हुई, किन्तु जब दोबारा दूसरा प्रश्न किया तो कहा "हां" उसी रात में ७ आदमी एक ही परिवार के डकैती में मारे गये । लेकिन बाद को जब वह मुकदमा चला तो सभी अदालत से छूट गये, किसी एक को भी सजा नहीं हुई । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ?

अब मैं एक बात अयाना ब्लाक के बारे में कहना चाहता हूं । अयाना ब्लाक एक बीहड़ इलाके में आबाद है । उस ब्लाक को तोड़ दिया गया है और उसको ओरइया ब्लाक में शामिल कर दिया गया है जो कम से कम १०-१२ मील की दूरी पर है । अयाना से संबंधित ६ अदालत पंचायतें हैं, जो जुहोखा गांव से १६-१७ मील दूर हैं । यह सारे इलाके बीहड़ इलाके हैं जो जमुना के किनारे आबाद हैं । उस ब्लाक को तोड़ने से जनता का सुख-चैन छीन लिया गया है । वहां की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है । माननीय मंत्री जी वहां तशरीफ भी ले गये थे और उन्होंने देखा था कि वह एक बीहड़ इलाके में है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अयाना ब्लाक की तरफ ध्यान दिया जाय और उसे एक ब्लाक बनाया जाय ।

अपने जिले की एक और बात को कहना चाहता हूं । हमारे जिले में एक महेवा सेन्टर बनाया गया था जहां पर हिन्दुस्तान भर के लोग वहां के विकास कार्य को देखने के लिये आते हैं ।

[श्री भजनलाल]

अमेरिका और जापान तक के लोग वहां के विकास का दिग्दर्शन करने आते हैं । किन्तु वहां आज ब्लाकों के तीन काम रह गये हैं---नक्शा, मीटिंग और सलाम । नक्शा बनता है, उसके बाद मीटिंग होती है, और फिर मीटिंग समाप्त होने पर सलाम करके लोग चले जाते हैं । उसके अलावा आज कोई और काम नहीं होता है । इस ओर ध्यान देने की जरूरत है । जो भी नक्शे बनाये जाते हैं वे फेल होते हैं । कारों को हमारे अधिकारीगण अपने निजी प्रयोग में लाते हैं ।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि आज प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है । कहीं अच्छा हो यदि आप चौखम्भा राज्य की नीति को स्वीकार कर लें और प्रदेश को ग्राम पंचायत के इकाई राज्य को सौंप दें तो शासन कहीं अच्छा चल सकता है । बशर्तेकि उनसे संबंधित पतरौल, लेखपाल, कांस्टेबिल और अध्यापक वर्ग उन ग्राम पंचायत से संबंधित कर दिया जाय और उनकी बरखास्तगी, तरक्की और तनज्जुली उन्हीं के अधिकार में हो । तो मैं समझता हूं कि इकाई से जिस समय यह चलेगा तो बेहतर होगा, उसके बाद जिला पंचायत और फिर सूबा पंचायत, और केन्द्र पंचायत ।

एक बात यह है कि आज जो प्रशासन और अदालत में काम होता है वह बिलकुल अंग्रेजी में होता है । वादी का वकील अंग्रेजी में बहस करके प्रतिवादी से मिल जाता है । अपना पैसा खुद वकील लेता है और प्रतिवादी से भी रुपया वसूल कर लेता है और मौज से गिटपिट वाली भाषा में बात करके मनमाना अपना काम करता है । वादी मुझे ही समझ लीजिये, मैं अंग्रेजी नहीं समझ पाता हूं । मनमाना वकील ने रुपया ऐंठा और जब फैसला सुनने की तारीख हुई तो मैं तो यह समझा कि वकील साहब तो डटकर लड़े हैं और फूलकर कुप्पा हो गया, फूला नहीं समाया और जब फैसला खिलाफ चला गया तो माथे पर हाथ टेक कर रह गया । तो हमारा तो माथा फूट गया । मैं समझता हूं कि जिसको राज्य भाषा माना जाय, जो प्रमुख भाषा हो, उस राज्य की अदालत सारा अपना काम और राज-काज का काम उसी राज्य भाषा में चलाये, ताकि वहां की जनता ठीक न्याय और इंसाफ प्राप्त कर सकें ।

अन्त में मैं चाहूंगा कि जो मैंने तथ्य रखे हैं उनको मंत्री जी विशेष ध्यान करके कार्य के रूप में परिणत करने की कृपा करेंगे ।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कल से बहस हो रही है और मैं भी काफी गौर से सुन रहा हूं । बहस के दौरान में इकोनामी के बारे में बार-बार जिक्र हुआ और माननीय मुख्य मंत्री ने जो इकोनामी कट का जेस्चर दिखाया है, उसके बारे में काफी सदन में बड़ाई हुई है । मैं अपने को उस बड़ाई में सम्बद्ध करना चाहता हूं कि जो कट उन्होंने किया उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस कट से यह समझ लेना कि कोई खास ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर असर पड़ा या नीचे तक उसका असर आता है, यह गलत होगा। असल बात यह है कि जो कट हुआ है, वह अपनी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं उन्हीं में हुआ है, और मैं समझता हूं कि नीचे के ऐडमिनिस्ट्रेशन में रत्ती भर भी असर नहीं हुआ है । मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत ऊंचे आसमान से एक आध बूंद पानी डाल दिया जाय तो जैसे वह हवा ही में शामिल हो जाता है, यही इसका असर है । नीचे ऐडमिनिस्ट्रेशन में बिलकुल असर नहीं है और जिस तरह से फजूल खर्चा और बरबादी रुपये की अब तक होती चली आती थी, उसी तरीके से जारी है । तो मैं समझता हूं कि इस इकोनामी मेजर को जरूर आगे बढ़ाया जाय ।

जहां तक आंकड़े का ताल्लुक है, इतने हाई सैलरीड आफिसर्स हैं, यह माना कि कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवाइडेड नहीं है कि उनकी सैलरीज कम की जायं, लेकिन आगे सैलरीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के स्केल्स लो हों, ऐसा किया जा सकता है । मुझे कोई दलील समझ में नहीं आती कि तनख्वाह १००० रुपये से ज्यादा क्यों रखी जायं । ३–३ हजार पाने वाले जो आफिसर्स हैं उनका १०० रुपये रोज का हिसाब बनता है । इस तरह से सैलरीज देने से क्या फायदा ? १०० रुपया जिनको मिलता है, रोजाना, वह क्या खाते हैं ? जिन्दगी की जरूरियात को चलाने के लिए मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स को उतना ही मिलना चाहिये जितनी जरूरत है, और ज्यादा नहीं । जितनी ज्यादा तनख्वाह होगी उसका उतना ही गलत असर पड़ेगा और लग्जरीज में ज्यादा खर्च होगा । माननीय सीताराम शुक्ल ने कहा था कि ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिये ताकि वह ज्यादा आराम से रह सकें और सोच सकें । लेकिन ज्यादा तनख्वाह देने से तो एक गलत असर पड़ेगा एक गलत तरह का रुख पैदा होता है और मैं समझता हूं कि ज्यादा तनख्वाह कभी-कभी डिबाचरी की तरफ ले जाती है और गलत तरीके के काम सिखाती है ।

मैं समझता हूं कि बचत करने पर उनके पास आखिर में काफी रुपया इकट्ठा हो सकता है तो रिटायर होने पर वह उस रुपये को एक्सप्लायटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं । इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । अगर इस समय कांस्टीट्यूशनल डिफीकल्टी की वजह से आफिसर्स की तनख्वाहें कम नहीं की जा सकती हैं तो आगे के लिये ऐसे स्केल्स रखे जायं जो हजार रुपये से ऊपर न हों । उपाध्यक्ष महोदय, हाई सेलरीड आफिसर्स की तनख्वाह कम करने के लिये कुछ चीजें और भी की जा सकती हैं । आज एजूकेशन में गरीब और अमीर को बराबर फीस देनी पड़ती है । हाई सैलरीज आफिसर्स के बच्चों की फीस उनकी सैलरी के हिसाब से चार्ज करनी चाहिये । यह हो सकता है कि कुछ आफिसर्स ज्यादा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आमदनी के हिसाब से एजूकेशन लेवी लगाई जाय । दूसरी बात यह है कि आज जितना ही बड़ा आफिसर होता है उसको उतनी ही ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं । कोई कारण नहीं है कि वह आफिसर्स अपनी जेब से इलाज न करा सकें । मैं चाहता हूं कि हाई आफिसर्स की मेडिकल फैसिलिटीज बन्द कर देनी चाहिये ।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई चीजें कही गईं । खासकर यह कहा गया कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हेवी है । मैं एग्री करता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हेवी है । उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन जांचने के लिये तीन-चार बातें होती हैं, जैसे ऐडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शल होना चाहिये, आनेस्ट होना चाहिये, लायल होना चाहिये और एफीशिएन्ट और एप्रोएबिल होना चाहिये । अगर इन सारी चीजों को आज के एडमिनिस्ट्रेशन पर एप्लाई किया जाय तो वह बिलकुल निकम्मा साबित होता है । वह न तो इम्पार्शल है क्योंकि जाति-पांति और ऊंच-नीच का भेद-भाव किया जाता है । आनेस्टी और इम्पार्शियलिटी दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं इसलिये आनेस्टी भी नहीं है ।

इसके अलावा ऐडमिनिस्ट्रेशन को लायल होना चाहिये । गोविन्द सहाय जी ने कल यह कहा कि प्लानिंग के जमाने में एग्जीक्यूट करने वाले को प्लानिंग में फेथ होनी चाहिये । मैं मानता हूं कि प्लानिंग में फेथ होनी चाहिये लेकिन उसका लगाव किसी पार्टी से नहीं होना चाहिये, उसको इम्पार्शल होना चाहिये और उसको गवर्नमेंट की बात माननी चाहिये वह गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की हो या किसी दूसरी पार्टी की । मैं इस सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह सकता हूं कि जितना डिसलायल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उतना यह है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो एक ऐब एटीट्यूड का कहा करते हैं कि उस एटीट्यूड को बदलना चाहिये लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस तरह से बदला जाय । हमने जो ऐडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिट किया है उसके रुख में आजादी के बाद १३–१४ सालों में कोई तब्दीली नहीं आई है । उनके रुख को बदलने के दो चार तरीके हो सकते हैं । एक

[श्री वीरसेन]

तो "राइट सबार्डिनेशन आफ दी पोलिटिकल सावरेन" । मैं देखता हूं कि राइट सबार्डिनेशन कहीं नहीं होता है । जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं वह भी गौर नहीं करते हैं कि राइट सबर्डिनेशन हो रहा है या नहीं । जिलों में मेरी नोटिस में ऐसी कमेटीज भी आई हैं जिनमें तहसीलदार के सबार्डिनेशन में मेम्बर्स को बैठने के लिये बुलाया गया जहां पर पोलिटिकल रिप्रेन्जेटेटिव्ज के साथ यह बात हो वहां पर राइट सेन्स आफ सबार्डिनेशन पैदा नहीं हो सकता । कोई भी कमेटी हो, छोटी या बड़ी, उसमें कितने ही बड़े आफिसर्स क्यों न हों, लेकिन उसका चेयरमैन नान-आफिशियल होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आफीसरों के साथ में जो बहुत से चपरासी रहते हैं, उनको हटाया जाय । उनको केवल एक मैसेन्जर की शकल में ही रखा जाय। करप्शन का बराबर जिक्र किया जाता है । लेकिन जब आफिसर लोग चपरासियों से अपने घरों का काम लेते हैं, जो कि तनख्वाह सरकार से पाते हैं, तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि करप्ट कौन है । इसलिये इस तरह की जो प्रैक्टिस है वह समाप्त की जानी चाहिये ।

एक बात और है । जब कभी किसी की शिकायत की जाती है तो उसकी जांच सरकारी आफीसरों द्वारा करायी जाती है । अब उनमें तरह-तरह के कम्प्लेक्स होते हैं । इसलिये जो शिकायत होती है, उसका ठीक तरह से पता नहीं चल पाता है । मैं समझता हूं कि डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी का सिस्टम बन्द होना चाहिये । उसकी इंक्वायरी करने के लिये एक नान आफीशियल बाडी होनी चाहिये । ऐसा होने पर राइट सबार्डीनेशन भी हो सकता है । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अधिकारी जनता का आदर नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि अगर किसी आफीसर के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसकी नान आफीशियल बाडी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करने के बाद जो सजा वह रिकमेन्ड करे वह उन लोगों को दी जाय ।

आठ-नौ साल से बराबर यह मांग की जाती रही है कि वारंट आफ प्रीसीडेंस होना चाहिये। किसकी क्या पोजीशन हो इसके बारे में मालूम नहीं सरकार को तय करने में क्या दिक्कत है। अगर कोई फंकशन होता है तो आफीसरान और उनकी बीवियां पहले आकर बैठ जाती हैं और जनता के नुमाइंदे पीछे बैठते हैं । गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है कि इस कारण से बहुत से मेम्बरों ने तो फंकशन्स में आना ही छोड़ दिया है । यह चीज बहुत ही जरूरी है इसलिये कि अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन को जनता का लायल बनाना है तो आपको सही माने में उसका आदर कराना सिखाना होगा । आज जब जनता के अच्छे-अच्छे लोग मामूली-मामूली अधिकारियों द्वारा गुलाम की तरह देखे जाते हैं ।

ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक ला एण्ड आर्डर से और ला एण्ड आर्डर का ताल्लुक दो चीजों से है—पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन से और जुडीशियल एडमिनिस्ट्रेशन से । पुलिस के बारे में यहां पर बहुत चर्चा हुई है लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कह देना चाहता हूं । इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि पुलिस का पहला फंकशन यह है कि जनता को सिक्योरिटी मिले लेकिन आज वह नहीं है । आज अगर कोई आदमी यह भी कहे और किसी अधिकारी को यह सूचना दे कि मुझे मारे जाने का खतरा है लेकिन फिर भी उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती । नतीजा यह होता है कि उसका मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद इंक्वायरी होती है । इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात यह है कि पुलिस के एन्फोर्समेन्ट में बहुत गड़बड़ी होती है । जब कोई आफेन्स होता है, पहले तो वह दर्ज ही नहीं होता अगर होता भी है तो गलत तरीके से किया जाता है । अब अगर इंक्वायरी की तो उसमें कुछ न कुछ लेक्युना छोड़ दिया जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर ७५ प्रतिशत कैसेज छूट जाते हैं मर्डर के । आखों देखे

कत्ल छूट जाते हैं। अगर सेशन से सजा हो जाती है तो हाई कोर्ट से छूट जाते हैं, कारण उसका कुछ भी हो। मैं समझता हूं कि इसका असर यह हो रहा है कि लोगों में मर्डर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और सजा का भय खत्म होता जा रहा है। इस तरफ गौर किया जाना चाहिये कि पुलिस के आफिसर्स अगर ऐसे इंक्वायरी करते हैं कि कोई खामी उसमें रह जाती है तो वह उसके लिये जवाबदेह हों और जानबूझ कर गलती की हो तो सजा मिले।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह है कि चार्ज लगता है ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पार्शियलिटी का, जातिवाद का, साम्प्रदायिकता का। इनके बारे में और कास्टिज्म के बारे में मुझे कोई शुबहा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक यह मर्ज बहुत जोर पकड़े हुए है और इसको नेशनल मैलेडी समझना चाहिये। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और उसका एक कारण मैं यह समझता हूं कि हर एक आदमी चाहे किसी वर्ग का हो वह समझता है कि इस कास्ट के सिस्टम में उनके कुछ प्रिविलेजेज हैं; कुछ कम्प्लेक्सेज बने हुए हैं। आज ब्राह्मण नहीं चाहता कि उसे ब्राह्मण न माना जाय, ठाकुर नहीं चाहता कि उसे ठाकुर न माना जाय। जहां सोसायटी में उन्हें कुछ मान मिला है वहां कुछ इकानामिक फैक्टर्स भी हैं। कुछ उसके गुलाम बने हुए हैं, उनको वह नहीं छोड़ना चाहता है। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो लिप सर्विस करते हैं, लेकिन वाकई में कोई इस ओर गौर नहीं करता। इसके लिये दो तरीके हैं। एक पाजीटिव और दूसरा निगेटिव। पाजीटिव में यह है कि ऐसे कानून बनाये जायं कि बिना पढ़े लिखे आदमी को पंडित कहना, तरह तरह के सरनेम जैसे गुप्ता वगैरह रखना और उनका पूछना तथा बताना अपराध समझे जायं। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद इसमें पहल करें और अपने नाम में से गुप्ता को हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य प्रशासन पर विवाद सुनने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि आम तौर से इस बात को महसूस किया गया है कि पिछले १० वर्षों में हमारे शासन का जो स्वरूप बदला है, जो हमारे राज्य ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य रखे हैं उसके अनुरूप हमारी सर्विसेज का स्वरूप और उसका ढांचा नहीं बदला और यह बात सही है कि चाहे राज्य अपने आब्जेक्टिव्ज कितने ही बदल ले अगर उसको पूरा करने के लिये सर्विसेज का ढांचा नहीं बदलता है तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते।

इतना ही नहीं, हमारा प्रदेश इस मामले में और भी पीछे है और केन्द्रीय सरकार में इस बात की शिकायत की गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी मशीनरी इस प्रकार से कार्य कर रही है कि उसकी कार्यक्षमता इतनी गिर गई है कि जिस काम को दूसरे प्रदेश के लोग निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार उसे नहीं कर पाती। यह बात दूसरी है कि हमारे प्रदेश के कुछ व्यक्तिगत रूप से ऐसे अधिकारी रहे हैं कि जिनके काम की तारीफ सारे देश में हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश का जहां तक सवाल है यह स्पष्ट है कि पिछले १० वर्ष के अन्दर हमारे प्रदेश का यह ढांचा इस बात में बिलकुल नाकामयाब रहा है कि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सका हो। शासन के हर क्षेत्र के अन्दर पूरे देश के नक्शे में हमारा प्रदेश आज सब से अधिक पिछड़ा हुआ है।

आज बड़ी तेजी के साथ यह स्लोगन दिया जा रहा है कि हमें अपने शासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये, डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर्स करना चाहिये। मुझे खुशी है कि कल हमारे राष्ट्रपति ने भी सर्वोदय समाज के जलसे में भाषण करते हुए इस बात को कहा है, लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अफसोस है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन केवल एक नारे के रूप में ही किया है, सही माने में हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सेंट्रेलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। केबिनेट के स्तर पर दो तीन वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में नीतियों के बनाने का काम केन्द्रित है। जहां तक सेक्रेटेरिएट लेविल का सवाल है, चीफ सेक्रेटरी और दो तीन वरिष्ठ सेक्रेटरियों के हाथ में पूरी शक्ति का केन्द्रीकरण हो गया है। जिले के अंदर हम देखें तो मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि आज का जिलाधीश पूरे हिन्दुस्तान के पिछले कई सौ वर्ष के प्रशासकीय ढांचे के अन्दर सब से अधिक शक्तिशाली अधिकारी हो गया है। ही ऐक्ट्स लाइक ए डैस्पाट (He acts like a despot) आज उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं रह गई है।

श्रीमन्, यह कितनी खतरनाक बात है। जिस बात के लिये आजादी के दिनों में लड़ते रहे हैं शासन का विकेन्द्रीकरण करने के लिये, मैं पूछना चाहता हूं कि हमने जिला परिषद् के स्तर पर, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया और गांव सभाओं के स्तर पर शासन का विकेन्द्रीकरण कितना किया है ?

इतनी गांव सभाओं का निर्माण किया लेकिन उनका गांव प्रधान अपने को जन प्रतिनिधि नहीं वरन् सरकारी व्यक्ति की हैसियत से समझता है। उसको जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उससे वह आज महसूस करता है कि वह शासन का एक अंग है, सरकारी आदमी है। वह यह नहीं महसूस करता है कि वह जन प्रतिनिधि है। यह चीज बड़ी खतरनाक है। अगर इसको बढ़ने दिया तो आखिर में यह आगे चल करके प्रजातंत्र और समाजवाद के सारे उद्देश्य को समाप्त कर देगी।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सर्विस का आज आउटलुक बदलने की जरूरत है, रेडिकल चेंजेज होने चाहिये। आज उनकी ट्रेनिंग होती है, भरती के जो नियम बने हुए हैं, मैं बजट में देख कर हैरत में रह गया सामान्य प्रशासन में गांव सभाओं के मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिये ७,२०,००० रुपया रखा गया है और कहा गया है कि पिछले १० सालों में मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। यही कारण है कि गांव सभाओं का जो आउटलुक चेंज होना चाहिये वह नहीं हुआ। पिछले १० सालों में जब हमने गांव सभाओं का निर्माण किया तो हमने उनको प्रशिक्षित क्यों नहीं किया ? वहां से लेकर हमारे राज्य स्तर तक के अधिकारियों में घोर कंजरवेटिज्म भरी हुई है, उनका आउटलुक चेंज नहीं होता है। आज हमारे जो प्रगतिशील नारे हैं, चाहे समाजवादी हो, चाहे जमीन के बटवारे का हो अथवा सहकारी आन्दोलन का नारा हो, उनको सबोटाज करने के लिये पूरी मशीनरी प्रेशर डालती है। नतीजा यह होता है कि सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन अमल में लाने की जो मशीनरी है उसका आउटलुक इतना कन्जरवेटिव है, लागू करने का तरीका इतना पिछड़ा हुआ है कि सारे नारे, नीतियां कामयाब नहीं हो पाती हैं। यह एक गम्भीर चीज है जिस पर सोचना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे शासन के अन्दर अन्सर्टेनिटी हैं। यह सब से कमजोर कड़ी है। अगर असेम्बली कल बन्द होने वाली होती है तो आज तक निर्णय नहीं हो पाता है। कब बन्द होगी, कब खुलेगी क्या कार्य-क्रम होगा, जो प्रदेश की सब से बड़ी जन प्रतिनिधि संस्था है उसके खुलने और बन्द होने का समय न निश्चित हो सके ऐसी सरकार कैसे काम करेगी, यह सोचने की बात है। यह सब से बड़ी कमजोरी है। केन्द्रीय सरकार में भी यह कमजोरियां हैं, लेकिन पार्लियामेन्ट जब बन्द होती है तो उसकी तिथि पहले से मालूम होती है। कब खुलेगी और क्या कार्य-क्रम होगा यह महीनों पहले से निश्चित हो जाता है। यहां सरकार आज तक उसके ऊपर निर्णय नहीं कर पायी है।

इसके अलावा आज सरकारी अफसरान और गैरसरकारी व्यक्तियों के अन्दर काफी चौड़ी खाई दिन प्रति दिन चौड़ी होती जा रही है जिसकी शिकायत सभी माननीय सदस्यों ने की। यह गंभीर विषय है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि उसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो, अगर सरकार चाहती है कि उसका नियोजन का कार्य-क्रम पूरा हो, सहकारी आन्दोलन पूरा हो तो यह केवल सरकारी मशीन के बल पर पूरा नहीं हो सकता है। दुनिया के प्रगतिशील देशों का इतिहास साक्षी है कि एसे कार्यक्रम तभी पूरे होते हैं जब जनता का सहयोग होता है, गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग होता है। लेकिन हमारे यहां क्या है? हमारे यहां सरकार सोलह आने डिपेंड करती है सरकारी मशीनरी पर और जनता तथा उसके प्रतिनिधियों का सहयोग लेने का केवल एक नारा होता है। लेकिन अमल में कैसे पूरा किया जाय, उस खाई को कैसे मिटाया जाय। आज सदन में चारों ओर से आवाज उठ रही है कि एक राइवलरी की भावना पैदा होती जा रही है जिले के अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में यह बहुत खतरनाक बात है। सरकार को गंभीरता से इन सारी बातों पर विचार करना चाहिये।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश की जो दूसरी चीज है भ्रष्टाचार और नौकरशाही—नौकरशाही शब्द से हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री बहुत घबड़ाया करते थे, मैं नहीं जानता कि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री इन शब्दों से घबड़ाते हैं या नहीं, लेकिन यह असलियत है कि आज भ्रष्टाचार और नौकरशाही हमारे शासन के अन्दर घर कर गयी है। इसके बारे में बार-बार सुझाव दिये गये कि भ्रष्टाचार को अगर सही मानी में दूर करना है तो, जैसा गोरवाला कमेटी ने कहा था, एक परमानेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना करना चाहिये जो सही मानी में लक्ष्यों को सामने रखे और उनकी जांच करे। लेकिन पिछले भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस बात को मानने से अस्वीकार कर दिया। मैं नहीं समझता कि अगर एक जिलाधीश के खिलाफ कोई चार्ज लगाता है तो दूसरा जिलाधीश जो उसका कोलीग है कैसे निष्पक्ष रूप से उसकी जांच कर सकता है। इसलिये एक परमानेन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिये और जिस किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के चाजज हुआ करें तो उनकी जांच ट्रिब्यूनल के ही सदस्यों से करानी चाहिये तकि तथ्य हमारे सामने आयें।

आज पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की जो दशा है उसकी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह दशा अत्यन्त दयनीय है। बार-बार प्रश्न उठाये जाते हैं, लेकिन बावजूद सारे आश्वासनों के सरकार उस तरफ उपेक्षा की नीति बरतती है। हमारे प्रदेश की ७५,८० फीसदी जनता के जीवन के साथ अधिक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है उसका एक सब से बड़ा कारण यह है कि हमारी सर्विसेज के अन्दर कास्टिज्म की जो भावना पैदा हो गयी है वह भी इसके रास्ते में रोड़ा बन गयी है। मैंने देखा है कि अनुसूचित जाति के चपरासी को भरती करना होता है तो उच्च अधिकारी उसे भरती करने से इसलिये घबड़ाता है कि अनुसूचित जाति के चपरासी को भरती किया तो वह उसके घर पर काम नहीं कर सकता, उसका छुआ हुआ पानी वह नहीं पी सकता। आज सर्विसेज में केवल ३, ४ प्रतिशत उनकी संख्या है जब कि संविधान ने १८ प्रतिशत उनकी संख्या निश्चित की है, लेकिन पिछले १२, १४ साल में हम उसे पूरा नहीं कर सके। यह आज एक गंभीर बात है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इस सदन में यह जो भावना व्यक्त की गयी है कि रिटायरमेन्ट ऐज ५५ वर्ष होनी चाहिये उससे मैं सहमत हूं। किसी भी अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछली सरकार ने भूल की थी जो ५८ साल की अवधि निर्धारित कर दी थी। एक्सटेंशन की बात भी सदन में बराबर उठा करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी टेक्निकल मसले में खास माहिर है, उसकी योग्यता का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, विशेष परिस्थिति है तब तो यह बात समझ में आती है कि उसे एक्सटेंशन दे दिया जाय। लेकिन इस प्रदेश में देखने में यह आया है कि एक ही विभाग के अन्दर एक ही योग्यता के लोगों में कुछ को एक्सटेंशन

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात से हमारे प्रशासन के अन्दर अधिकारियों तथा कर्मचारियों में एक मायूसी फैलती है और इसका एक बुरा असर पड़ता है। इस चीज को भी सरकार को खत्म करना चाहिये।

अन्त में मैं जो बात माननीय गोविन्द सहाय जी ने कही थी उससे अपनी असहमति प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे आफिसर्स को जो टी० ए० मिलता है और उसमें कुछ एयर कंडीशन में ट्रेवल करते हैं उसे कंटिन्यु रखना चाहिये। समाजवादी व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कैसे उन्होंने यह बात कही मेरी समझ में नहीं आया। केन्द्रीय सरकार भले ही यह बात करती हो कि वह अपने अधिकारियों को ट्रेवल करने के लिये एयर कंडीशन देती है, लेकिन केन्द्रीय सरकार अपने उच्च अधिकारियों को अधिक पे भी देती है और हम उन स्केल्स को नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारे कर्मचारियों को यह प्राथमिकता देना कैसे उचित होगा? यह कहना कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट के अधिकारी एयर-कंडीशन में चलेंगे और हमारे अधिकारी नहीं चलेंगे तो उनमें एक मायूसी और भेद भाव की भावना पैदा होगी तो वह गलत चीज है और सरकार ने जिस काम को किया है वह सही है।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन के सम्मुख रखी है। मान्यवर, पिछली बार इस अनुदान के समय मैंने निवेदन किया था कि अगर हम इस दृष्टि से देखें कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कितना पिछड़ता जा रहा है तो यह एक बड़ी चिन्ता का विषय बन जाता है। मैं चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन पर विवाद के समय हम इस दृष्टि से भी देखें कि हमने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं और क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

मान्यवर, सारी दिशाओं का जिक्र न करते हुए केवल इतना निवेदन करूंगा कि हमारे स्टेट की जो इन्कम है पिछले दस वर्ष में केवल यू० पी० की इन्कम १३.८ बढ़ सकी है जब कि सारे देश की इन्कम ३२.१ बढ़ी है। इस तरह से हम सारे प्रदेशों से १८.२ की मात्रा तक पीछे हैं। पर कैपिटा इन्कम भी इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों की तुलना में जब कि सारे देश का ऐवरेज २४६ से २९१ पर पहुंच गया है हमारे प्रदेश का ५०-५१ के अनुपात से २५८.२६ के मुकाबले में २५९.२ है। मान्यवर, यह एक बड़ी चिन्ता का विषय हो जाता है और अगर इस ओर पूरी तरह से ध्यान न दिया गया तो कदाचित् प्रगति की घड़ी आगे चलने के बजाय पीछे को चलती दिखायी देगी। इसके लिये जैसा मैंने उस दिन भी संकेत किया था सब से बड़ा जोर हमें अपने यहां की इंडस्ट्रीज पर देना पड़ेगा और इंडस्ट्रीज की उन्नति से हम अपने प्रदेश की प्रगति को बढ़ा सकते हैं। हम हेवी इंडस्ट्रीज की दिशा में भी और काटेज इंडस्ट्रीज की दिशा में भी बहुत पीछे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रभाव को इस्तेमाल करके इस पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में और अधिक हेवी इंडस्ट्रीज लगाने में प्रयत्नशील हों।

दूसरी प्रार्थना मैं यह करूंगा कि जो हमारे यहां काटेज इंडस्ट्रीज पर अब तक बल दिया गया है मुख्य मंत्री जी इस दृष्टिकोण को बदलने की कृपा करें। काटेज इंडस्ट्रीज का जहां तक संबंध है, आज तक हम केवल लोगों को थोड़ी सी आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाये हैं। हमने उनको कोई टेक्निकल ऐडवाइस, कोई मोड़ नहीं दिया। केवल कुछ कर्जा दे देने से या कुछ सहायता दे देने से हम यह आशा करें कि काटेज इंडस्ट्रीज पनप सकती हैं, मैं इसको असंभव समझता हूं। और आज अगर प्रदेश की बड़ी भयंकर बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला करना है तो उसका सब से अच्छा और प्रभावशाली मार्ग काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना है।

मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे, मैं जानता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज के पोषक हैं, उसके पोषण में उनका विश्वास है, मैं उस विश्वास के आधार पर उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके लिये एक सेपरेट मिनिस्ट्री और एक सेपरेट डायरेक्टोरेट कायम करें और काटेज इंडस्ट्रीज के लिये भविष्य में जो सहायता दी जाती है केवल रुपये की वह न देकर उनको कोई दिशा दी जाय, उनको कोई मोड़ दिया जाय और जो रुपये की सहायता दी जाती है, जिसका अक्सर मिसयूज होता है, उसके बजाय उनको उन चीजों की सहायता दी जाय जो रा मैटीरियल्स उन काटेज इंडस्ट्रीज के लिये आवश्यक हैं या जो मशीनरी उस काटेज इंडस्ट्री को चलाने के लिये उनको आवश्यक हैं।

तीसरी बात मैं यह भी निवेदन करूंगा कि काटेज इंडस्ट्रीज की बात हो चाहे हेवी इंडस्ट्रीज की बात हो, इसमें जो हम पीछे हैं इसका कारण क्या है इस ओर भी हमको देखना पड़ेगा। अपने देश के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ही मैं यह देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कदाचित रेड टेपिज्म का जोर ज्यादा है। अगर हम इस लाल फीतेशाही को दूर नहीं करगे तो कदाचित हम उन अनुदानों को जो हमें मिलती हैं उनका भी प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पिछली योजनाओं में जो रुपया हम केन्द्र से प्राप्त कर पाये किसी अमुक इंडस्टी के बढ़ाने के लिये उसका भी प्रयोग हम नहीं कर पाये और इसका कारण यह था कि लालफीताशाही हमारे यहां इतने जोरों से चलती रहती है कि उसकी अवधि समाप्त हो जाती है और रुपये का प्रयोग नहीं हो पाता। तो मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां वे प्रदेश को इस दिशा में एक नया मोड़ दे रहे हैं वहां इस लालफीताशाही के खिलाफ भी एक जिहाद शुरू करें और इसे समाप्त करके एक ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था चलायें जिससे लोगों को सहायता मिल सके।

मान्यवर, चौथी बात जो करीब करीब सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कही और इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों की तरफ से संकेत किया गया है, वह इकोनामी मेजर्स की बात है, जो कांग्रेस की नवीन सरकार ने लिये हैं। कुछ लोगों ने तो उसका उपहास सा बनाया और कुछ लोगों ने यह कहा कि इन छोटी-छोटी बातों से कोई बड़ा कार्य नहीं बन सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि १०० मील के सफर में पहला कदम भी कुछ माने रखता है और पहले कदम से वह शुरू होता है। अगर हम एक ऐसा वातावरण पैदा करने के लिये अग्रसर हों, ऐसी क्लाइमेट हम पैदा करना चाहते हैं जिससे इकोनामी ड्राइव हो तो सब वर्गों को उसका स्वागत करना चाहिये और अपना सहयोग देना चाहिये। लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि यह चीज पैदा करने का जो श्री गणेश किया गया है वह सराहनीय है और हम उसके लिये कृतज्ञ हैं। लेकिन इसको एक लिविंग चीज बनानी होगी और निरन्तर प्रयत्नशील रहना पड़ेगा।

हमारे प्रदेश में पहले भी कमेटियां बनी हैं और १९५७ में एक इकोनामी कमेटी बनी थी। उसकी सिफारिशें पूर्ण रूप में तो नहीं आईं लेकिन आंशिक रूप में आई और उनका पालन हुआ। हमें बताया गया कि उनके कारण बहुत बड़ी-बड़ी रकमों की बचत हुई और आज भी ऐसा ही रुख है। अगर हम एक चीज शुरू करके बराबर विजीलेंट न रहें तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है और ढिलाई आनी शुरू हो जाती है। अभी काफी गुंजाइश है और हम आस्टेरिटी और किफायतशारी के मेजर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें ग्लेमर कम करने की जरूरत है, चाहे वह मिनिस्टर की ग्लेमर हो चाहे ब्यूरोक्रेसी की ग्लेमर हो। यह काम करने वालों को ऐसा चकाचौंध कर देती है और उनके लक्ष्य में रुकावट डालती है। इसको दूर करने के लिए जो साधन हो सकते हों उनको अमल में लाना चाहिये। चाहे वह छोटे बंगलों के साधन हों और चाहे छोटी मोटरों के साधन हों। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि सरकारी अधिकारियों को जो लक्जरी कार दी जाती हैं उनका दुरुपयोग होता है और ऐसा ग्लेमर पैदा करती है कि उनके तथा जनता के बीच में एक खाई पैदा कर देती है। उनको यूटिलिटी कार देनी चाहिये। एक सरकारी अफसर छोटी मोटर में भी काम कर सकता है बड़ी में भी कर सकता है और जीप में भी कर सकता है। जीप में काम करने से वह जनता के नजदीक रहेगा।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे देश के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर अफसरों का ग्लेमर कम करना है तो हमारा पहला कदम यह होना चाहिये कि यह जो चपरासी उनके साथ उनकी पहचान के लिये चलता है उसको बन्द किया जाय। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। यह छोटी बात हो सकती है लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू फाइलों को लेकर चल सकते हैं और वह कभी चपरासी नहीं ढूंढते, लेकिन हमारे यहां के सेक्रेटरी या मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर छोटी से छोटी फाइल लेकर चलना उचित नहीं समझते हैं। जब तक चपरासी साथ नहीं चलता तो यह समझा जाता है कि वे पहचाने नहीं जा सकते। इस तरह से ग्लेमर दूर हो सकता है।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाता हूं जिसे मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच और दुख होता है। वह है करप्शन की बात। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी यह कहा करते थे कि मुझे करप्शन की बात अच्छी नहीं लगती। हम लोग आदर से सर झुका लेते थे क्योंकि वह बुजुर्ग थे, उनके उस आदेश के पालन में उसका जिक्र कम करते थे। अगर वर्तमान मुख्य मंत्री का ऐसा आदेश हो जाय तो कदाचित हमें सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आज करप्शन एक ऐसा भयंकर रूप धारण कर चुका है जिसका अनुमान कदाचित जो उच्चतम पदों पर आसीन हैं, उनको है या नहीं मैं नहीं जानता। आज जनता में एक भावना पैदा होती जा रही है कि करप्शन एक लीगलाइज्ड फार्म अख्तियार करता जा रहा है। कहने वाले कहते कहते थक गये, और सुनने वाले सुनते-सुनते थक गये और आज वह चरम सीमा आ गयी है जब लोग कहते हैं कि इसको रोका ही नहीं जा सकता। अगर यह अवस्था इस तरह बढ़ती रही तो केवल यही रोग ऐसा विस्फोट बन कर खड़ा होगा, जो जनतंत्र को भस्म करने के लिये काफी होगा।

अगर जनता में ऐसी भावना पैदा हो जाय कि कोई सरकार करप्शन को रोक नहीं सकती तो दूसरी भावना यह पैदा हो जाती है कि वह सरकार भी जरूर करप्ट होगी इसीलिए करप्शन को रोकने में असमर्थ होती है। जिस दिन यह भावना जनता में स्थान ग्रहण कर लेगी, वह दिन किसी भी सरकार के लिए भयंकर होगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर पूरा ध्यान दें। जैसे ड्रैस्टिक डिजीज के लिए ड्रैस्टिक रेमेडी की जरूरत होती है, उसके लिए सख्त कदम उठाएं और उसमें सदन का जिस तरह से सहयोग चाहेंगे, वह उनकी सेवा में रहेगा। हमने डिप्टी कम्प्लेंट्स आफिसर का प्रयोग किया लेकिन वह बिलकुल बेकार साबित हुआ। आज हमें दूसरे प्रयोगों की तरफ जाना पड़ेगा।

कोआपरेटिव सोसाइटीज हमारे लक्ष्य का आधार हैं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एक भी कोआपरेटिव सोसाइटी बिना रिश्वत के रजिस्टर नहीं हो सकती। अगर इसका इम्तहान लेना चाहें तो कोई मिनिस्टर साहब अपनी आइडेंटिटी को बिना डिस्क्लोज किये हुए किसी सोसाइटी को रजिस्टर करवाने का कष्ट करें। अगर वह बिना रिश्वत रजिस्टर हो जाय, तो मैं अपने को अपराधी मानूंगा और इस सदन से क्षमा मागूंगा।

एक बात और जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है एरियर्स आफ केसेज। जो आज हमारी अदालतें हैं उच्चस्तरीय अथवा स्थानीय उनमें एरियर्स आफ केसेज इतने बढ़ गये हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन और डिस्पोजल में बड़ा फर्क है। यानी इंस्टीट्यूशन ज्यादा होता है और डिस्पोजल कम होता है। इसलिए एरियर्स की तादाद बहुत बड़ी है। जब इंस्टीट्यूशन ज्यादा होगा और डिस्पोजल कम होगा तो उसका यही परिणाम होगा कि एरियर्स बढ़ते ही जायंगे। यह बड़े दुख की बात है। न्याय मंहगा भी हो और लम्बा भी हो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डेनाइड एक पुरानी कहावत है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह बेकार की इकोनामी होगी। वह केसेज आखिर जजेज द्वारा ही तय होंगे। अच्छा है कि जजों की संख्या बढ़ायी जाय और ऐसे साधन जुटाए जायं जिससे जल्द से जल्द फैसले हो सकें।

मैं एक आखिरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। कल मैंने प्राहिबिशन के बारे में जो बात सुनी उससे मुझे एक नये खतरे की गंध आयी। वह खतरा यह है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी अंडर करेंट चल रही है जिसमें ऐसी भावना है कि सरकार ने जो अब तक जो प्राहिबिशन के बारे में स्टेप्स लिए हैं उनको भी हटा दिया जाय और जो लास आफ रेवेन्यु हो रहा है उसको न करें। यह बात यहीं नहीं केन्द्र में भी नीचे-नीचे चल रही है यद्यपि इसका साहस इसलिए नहीं होता कि महात्मा गांधी ने इसके लिए एक ऐसा आन्दोलन कियाथा और कांग्रेस तथा अन्य दलों से उसको पूरा समर्थन प्राप्त है, इससे लोगों के कदम हिचकते हैं। मान्यवर, यद्यपि मैं माननीय गोविन्द सहाय जी की उस बात से सहमत हूं कि जो हमारी प्रेजेंट प्राहीबीशन पालिसी है वह एक फ्राड है और वह आज फेल हो चुकी है और सरकार जो प्राहीबीशन वाले जिले हैं उनमें अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी है तो वह हमारा लक्ष्य गलत है यह सिद्ध नहीं करता। आवश्यकता इस बात की है कि उसमें रिओरियेन्टेशन हो, रीयिंकिंग हो। यह न होना चाहिए कि हम अपने उस कदम को ही रिट्रीट कर लें और अगर इस तरह पीछे कदम उठाने से हमको कुछ रुपये मिलें तो हम उस अपवित्र आय को लेकर अपना बजट बढ़ाने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य से मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता था कि इस तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं और सदन के सामने इस खतरे के ऊपर अपने विचार प्रकट करूं।

दूसरी बात हिल एक्सोडस के बारे में और नैनीताल के बारे में है। यह कहना कि वहां के लोगों के लिए यह हिल एक्सोडस करना बहुत आवश्यक है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज जनता की इतनी इच्छा होती है कि वह भी नैनीताल जाय, मंसूरी जाय लेकिन उनको वहां जगह नहीं मिलती क्योंकि सरकारी अफसर और कर्मचारी वहां इतनी ज्यादा तादाद में भरे होते हैं कि उनके लिए जगह ही नहीं रह जाती। अगर यह मिनिस्टर लोग और दूसरे लोग वहां न जायं तो मेरा विश्वास है कि जनता वहां इतनी बड़ी तादाद में जायगी और उस सुख को वह भी उठा सकेगी जिस सुख से वह वंचित रह जाती है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सामान्य प्रशासन पर अपने विचार रख सकूं। श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव भवन के सामने पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम यह देख रहे हैं कि दिन प्रति दिन सामान्य प्रशासन में खर्चा बढ़ता जाता है और साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि जितनी हमको आशा इसके प्रबन्ध से जनता को सुखी बनाने की है वह भी कम होती जाती है। उसका श्रीमन्, मैं एक ही कारण समझ पाया कि सरकार और जो उसकी पार्टी है तथा और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह उसके कामों में हस्तक्षेप करती हैं। मेरी समझ में तो यह आता है कि सरकार पालिसी तय करे और कर्मचारियों को दे कि वह उसको इम्प्लीमेंट करें। होता क्या है कि हम उसके रोजाना के इन्तजाम में भी दखल देते हैं जिसके कारण वह कर्मचारी एक ऐसी स्थिति में पड़ जाता है कि वह समझ नहीं पाता कि वह क्या करे और क्या न करे। उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं अपने जिले की बात। हमारे जिले जालौन में कहा जाता है कि प्रशासन और जुडिशियरी का प्रबन्ध अलग-अलग कर दिया गया है और उसका कम से कम ताल्लुक ऐडमिनिस्ट्रेशन से है। देखा क्या जाता है कि किसी नेता जी का मुकदमा हुआ और श्रीमन्, उनको जरा सा यह शुबहा हुआ कि शायद यह जूडिशियल आफिसर जो है वह उनके खिलाफ फैसला दे देगा तो बजरिये तार फौरन उसका ट्रांसफर कराया जाता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

ट्रांसफर कराया जाता है इसलिए कि शायद वह फैसला उनके माफिक न दे, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने फैसला उनके माफिक ही दे दिया ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार राज्य कर्मचारियों को स्वयं काम नहीं करने देती है और यह राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इतना गड़बड़ मचाते हैं कि वह कुछ कर ही नहीं सकते हैं । वह अपनी स्वेच्छा से, इंडिपेन्डेन्टली जो उनको करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं । आज कांग्रेस यहां पन्द्रह साल से राज कर रही है । देखने में यह आता है कि जितने नेता हैं वह अपना-अपना दखल देना चाहते हैं । अभी दीनदयालु जी ने कहा कि मन्त्री जी को चाहिए कि ५२ जिले हैं, इनमें ५२ ऐसे व्यक्ति रहें जो उनके नजदीक के आदमी हों, ऐसे एक-एक आदमी हर जिले में हों और वह कलेक्टर को राय दें । इन्हीं सब बातों के कारण आज स्टेट के अफसरों में यह प्रवृत्ति नहीं है कि वह स्टेट के मुलाजिम हैं न कि किसी पार्टी के जबकि उनमें यही प्रवृत्ति होनी चाहिए । आज कांग्रेस पार्टी का राज है कल को दूसरी पार्टी आयेगी, वह सरकार बनायेगी, तो इससे यह नहीं होना चाहिए कि उनके रोजाना के काम में हम दखल दें । इसके कारण ही यह गड़बड़ी मचती है । चरण सिंह जी ने जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि हम तबादले के बारे में किसी की बात नहीं सुनेंगे उसी तरह से हर मंत्री को यही बात कहनी चाहिये । तबादले के बारे में बात न सुनी जाय जब तक कि आप निश्चित न कर लें कि यह तबादला राज्य के हित में है । तबादला कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, उसका दिमाग खराब कर देता है ।

आपने अन्तरिम जिला परिषद् का इंतजाम जिला मजिस्ट्रेट को दिया, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो कच्ची सड़कें जिला बोर्ड बना दिया करता था वह भी नहीं बन पाईं । जो गरीब से गरीब जिला बोर्ड काम कर दिया करता था वह वे नहीं करा सके, कारण ये राजनीतिक दल । वे काम करने नहीं देते । तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर पार्टियां अपने को सम्हालें तो फायदा हो सकता है । आज पार्टी के लोग हर काम में दखल देते हैं और उसके कारण ही यह सब गड़बड़ी मचती है । इस पर नियंत्रण होना चाहिये । अगर वे लोग सरकार की पालिसी को बदलवाना चाहते हैं तो मंत्री जी से कहें, उनको समझायें और यहां से उसे इम्प्लीमेंट करायें, लेकिन वहां दखल न दें । यह न हो कि अगर किसी का काम उन्हें पसन्द नहीं आया तो उसका तबादला हो जाना चाहिये । मैं फिर कहना चाहता हूं कि तार द्वारा जालौन के जुडीशियल मजिस्ट्रेट का तबादला सिर्फ इसलिये कर दिया गया कि उनको डर था कि जजमेंट ठीक नहीं होगा । यह बड़े दुख की बात है और इससे जनता में घोर आतंक फैला है ।

सरकार ने कहा कि इकोनामी होनी चाहिये । हाउस में आपने तय करके एक इस्टीमेंट्स कमेटी बनायी है, उसने कितने ही प्रतिवेदन दिये, लेकिन सरकार ने उनको कितना माना ? सब गट्ठर के गट्ठर रखे हैं । एक भी ऐसा नहीं है कि जिस पर सरकार ने अमल किया हो । सरकार की यह नीति ठीक नहीं है । काम जब हो सकता है कि जो सरकार कहे उसी पर वह अमल करे और उसका उदाहरण पेश करे । तभी वह दूसरों से भी कह सकती है कि यह किया जाय । अब नैनीताल के लिये बड़ा जोर लग रहा है । क्यों ? जब हम यहां बैठे हैं, मई तक हमारा प्रोग्राम है तो उसके बाद क्या गरमी बढ़ जायगी कि जिसके लिये हम नैनीताल जायं ? इकोनामी करना है तो यहां से कीजिये, यहां पैसा बचाइये । क्यों रिसेस पर जाना चाहते हैं ? जाना चाहते हैं तो छुट्टी ले कर जायं । जनता का पैसा उसके लिये क्यों बर्बाद किया जाय । बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में सरकार जानती है कि यहां पैसा बर्बाद हो रहा है, यहां इकोनामी हो सकती है, लेकिन वह कुछ नहीं करती है ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वेट ऐंड सी (Wait and see)।

राजा वीरेन्द्रशाह—नशाबन्दी का उसूल बहुत अच्छा है लेकिन वह नाकामयाब रहा और उस पर करोड़ों रुपया आपका बर्बाद होता है । क्या फायदा है उस स्टाफ का जब करप्शन बढ़ता है ? अगर आपको नशाबन्दी करनी है तो सारे प्रान्त में कीजिये और उसे लागू

कीजिये। आधा तीतर आधा बटेर, इससे क्या फायदा है ? इस तरह से प्रशासन में एक गड़बड़ी यह भी रहती है कि जहां आपके अफसर गलती करते हैं उनको सजा भी ठीक नहीं मिलती और राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं और सिफारिश करते हैं कि यह आफिसर बड़ा अच्छा है और इसका ट्रांसफर कर देना ही काफी होगा। यह ठीक नहीं है। जिसके ऊपर इलजाम लगे उसको सजा देना निहायत जरूरी है। अगर प्रशासन को ठीक करना है तो मेरा आप से कहना है कि प्रशासन को ठीक तरह से चलाइये।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला अगरा)—श्रीमन्, मुझे यह सूचित करने की कृपा करें कि मुझे कितना समय दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप पर देर में नजर पड़ी इसलिये अब तो २० मिनट का समय दिया जा सकता है, वैसे तो इच्छा बहुत थी।

श्री देवकीनन्दन विभव—देख लीजियेगा अगर कुछ समय और मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—आगे गुंजायश नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो यह समझते हैं कि हमारे जो सरकारी आफिसर हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं सभी बेईमान हैं और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। मेरा विश्वास यह है कि उनमें भी कुछ बहुत ही ईमानदार हैं और उनमें भी देश की भावनायें हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोरवाला और ऐपीलेबी ने भ्रष्टाचार और दूसरी बातों के संबंध में जो रिपोर्ट दी है, उसमें ऐपीलेबी ने यह कहा था कि संसार के १२ देश ऐसे हैं जिनमें ईमानदारी सबसे ऊंचे स्तर पर है उनमें से भारत वर्ष भी एक है। गोरवाला ने इसके विपरीत बात कही है। जो कुछ भी हो परन्तु मुझे यह कहना है कि जो उनमें ईमानदार आदमी हैं जो अच्छा काम करते हैं उनका ऐप्रीशियेशन होना चाहिये और जहां पर भी हम करप्शन देखते हैं वहां सख्ती से और शीघ्रता से उसको दंडित भी करना चाहिये। आज तो हमारे प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम लोग अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं उनको दंड नहीं दे सकते, हम फौरन उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं लेकिन की नहीं जा सकती। लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी उसका कारण है। मैं यह कहता हूं कि जनतंत्र में हमको ऐसी प्रवृत्तियां पैदा करनी पड़ेंगी जबकि अच्छा काम करने वालों को हम उत्साहित कर सकेंगे और अपना कर्त्तव्य न करने वाले लोगों को दंड दे सकेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह बात कही गयी है और मैं भी अनुभव करता हूं कि हमारे प्रदेश का प्रशासन और प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत खर्चीला है और उसके लिये मैं कुछ थोड़े से प्रदेशों के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। आंध्र में ८३ लाख रुपया, केरल में १५ लाख रुपया, वेस्ट बंगाल में ३५० लाख रुपया और मध्य प्रदेश में ३७१ लाख रुपया, बिहार में ५ लाख २७ हजार रुपया खर्च होता है और यू० पी० में ७ लाख २९ हजार रूपया खर्च होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर।

एक सदस्य—७ लाख ही होता है ?

श्री देवकीनन्दन विभव—यह ७ सौ लाख है। तो हम जो रुपया खर्च करते हैं, जबकि हमारी पर कैपिटा इन्कम ज्यादा नहीं है, मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं, वह, मेरा खयाल है, हमारी पर कैपिटा इन्कम से अधिक है। सामान्य प्रशासन पर उससे ज्यादा व्यय किया जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि अधिक व्यय करके भी हमारे प्रशासन को अधिक एफिशिएन्ट बनाया जा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

सके तो हमको अफसोस न होता, लेकिन हम आज अधिक व्यय करके भी प्रशासन को अच्छा नहीं बना पाये हैं ।

रेडटेपिज्म की बात कही जाती है । यह लालफीता क्या होता है ? यह जो फाइल इधर से उधर घूमती है और महीनों तक उसमें कोई आर्डर नहीं होता है, उसी को लालफीता कहते हैं। तो देखना यह है कि आज जो हमारे प्रशासन में लालफीताशाही बढ़ती जा रही है इसको कैसे कैसे रोका जाय । आज केवल हमारी एक कमेटी इसके लिये मुकर्रर हुई है । आज उस लालफीताशाही को रोकने की जरूरत है । उसकी तरफ सरकार को विचार करना चाहिये। उसके आज कई कारण हैं । आज इस प्रदेश के विभागों में इम्पीरियलिज्म चलता है। यह किस तरह से होता है इसको हमें देखने की जरूरत है । पदों की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सेक्रेटरी हैं, एडीशनल सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अन्डर सेक्रेटरी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा कितने ही कुछ विशेष आफिसर हैं । जो कमिश्नर वगैरह हैं, वे अलहदा हैं । मुझे एक दो कमिश्नर से बात करने का मौका मिला। आज उनके ऊपर ११ लाख रुपया खर्च होता है। अगर पूरे खर्च को जो उनके कारण होता है जोड़ा जाये तो वह करीब २०,२२ लाख रुपये आयेगा। एक तरफ इतना खर्चा तो होता ही है, दूसरी ओर कार्य में भी विलम्ब होता है । मैं पूछता हूं, आखिर उसका क्या लाभ है ? किस लिये आपने उन पदों को बनाये रखा है ? एक बार आधे कमिश्नर कर दिये गये, किन्तु बाद में फिर बढ़ा दिये गये । उसका परिणाम यह हुआ कि आपका प्रशासनिक व्यय बढ़ गया।

श्रीमन्, आज सारे देश में नौकरशाही की बात है । माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि यहां तो उनकी एक जाति बन गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी शासन में उसका बढ़ना जरूरी है। मैं उनके आशय को समझा नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। मेरा विश्वास है कि हमारे जो प्रशासक हैं वे इसी देश में पैदा हुए हैं। उनके लिये भिन्न मैनर्स का होना, भिन्न वेश-भूषा का होना, उनकी अलग जाति को पैदा करना, देश के लिये घातक सिद्ध होगा। वह देश के लिये खतरे की बात होगी । आपको तो आज प्रशासक और जनता के बीच में जो खाई है उसको पाटना है। उसको आज दूर करने की आवश्यकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ब्यूरोक्रेटिक वर्किंग को कंडेम किया है।

इसलिये मैं तो कहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि आप रिफरेशर कोर्स बनाइये। एक, तीन पांच साल बाद हर एक को आवश्यक बनाइये कि ३ महीने तक देहात में जाकर किसी न किसी काम को देखे कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसका अध्ययन करे।

एक बात यह है कि आपको डिपार्टमेंटल इम्पीरियलिज्म को तोड़ना है और कोआर्डिनेशन लाना है और समन्वय लाकर उनमें बैलेंसिंग इस तरीके से पैदा करना है जिससे कि जल्दी और शीघ्रता से कार्य कर सकें। फाइव ईयर प्लान की जो आउटलाइन बनी है उसमें यह था कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को हम किस तरह इम्प्रूव करें और यह आवश्यक है कि थर्ड फाइव इयर प्लान के लिये इसका कुछ विवेचन करें । मुझे खेद है कि उन्होंने कोई खास बात नहीं समझाई, लेकिन मुझे आशा है कि प्रदेश इस बात पर विचार करेगा कि हम किस तरीके से कम खर्च में अधिक से अधिक प्रशासन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता था। यह जो आपकी डायरेक्टर्स की बिल्डिंग अलहदा होती है, सेक्रेटरी अलहदा बैठते हैं और मिनिस्टर्स अलहदा होते हैं, मैं चाहता हूं कि इनका सारा आफिस एक ब्लाक में या एक बिल्डिंग में स्थापित होना चाहिये और जो अलहदापन है उसको हटा देना चाहिये। सारा स्टाफ एक जगह हो, डायरेक्टर की ड्यूटी हो, सेक्रेटरी की ड्यूटी हो, मिनिस्टर की ड्यूटी हो जो उसी स्टाफ और यूनिट से काम ले सकें। इससे वर्क में सुभीता होगा और इकोनामी भी होगी। मुझे जहां तक इत्तला है, बिहार में इसका सफल प्रयोग हुआ है। आंध्र में जोकि अभी कमेटी नियुक्त हुई थी,

उतने इस पद्धति को धीरे-धीरे, क्रमशः अडाप्ट करने की सिफारिशें की हैं। मुझे यह विश्वास है कि इस प्रदेश में भी इस पर विचार किया जायगा।

(इस समय ३ बज कर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं डि-सेंट्रलाइजेशन की बात सुनता हूं। डेमोक्रेटिक सेट-अप में लेजिस्लेचर का सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है, मैं समझता हूं कि एग्जिक्यूटिव फंक्शन्स में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो इस प्रदेश में हुआ वह यह हुआ कि एक तरफ फंक्शनल रहे, दूसरी तरफ रीजनल आफिसर्स भी अप्वाइंट हो गये, लेकिन काम उसी तरह चलता रहा। तो यह तो डुप्लीकेशन हो गया। अगर आपने रीजनल विभाजन किया और रीजनल डिप्टी डायरेक्टर्स नियुक्त किये तो फिर आपके तमाम फंक्शनल स्टाफ में कमी होनी चाहिये थी। वह नहीं हुई।

एक बात मैं और कहूंगा कि आखिर यह क्या चीज है? ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म के सामने, पुलिस गवर्नमेंट के सामने वेलफेयर का सवाल नहीं था। उसमें परिवर्तन हुआ, आजादी आयी और उसका परिणाम यह हुआ, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे अधिकारियों ने भी अपने रुख को बदला, लेकिन मुझे खेद है कि जो परिवर्तन होना चाहिये था वह नहीं आया। आज बाडी तो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर के साथ उसका मंत्रिमंडल भी है, वह मस्तिष्क है। शरीर और मस्तिष्क के लिये सारी गवर्नमेंट की मशीनरी है। अच्छी तरह से कार्य हो, उसके लिये यह जरूरी बात है कि शरीर और मस्तिष्क दोनों में समन्वय होना चाहिये, कोआर्डिनेशन होना चाहिये। क्या बात है कि यूनाइटेड किंगडम में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट आती है, फिर लेबर गवर्नमेंट आती है, उसके बाद ही एक दम कंजरवेटिव गवर्नमेंट आ जाती है और सारी जितनी भी मशीनरी है वह नयी कंजरवेटिव मशीनरी की नीतियों के अनुसार बिना बदले हुए काम करने लगती है। जो लोग ऐडमिनिस्ट्रेशन में हैं या प्रशासक हैं उनको राजनीति या पार्टीबन्दी की ओर प्रभावित नहीं होना चाहिये। यह हमारे लिये बड़े खतरे की बात होगी। यदि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जोकि हमारा शरीर है वह पार्टीबन्दी में पड़ गया तो हम यहां पर जो जनतन्त्र की भावनायें और आदर्श स्थापित करना चाहते हैं वह नहीं कर पायेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे नये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो एकोनामी मेजर्स लिये उसके सम्बन्ध में यहां पर कहा गया कि कोई लाभ नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूं इससे एक मनोवैज्ञानिक लाभ हुआ है। इससे सर्विसेज में भी एकोनामी करने की एक चेतना जाग्रत हुई है। लेकिन मेरा खयाल है कि अभी हमें सारी चीजों के भीतर जाने की और देखने की आवश्यकता है कि कहां-कहां पर मितव्ययिता हो सकती है। आज तो हालत यह है कि तृतीय योजना जिसे हम सफल बनाना चाहते हैं उसको चलाने के लिये हमारे पास अनुकूल मशीनरी नहीं है, उतनी एफीशिएन्ट नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी हम योजनाओं पर पैसा व्यय करें उससे उचित लाभ हमको मिलना चाहिये। मैंने देखा है कि वेलफेयर के कुछ कामों के लिये स्टाफ एप्वाइंट हो जाता है लेकिन उनके पास इक्विपमेन्ट का प्रबन्ध नहीं हो पाता, उनके लिये रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती जिससे सारा स्टाफ साल-साल भर बेकार बैठा रहता है। आज इस गरीब देश से ओवर-टैक्सेशन करके हम पैसा वसूल कर रहे हैं इसलिये आवश्यक है कि एक-एक पैसे का सदुपयोग किया जाय और देखा जाय कि कहां पर मितव्ययिता करके दूसरे कामों में वह पैसा लगाया जा सकता है।

श्रीमन्, मैंने एक बात और देखी। अक्सर तीन चार बजे किसी अधिकारी को टेलीफोन किया जाय तो मालूम होगा कि साहब सो रहे हैं। इसका एक बड़ा बुरा प्रभाव जनता पर पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि जिलों में अधिकारियों के आने का कोई समय नहीं होता। २०–२०

[श्री देवकीनन्दन विभव]

मील से लोग अपने मुकदमों के सिलसिले में आते हैं और बैठे रहते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि कोर्ट होगी या नहीं। मेरे खयाल से वहां पर यह व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर कोर्ट न होनी हो तो उन लोगों को सूचना दे दी जाया करे कि उनका मुकदमा दूसरी तारीख को होगा।

श्रीमन्, ऐन्टी-करप्शन कमेटी की चर्चा की गई। मैं समझ नहीं पाया कि इस कमेटी से क्या लाभ हुआ। आपको देखना चाहिये कि यह समिति किस प्रकार से उपयोगी बनाई जा सकती है वरना इसको खत्म कर देना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, आज जो मनःस्थिति सारे प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के लिये और अधःपतन की ओर ले जाने के लिये जिम्मेदार है वही मनःस्थिति हमारे कट-मोशन को पास न करने देने के लिये भी जिम्मेदार हो सकती है। कल से लेकर आज तक मैंने अपने कट-मोशन पर विवाद सुना। करीब ९५ प्रतिशत लोगों ने हमारे कट-मोशन का समर्थन किया है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने समर्थन किया है अपनी वाणी से, वे वोट देते समय भी हमारे साथ रहें। अगर वे हमारे साथ वोट नहीं करते हैं तो फिर इलजाम न लगावें किसी दूसरे पर कि कोई दूसरा है जो प्रदेश की स्थिति को खराब कर रहा है। वही लोग स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि उनकी करनी और कथनी में अन्तर है। जितने आज ट्रेजरी बेंच के लोग बोले वे अपनी स्पीच ले जाकर निर्वाचन-क्षेत्र में दिखाते हैं कि हमने यह कहा था, अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है या हमारे कहे मुताबिक काम नहीं करता है तो हम क्या करें। यह बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। तीन बातों में अन्शतः हमारी बात का विरोध किया गया है।

एक सज्जन यहां कनवैसिंग भी करते दिखाई पड़े कि आप नैनीताल जाने के बारे में २, ४ शब्द कह दीजिये। तर्क यह दिया जाता है कि अगर वहां नहीं जावेंगे तो वहां के गरीब रहने वाले कुली, खोम्चा और तरकारी बेचने वालों की जिन्दगी दूभर हो जायगी। अगर यही तर्क है तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि जिससे नैनीताल के ऐसे लोगों के लिये सर्वदा के लिये कोई अच्छी स्थिति हो जाय। नैनीताल जाने से काम में शिथिलता आती है। अगर यही दृष्टिकोण है कि नैनीताल जाया ही जाय तो फिर जाड़े के मौसम में जहां जनता नैनीताल की जनता से भी गरीब है, मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र में, वहां क्यों न सरकार जावे? वहां लोगों के पास खाने को भी नहीं है। तो यह तर्क बिलकुल निराधार है। पन्त जी की राय नैनीताल जाने के बारे में नहीं थी। वह कहते थे कि नहीं जाना चाहिये, यह उनका बयान इसी सदन में हुआ और अगर नैनीताल के ही लोग गरीब हैं और इसलिये सरकार वहां जाती है तो मंसूरी के लोग भी गरीब हैं और मंसूरी भी इसी प्रदेश में है, इसलिये वहां भी सरकार क्यों न जावे? मंसूरी में भी कुली और तरकारी बेचने वाले गरीब लोग रहते होंगे। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, मंत्रिमंडल बनाने के पहले जो घोषणा कर चुकी है कि नैनीताल नहीं जाना चाहिये, उसपर कायम रहे और नैनीताल जाने की बात को समाप्त करे।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां कुछ ऐसे लोग हैं, वे विरोधी दल में हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं, मगर इस बात के लिये मुबारकबाद दिये चन्द्रभानु गुप्त जी को कि उन्होंने चीन के हमले को रोकने के लिये अपने को सर्वप्रथम उम्मीदवार बनाया पहाड़ी क्षेत्र का। तो मैं क्या कहूं? मैं ऐसी बातकरने वालों पर बहुत ही तरस खाता हूं उनकी बुद्धि पर भी और श्रीचन्द्रभानु गुप्त जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको आगाह करना चाहता हूं, कि अगर वह तात्कालिक लाभ को सामने रखकर उनकी बातों में आकर चले तो अपने को भी डुबो देंगे। सही मानों में जो विरोधी दल की कल्पना है वह निन्दा करने की ही नहीं है बल्कि शुद्ध आलोचना करने की भी है और सरकार

को सही रास्ता बताने की है। आखिर हम सब लोगों का, विरोधी दलों का और सरकार का, उद्देश्य तो यही है न कि प्रदेश आगे बढ़े, उन्नति करे? हमारा कर्तव्य सरकार की शुद्ध आलोचना करना है।

निन्दक नीयरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।
साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाव।।

इस उक्ति का मतलब यहां पर बुरी भावना से निन्दा करने का नहीं है, स्वस्थ आलोचना से है और अगर स्वस्थ आलोचना होती है तो उसका स्वागत होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि राजनारायण अगर बनारस में रहता है और वहां रहने की वजह से गुप्ता जी से यह कहे कि आजकल दशाश्वमेध घाट पर बड़ा आनन्द रहता है और वे यहां से चल दें। हम भी कह सकते हैं कि गरमी का मौसम है, बनारस में बड़ा सुन्दर बजरा सजता है, चलिये वहां बजरे में बड़ा आनन्द आयेगा। इसलिये इस तरह की बातें करना थोथी दलीलें हैं। लेकिन हमको एक बात का डर हो रहा है कि गुप्ता जी पहाड़ी क्षेत्र से प्रतिनिधि होकर आये हैं, आश्वासन भी उन्होंने जरूर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि जो पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं आज गुप्ता जी उनकी बातों में आ जायं। ऐसा अगर हुआ और उन्होंने इस किस्म की इस सदन में घोषणा की तो राज्य के लिये यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। हम इस चीज का सदा से विरोध करते आये हैं।

एक सज्जन ने कहा कि हमारा समाजवाद कैसा है। हम किसी में छोटा बड़ा कैसे करते हैं। समझ में नहीं आता उन्होंने समाजवाद के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। कल हमने कहा कि शांतिप्रपन्न जी श्री चन्द्रभानु गुप्त के स्तर के नहीं हैं तो इसका क्या मतलब था? इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि मैं शांतिप्रपन्न जी को चन्द्रभानु गुप्त जी से छोटा समझता हूं उनका स्तर उनसे ऊंचा हो सकता है, लेकिन मुख्य मंत्री के रूप में वे चन्द्रभानु गुप्त जी के स्तर के नहीं हैं, यह मैं आज भी कहता हूं। सरकार की पालिसी के डिक्टेट करने वाले शांतिप्रपन्न जी नहीं हैं गुप्ता जी हैं। इसलिये उस हैसियत से मैं शांतिप्रपन्न जी का ही स्तर नहीं माननीय हुकुमसिंह जी का स्सर भी गुप्ता जी से छोटा समझता हूं।

करप्शन की बात कही गयी। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार ने उसके लिये प्रयत्न किया है लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार ने उसके लिये कत्तई प्रयत्न नहीं किया। १९५२ से भ्रष्टाचार को किस प्रकार रोका जाय, इस बारे में सदन में हर मौके पर हमारी ओर से सुझाव दिये गये हैं, उनको आज भी दुहरा देना चाहता हूं। क्या इस सरकार ने उस ओर तनिक भी कोशिश की? भ्रष्टाचार निरोधक समितियां कायम की गयीं जिनमें जनता के भी नुमाइन्दे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक समिति अगर किसी के खिलाफ कार्यवाही करना चाहे और डिपार्टमेंटल हेड अगर नहीं चाहता तो ऐन्टीकरप्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे एक मौके पर हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी कहा लेकिन उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल हेड नहीं चाहते हैं कि हम वहां जाकर जांच करें। तो इस तरह का सरकारी नियन्त्रण है जिसकी वजह से वह काम नहीं कर सकती हैं।

मैं लोगों के मस्तिष्क में से एक भ्रम निकाल देना चाहता हूं और उनको बता देना चाहता हूं कि आखिर जनतन्त्र है क्या? जनतन्त्र की पुरानी परिभाषा को अगर हम देखें तो वह है जनता के द्वारा, जनता के लिये और जनता का राज्य। मगर इस सरकार को देखा जाय तो यह सरकार जनता के द्वारा तो आ गयी है मगर न जनता की है और न जनता के लिये है। यह सिद्धांत की बात है कि जब सरकार सारी ताकत अपने हाथ में ले लेगी तो छोटी सी भी बात, जो सरकार चाहेगी और जिस ढंग से चाहेगी, वह करवा लेगी। फिर कैसे कहा जा सकता है कि इस सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, जनता में तन्त्र है? जनता में तन्त्र नहीं है। तन्त्र है सरकार में। गोविन्द सहाय जी बुनियादी सवालों को उठा तो देते हैं, समस्या पैदा कर देते हैं, लेकिन उसका

[श्री राजनारायण]

समाधान नहीं देते हैं। पता नहीं उनके किस कल्याणकारी राज्य की कल्पना में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाना अनिवार्य है। श्रीमन्, सर्वोदय दर्शन आपने देखा है, समाजवाद का भी अध्ययन किया है, सरकारी कर्मचारी वहां बढ़ेंगे जहां तानाशाही होगी। तो जब चन्द्रभानु जी डिक्टेटर मुख्य मंत्री के रूप में होंगे तो वह अपने गणों को, अपने कर्मचारियों को हर जगह भेजेंगे क्योंकि हर गांव में और हर जिले में तो वह जायेंगे नहीं। मगर जब सच्चा जन तन्त्र होगा तो उसमें सरकारी कर्मचारियों की बाढ़ नहीं रहेगी क्योंकि शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने एक उल्टी धारा बहाई। सरकारी कर्मचारियों की बाढ़ के पाप को रोकने के लिये एक दूषित तर्क दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वह तर्क सही नहीं है।

गांव पंचायतराज हम कहते हैं। गांव पंचायतराज में गांव की शिक्षा, गांव की सफाई, रोशनी, दवाई, पढ़ाई, सबको वह अपने हाथ में ले तो जो प्रश्न हुआ है कि चार आदमियों की कमेटी बैठाकर चुनते हैं कि बुनियादी विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये कौन सी पुस्तक हो यह सब गांव के लोग करेंगे। सरकार एक नीति निर्धारित कर दे। कौन सी किताब पढ़ाई जाय, कौन उस किताब को लिखता है, ये सब बातें गांव के लोग ज्यादा जानते हैं। नहीं तो वही दिक्कत होती है कि कहां किताब लिखी गई, कहां छपी, कहां गबन हुआ, कहां फरार हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में सरकार जनतांत्रिक प्रणाली पर चले।

एक बात रह गई, न्याय के सम्बन्ध में। दफा १०७ के अन्तर्गत अगर आप बंध दिये जायं तो साल भर के लिये मुचलका देना होगा। मगर १०७ की दफा में इस प्रदेश में साल-साल भर से ज्यादा समय हो गया बराबर अदालत में दौड़े जाते हैं। दो-दो साल और तीन-तीन साल मुकदमें चलते हैं। तो अजीब हालत हो गई है। कहां सरकार ने न्याय सुलभ और सस्ता किया?

एक बड़ी बुनियादी बात है। पता नहीं इस समय लोग मानेंगे या नहीं। वह पार्टी और सरकार के रिश्ते की बात है। यह एक पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि सारे देश के लिये एक रोग बना हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट, जनसंघ और कांग्रेस, हमने श्रीमन्, जेल में जानने की कोशिश की कि हर पार्टी के विधान में क्या विषमता है और कौन सी पार्टी का विधान कितना जनतंत्रवादी है। इस बात को देखते हुए हमने बढ़िया तरीके से तुलनात्मक स्टडी (अध्ययन) करके एक लेख लिखा है। कांग्रेस पार्टी कभी जनतांत्रिक पार्टी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी कभी जनतांत्रिक पार्टी नहीं है। जनसंघ पार्टी कभी जनतांत्रिक नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में तो जब तक दो पुराने मेम्बर सिफारिश न करें कि फलां को मेंबर बना लो तब तक वह मेम्बर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? जिसके हाथ में पार्टी का संगठन है अगर वह नहीं चाहता है कि संगठन उसके हाथ से निकले तो वह नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने सर्वेसर्वा हैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। विधान में यह लिखा हुआ है कि उसका जो भाष्य होगा वह अटल है, उसको मानना अनिवार्य है। क्यों मानें? आज वह स्थिति हो रही है। जब चाहो तब सभापति बनाओ। फिर कहो कि सत्ता और शक्ति एक पर रहनी चाहिये। तो मुख्य मंत्री बनाओ। फिर उसको विकेन्द्रीकरण करना हो तो कहो कि स्तीफा दे दो, जैन को सभापति बनाओ। तो ये सारी चीजें देश के राजनीतिक वातावरण को गंदा किये हुए हैं। हिम्मत हो तो लड़ो, ताकत हो तो लड़ो।

श्रीमन्, उदाहरण तो हमारे पास बहुत हैं मगर सीतापुर का मामला ले लिया जाय, बांदा का ले लिया जाय। सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आरोप और जांच करवाई जाती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। यह कहां का न्याय है? इसी प्रकर से काम होगा? इस प्रकार से कभी न्याय प्रतिष्ठित होगा? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो कटमोशन है, मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने हमारे तर्क.....

हमारे भावों को पकड़ा और सदन में अपनी वाणी से हमारा समर्थन किया निवेदन है कि जब विभाजन करायेंगे तो हमारा साथ देंगे और अगर गिरा दें मुख्य मंत्री जी के अनुदान को तो उसकी कमजोरी हमारे ऊपर छोड़ दें हम शासन को सुधरवा देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इन अनुदानों पर बहस हुई और करीब-करीब बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी आलोचनाओं में २, ४ बातों को पकड़ लिया और उन्हीं के सम्बन्ध में अधिक चर्चा की।

पूर्व इसके कि मैं उन विषयों के सम्बन्ध में दो शब्द इन सदन में माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत करूं, माननीय राजनारायण जी से, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और जो सदा इस बात का नारा बुलन्द करते हैं कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर रहता है कुछ कह देना चाहता हूं मैं थोड़े समय के लिये उस समय की ओर माननीय सदस्यों को ले जाना चाहूंगा जिस समय की चर्चा माननीय राजनारायण जी ने कल सदन में की थी और चर्चा करते समय इस बात के दिखाने की चेष्टा की थी कि माननीय राजनारायण जी और उनके नेतागण उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था और जिनका दल पार्टीशन का विरोध करके देश को उस दिशा में ले जाना चाहता था कि जहां चल कर देश अपनी एकता को कायम रख सकता। मैं इस विषय की चर्चा इसलिये कर रहा हूं कि राजनारायण जी कभी-कभी जो वास्तविकता नहीं होती है उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। इसलिये कल मैंने जब वह भाषण दे रहे थे, एक ही बात जानने की चेष्टा की थी कि क्या वह मुझे बतायेंगे कि उस समय वह किसके नेतृत्व को मानते थे? किसके नेतृत्व में काम करते थे? उन्होंने बताया कि उस समय उनके नेता हमारे सम्मानित आचार्य नरेन्द्र देव थे। और यह सही बात थी आचार्य नरेन्द्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के एक प्रमुख व्यक्ति थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी सदस्य थे जिस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने और जिस आल इंडिया कांग्रेस कमेटीने पार्टीशन के विषय के ऊपर विचार किया और विचार करके कुछ निर्णय लिये।

मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि डाक्टर लोहिया, जिनके नेतृत्व में माननीय राजनारायण जी आज काम कर रहे हैं, कदाचित वर्किंग कमेटी के सदस्य तो नहीं थे पर श्री जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन जो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख कार्यकर्त्ता और नेता थे, वह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उस समय राजनारायण जी उसके सदस्य नहीं थे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो कल उन्होंने जानते हुये कि वास्तविकता यह है कि कांग्रेस समाजवादी दल के नेतागणों ने उस समय गांधी जी, पूज्य जवाहर लाल जी की बात को मानकर वर्किंग कमेटी में ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करके पार्टीशन की बात को मन्जूर कर लिया। परन्तु उसी कांग्रेस समाजवादी दल में कुछ व्यक्ति ऐसे थे, और उस समाजवादी दल के सदस्यों में से कुछ आज इधर बैठे हुये हैं जिन्होंने न तो आचार्य नरेन्द्र देव की बात को माना था, न गांधी जी की बात को माना था और न पूज्य जवाहरलाल जी की बात को माना था और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में विरोध किया था। और मैं कहना चाहता हूं उन व्यक्तियों में से एक अदना व्यक्ति यह भी था जिसने उस बात को स्वीकार नहीं किया था।

इस सब के बाद वे कहते हैं उनका दल यह चाहता था, कांग्रेस समाजवादी दल यह चाहता था कि पार्टीशन देश का न हो, तो क्या यह एक ऐतिहासिक मिथ्या नहीं है? और ऐसी ऐसी बातें कह कर वहां वे कथनी और करनी के नजदीक पहुंचते हैं? वे कहते आये हैं, लेकिन इतिहास उन्हें कुछ और बतलाता है। जिस तवारीख को बनाने में थोड़ा बहुत हिस्सा उन्होंने भी लिया उसे वह आज सदन के सामने दूसरे रूप में रखना चाहते हैं।

श्री राजनारायण—सफ़ाई का मौका बाद में हमको भी दिया जाय, यह गलत कह रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि उनका बार-बार यह कहना कि हमारी कथनी और करनी में फर्क है इससे वह सारे सदन के सदस्यों के समक्ष यह बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि वह जो बात कहते हैं और जिस दृष्टिकोण को वह सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वही सत्य का आखिरी पन्ना है, उसके विपरीत न कोई बात सोची जा सकती है और न की जा सकती है । मैं उनकी आलोचनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा ।

उन्होंने हिन्दी की बात कही और सरकार पर आरोप लगाया कि यह सरकार हिन्दी के प्रसार में और फैलाने में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे हिन्दी को मान्यता राष्ट्र भाषा के रूप में मिल जाय जो उसे मिलनी चाहिये और जो उसे विधान के अनुसार मिलने का अधिकार है और जिसे प्रत्येक भारतवासी, जिसने हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में अपनाया है, वह स्थान दिलाना चाहता है । तो क्या यह वास्तविकता है ? क्या यह उनका सही अनुमान है और क्या यह उनका कहना किसी सही बात को व्यक्त करता है ?

आखिर को उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में है जिसने हिन्दी को राष्ट्र भाषा का गौरव दिलाने का प्रयास किया और आज भी यही प्रदेश है जो उससे राष्ट्र भाषा के स्थान पर बिठाने की पूरी चेष्टा कर रहा है । लेकिन प्रदेश की सरकार के सामने भी दिक्कतें और दुश्वारियां हैं । क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वह उन दिक्कतों और दुश्वारियों को भी समझें । वह उन प्रयासों को अध्ययन करें जो यह सरकार उत्तरोत्तर हिन्दी को वह स्थान दिलाने की चेष्टा कर रही है जो विधान ने उसे दिया है । आज विभिन्न विभागों में हिन्दी के प्रसार के लिये केवल आदेश ही नहीं गये हैं, बल्कि उन विभागों में हिन्दी को संचालित करने के लिये और उसको विकसित करने के लिये आज वे कार्य भी कर रहे हैं जिसकी उन्हें स्वतः सराहना करनी चाहिये । आज हिन्दी के काव्य को, उसके इतिहास को और उसकी तमाम साहित्यिक चीजों को बनाने के लिये जो सरकार की तरफ कार्य हो रहे हैं वे कार्य क्या ऐसे नहीं हैं जो हमें उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं ? आज तो बराबर इस बात की चेष्टा हो रही है और अधिकारियों को इस बात के आदेश दिये जा चुके हैं कि वे हिन्दी को उसके अनुरूप स्थान दिलाने के लिये प्रत्येक घड़ी ऐसा कार्य करें जिससे उत्तरोत्तर हिन्दी की प्रगति होती जाय ।

अभी थोड़े ही दिन हुए जब माननीय राजनारायण जी ने हमारा ध्यान इस ओर आमंत्रित किया था तो मैंने अपने मुख्य सचिव से यह कहा था कि अधिकारियों को वह यह लिख दें और इस प्रकार के आदेश भी चले गये हैं कि अगर केन्द्रीय सरकार से उनको कोई लिखा-पढ़ी करनी पड़े तो जो हमें विधान ने यह अधिकार प्रदान किया है और राष्ट्रपति का जब यह आदेश है कि इस १५ साल के दौरान में केन्द्र से कोई लिखा-पढ़ी करनी पड़े तो हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हुये वे केन्द्रीय सरकार से हिन्दी में लिखा-पढ़ी करें । इस प्रकार के आदेश गये हुये हैं और जहां एक प्रदेश में जो अधिकारीगण हैं उनमें आपस में लिखा पढ़ी के लिये तो यह आदेश चालू ही हो चुके हैं ।

मैं राजनारायण जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जब उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आमंत्रित किया था कि हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हिन्दी में नहीं होती हैं तो मैंने उनसे जब आम बहस हो रही थी उस वक्त भी कहा था कि हम हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस से उस विषय में बातें कर रहे हैं और हम ने इस विषय में उनको लिख रखा है । पहले यद्यपि इस विषय पर जब उनसे बातें हुई थीं तो कई कारणों से हाई कोर्ट ने अपनी रजामन्दी इस विषय पर प्रदान नहीं की थी, लेकिन मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि अबकी मर्तबा बातचीत करके हाई कोर्ट को हमने राजी कर लिया है और चीफ जस्टिस ने मुझ से आज ही सबेरे बातचीत की कि उन्होंने और उनके जजेज ने यह निर्णय कर लिया है कि जहां तक क्रिमिनल केसेज का सम्बन्ध है, उनका बहस का सम्बन्ध है प्रत्येक उस व्यक्ति को जो हिन्दी में आर्ग्युमेंट्स करना चाहता है करने की इजाजत देंगे । यह उत्तर प्रदेश की सरकार का ही तो प्रयास है । माननीय राजनारायण जी आग्रह करते रहते हैं, तो आग्रह करने पर एक ही रोज में तो सारी चीजें तय हो जाती हैं । अगर

हाई कोर्ट के जजेज को हम राजी न कर पायें और यहां से आदेश जारी कर दें तो क्या वह सम्भव होगा ? और जब आप किसी को कोई कार्य करने के लिये प्रेरित करना चाहेंगे तो उसके ऊपर वह चीज थोप कर आप उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकेंगे। हम तो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत अनुगृहीत हैं कि उन्होंने हमारे इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और जजेज ने और चीफ जस्टिस ने मिल कर यह निर्णय ले लिया कि हम प्रारम्भिक क्रिमिनल केस में प्रत्येक उस व्यक्ति को जो हिन्दी में आर्गूमेंट्स करेगा उसके लिये इजाजत दे देंगे। हमारे पास जब वहां से लिख कर आयेगा तो हम राष्ट्रपति को लिखेंगे और जैसा कि उनका स्वयं हिन्दी को आगे बढ़ाने का प्रयास रहता है और जिसकी वे घोषणा भी कर चुके हैं हमें पूर्ण आशा है, कि वे हमारे इस सुझाव को मान कर वहां भी हिन्दी चलाने के विषय में अपनी अनुमति प्रदान करेंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर हम इस ओर कार्य कर रहे हैं और और भी इस दिशा में तेजी से कार्य करने के लिये हमने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि वे सचिवों से कहें और इस प्रकार के आदेश जारी करें कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में काम करता है, जब हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है, उसका यह कर्त्तव्य है कि वह हिन्दी को सीख कर उसे आगे बढ़ाने में मदद दे। यदि वह अब तक हिन्दी सीख नहीं पाया है तो हमने यह आदेश दिये हैं कि जब लोगों के कैरेक्टर रोल्स भरे जायेंगे, जब एफीसियेंशी बार क्रास करने का प्रश्न हमारे सामने आयेगा या जब पदोन्नति का प्रश्न हमारे विचाराधीन होगा तो इस बात को भी हम अपने सामने रखेंगे कि क्या उसने हिन्दी के सम्बन्ध में कोई प्रगति दिखायी है, हिन्दी के सम्बन्ध में वह कार्य करता है जिसका निर्देशन उसे दिया गया है। इस तरह से हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं नम्रता से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, इस सरकार का और उन माननीय सदस्यों का जो हिन्दी को उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, कोई मतभेद नहीं है। उत्तरोत्तर हमारा प्रयास उसे उस स्थान पर बिठाने का है जिस स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति उसे बिठाना चाहता है।

उन्होंने आपत्ति की कि अभी हमने उस विषय की कोई घोषणा नहीं की जिस विषय के सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों ने कई सुझाव भी प्रस्तुत किये और कई दिशाओं में आलोचनायें भी कीं, यानी सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज का प्रश्न। पहले ५५ साल की उम्र तक एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में काम कर सकता था परन्तु सन् १९५७ में प्रदेशीय सरकार ने इस प्रश्न के ऊपर विचार किया। उसके सामने कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किये गये जिनकी बुनियाद पर उसने यह निर्णय लिया है कि रिटायरमेंन्ट की एज ५८ साल रखनी चाहिये। उसका आदेश जारी हो गया। यद्यपि बहुत से ऐसे साथी थे और इस सदन के माननीय सदस्य भी होंगे जो कि उस विचारधारा के नहीं थे परन्तु सरकार ने उनमें उन विचारों के कारण जो कि उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे एक निर्णय लिया हालांकि उस विषय में दो रायें हो सकती थीं और आज भी दो रायें हैं। मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता। लेकिन आज जब हम प्लानिंग के युग में काम कर रहे हैं तो इस बात की भी आवश्यकता है कि हम अपने बीच में कोई ऐसी चीज न करें जिसका असर दूसरे प्रदेशों पर भी पड़े या केन्द्र में जो अधिकारी कार्य करते हैं उनके ऊपर भी पड़े क्योंकि प्लानिंग के इस युग में बहुत-सी बातें हम केन्द्रीय सरकार का जो उद्देश्य है, जो उसका ध्येय है उसकी ही तहत में करते हैं। माननीय सदस्यगण आज भी इसी राय के हैं कि जहां तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है ५५ साल ही उनकी रिटायरमेंट एज होनी चाहिये। हमने इस प्रश्न के ऊपर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर दो रायें हैं। यह कहना कि अगर रिटायरमेंट एज ५५ साल की कर दी जायगी तो व्यय में कमी हो जायेगी, लेकिन जहां तक आंकड़े मेरे सामने आये हैं उससे यह सम्भव

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

नहीं हो सकता है। यद्यपि मैं उन व्यक्तियों में रहा हूं जो यह कह रहे हैं कि हमें इस विषय पर आल इन्डिया पैटर्न से अलग नहीं रहना चाहिये और मेरी भी यही राय थी। आपको पता होगा कि केन्द्रीय सरकार ने एक पे कमेटी बैठाई थी और उस व्यक्ति ने जिसको यह कार्य सुपुर्द किया गया था उसने ५८ साल के लिये अपनी तजबीज दी है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने और नेशनल डेवलपमेन्ट ने उसको नहीं माना और हम भी समझते हैं कि अभी वह अवसर नहीं आया है कि हमने जो परिवर्तन किये थे उसी पर कायम रहें क्योंकि हम ऐसा समझते हैं जब अन्य प्रदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार ने भी नहीं किया है तो हमें भी इसी ५५ साल की रिटायरमेंट एज को मान कर काम करना चाहिये। प्रदेश ने यह निर्णय ले लिया है कि जो नये एंट्रेंस आयेंगे उन्हें ५५ साल की उम्र तक ही काम करना होगा।

प्रदेश सरकार को यह तो हमेशा अधिकार रहा है कि यदि वह किसी व्यक्ति के लिये आवश्यक समझती है और किसी सर्विस में व्यक्तियों की कमी है तो उस सर्विस में अधिक उम्र तक एक्सटेंशन और रिएम्पलायमेंट देकर रख ले। यह अधिकार प्रदेशीय सरकार को पहिले भी था और आज भी है। मैं जब यह बात कहता हूं तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक्सटेंशन दे देंगे और रिएम्पलॉयमेंट दे देंगे। हमारे पास किसी सर्विस में आदमी प्राप्य नहीं हैं जैसे कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ही बात कहता हूं कि आज उस डिपार्टमेंट में हैल्थ अफिसर्स की जगहों को भरने के लिये डाक्टर नहीं मिलते हैं। देहात में जो हमने अस्पताल कायम कर रखे हैं उनमें डाक्टरों की नियुक्ति के लिये डाक्टर नहीं मिल रहे हैं। आज यदि हम सब को रिटायर करते जायं और डाक्टर मिले नहीं तो यह दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ५५ साल की रिटायरिंग एज को हमने स्वीकार किया है और जैसा कि हमें अधिकार प्राप्त है उसको हम वैसा ही बरतेंगे। जहां हमारे पास व्यक्ति नहीं हैं उन जगहों पर एक व्यक्ति ने अपनी विशेषता के कारण या अपनी योग्यता के कारण हमारे बीच में जबकि हम नियोजन के कार्य में जुटे हुये हैं, अपने स्थान को ऐसा आवश्यक बना दिया है कि उसके बिना काम चलना मुश्किल है तो हम उस व्यक्ति को २-३-४ साल तक रखने के लिये उद्यत हैं और इसमें कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं।

आज यहां इस सदन में हमारे एक सरकारी चीफ इंजीनियर के विषय में चर्चा की गयी। वह चीफ इंजीनियर श्री मित्रा जी हैं। यह उन इंजीनियरों में से हैं जिनका स्थान सारे भारतवर्ष में चार-पांच इंजीनियरों के बीच में है और वह रुड़की विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हो गये थे पांच साल के लिये और उन्हें जो कुछ तनख्वाह मिलती थी उसके अलावा मुफ्त मकान ३००/३५० रुपये माहवार का रहने के लिये दिया गया था। परन्तु हमारे प्रदेश को उनकी अत्यन्त आवश्यकता थी और इस लिये प्रदेशीय सरकार ने उनसे आग्रहपूर्वक यह कहा कि उन्हें वाइस-चांसलर के पद पर नहीं जाना चाहिये और तृतीय पंचवर्षीय योजना के तत्वावधान में जो कार्य होने वाले हैं उनको अपने नेतृत्व में कराने चाहिये और अपने सहयोग से उनको पूरा कराना चाहिये। मान्यवर, जहां तक वाइस-चांसलर के पद का संबंध है उसके लिये एक दूसरे व्यक्ति को जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष था और प्रतिष्ठित इंजीनियरों में गिना जाता था, उसको उस पद पर नियुक्त कर दिया है। इनसे कहा है कि तुम इस कार्य को संभालो। अब उस पर आपत्ति की जाय और इस तरह से पैम्फलेट बांट दिये गये गैरजिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा जो एक अमीन था और निकाला गया था और माननीय सदस्य उसकी चर्चा करने लगें और माननीय सिंचाई मंत्री के ऊपर आरोप लगाने लगे और उस व्यक्ति की बात मान कर तमाम आलोचनाएं करने लगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन के लिये यह सही परम्पराएं हैं? एक ऐसा अफसर जिसके बारे में माननीय सदस्य थोड़ा बहुत जानते भी हों और जो यहां उपस्थित नहीं

हैं यदि उसके विषय में इस प्रकार की चर्चा कर दी जाय, तो क्या उस अधिकारी के प्रति हम वह बरताव करते हैं, जो कि हमें प्रत्येक अधिकारी के प्रति करना चाहिये ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहांतक रिटायरमेंन्ट एज का विषय है सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि ५५ वर्ष की रिटायरमेंट एज इस प्रदेश में रहेगी। इस सिलसिले में दो प्रश्न और उठते हैं और वह प्रश्न अपना कानूनी दायरा रखते हैं। वह यह कि जिनकी ५५ से ५८ वर्ष रिटायरमेंट एज घोषित की गयी थीं जो इस घोषणा के बाद नियुक्त किये गये हैं कि ५८ की रिटायरमेंट एज होगी, क्या हम उन्हें भी इस घोषणा की तहत में ला सकते हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर विचार करना होगा। हमें उन केसेज के विषय में भी विचार करना होगा कि ५५ से ५८ जब एज हो गयी, तो जो व्यक्ति ५५ के बाद रिटायर होते, उनके स्थान पर जो नीचे के व्यक्ति आते, उनको अब क्या अधिकार मिलना चाहिये ? उन्हें क्या वही अधिकार रहने चाहिये जो ५८ की उम्र तक के घोषित किये गये हैं ? यह कानूनी प्रश्न है। वैसे तो सरकार को अधिकार है जिसे चाहे ५५ के बाद या किसी वक्त भी कम्पल्सरी रिटायरमेंट कर सकती है। इस प्रश्न पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमने अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रखी है। वह सलाह कुछ ने पक्ष में दी है और कुछ ने विपक्ष में दी है। हम और सलाहकारों से बात कर रहे हैं। हम जब इसका निर्णय लेंगे तो सदन में घोषित करेंगे और यदि सदन नहीं मिलेगा तो इसकी घोषणा सदन के मिलने से पहले भी बाहर कर सकते हैं।

एक प्रश्न और उठाया गया कि हम एक्सटेंशन दे देते हैं। मैंने बताया कि जहां तक एक्सटेंशन का विषय है सरकार की नीति जनरली किसी व्यक्ति को एक्सटेंशन देने की नहीं है, सिवा उस केस में जिसकी चर्चा मैंने अभी की। हम उस चीज से बंधे हुए हैं। हम उस नीति का ईमानदारी से पालन करने की चेष्टा करेंगे। यहां यह कहा गया कि हमारे सेक्रेटेरिएट में बहुत जमाने से बहुत से सचिव हैं या और लोग जो सचिवालय में काम करते हैं, कई वर्षों से हैं। वैसे तो हमारी नीति यह है कि एक स्थान पर हमें तीन-चार वर्ष तक एक आदमी को रखा जाय और उसको हम सही नीति मानते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति इससे पहले के हैं। अब समय आ गया है कि उस नीति के तहत में, उस विषय में विचार करके वह कार्य करें जिससे उन लोगों को संतोष हो सके जो इस प्रकार की आलोचना हमारी नीतियों के विषय में करते हैं। मैं उस आलोचना के सम्बन्ध में जो इस सदन में प्रस्तुत की गयी इतना ही संकेत करता हूं।

एक और विषय है जिसकी ओर हमारा ध्यान आमंत्रित किया गया, और वह है आस्टेरिटी और इकोनामी की योजनाएं। कुछ लोग हमारा मजाक और मखौल उड़ाते हैं कि हमने ५२ लाख रुपये की इकानामी दिखा कर कौन-सा बड़ा भारी कार्य किया, हम भी कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहते। मैं भी उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो कहते हों कि बड़ा भारी काम कर दिया है। न मैं यह कहता हूं कि हमें जिस दिशा में जाना है उस तक पहुंच गये, हमने एक कार्य प्रारम्भ किया है। हम चाहते हैं कि वह एक कांटीनुअस प्रोसेज में जारी रहे। हम शासन में अधिक से अधिक इकानोमीज करने की कोशिश करें और उन इकानोमीज को उन कार्यों में लगाएं, जिन कार्यों को हम प्राथमिकता प्रदान करना चाहते हैं।

मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से सहमत नहीं हूं। समाजवादी संगठन में नौकरियां देने के प्रश्न पर जो चर्चा उन्होंने की कि समाजवादी संगठन में तो लोगों की नौकरियां ली नहीं जाती हैं वह मैं नहीं समझ पाया। हम कब यह कहते हैं, हम लोगों को बेकार तो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम तो यह चाहते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जिसके पास ८ घंटे का काम करने के लिए नहीं है तो वह व्यक्ति दूसरी जगह पर बैठा दिया जाय, वहां से हम उसको हटाकर उसके कार्य को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें जिसके पास कि दो दिन, तीन दिन का काम है और इस तरह से बचत करके उस बचत को उन प्रायरिटीज वाले कामों में लगायें

[श्री चन्द्रभानु गुप्त---]

तो उससे प्रदेश का अधिक फायदा हो सकता है, उससे प्रदेश का अधिक विकास हो सकता है, उससे प्रदेश का अधिक निर्माण का कार्य आगे बढ़ सकता है। इसलिये मैं माननीय गोविन्द सहाय जी ने जो कल चर्चा की और पहले भी बजट के ऊपर बहस करते हुये इस विषय में जो बात कही थी उसे असंगत समझता हूं और गलत समझता हूं। समाजवादी व्यवस्था में क्या होना चाहिये, कदाचित् उस बात को, अपनी समाजवादी बातों को रखते हुए उन्होंने भुला दिया है क्योंकि समाजवादी व्यवस्था तो यह चाहती है कि हमें आवश्यकीय चीजों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित करना चाहिये और आवश्यकीय चीजों को कार्यान्वित करने के लिये प्राथमिकता देते हुये हमको आगे चलना चाहिये।

जब साधनों की कमी हो तो इस बात की आवश्यकता होती है कि जहां से हम साधन बचा सकें वहां से उनको बचाकर उन साधनों को उन कार्यों में लगायें कि जो कार्य हमसे प्रायरिटी की मांग करते हैं। तो यदि हमें नौकरियां तोड़ने की बात सोचनी है, घटाने की बात सोचनी है तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम उस व्यक्ति को जो कि पूरा काम करने का अवसर नहीं पाता है, उसको वहां से हटायें और उसको हटाकर उसे दूसरे कार्य में लगायें जिसे कि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत में सम्पादित करना है। अभी यह जो ५२ लाख की बचत हमने की है यह क्या कोई आखिरी पन्ना है? ५२ लाख या ८३ लाख की एक योजना जिसमें कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को एक सन्तुलित ढंग से रखने की चेष्टा की गई है, उस पर भी विचार हो रहा है।

अभी यह शिकायत की गई कि जगह-जगह पर बहुत से अधिकारी हो गए हैं, जिले के स्तर पर बहुत से अधिकारी हो गए हैं, गांवों के स्तर पर बहुत से अधिकारी हो गए हैं, तो मैं भी यही सोच रहा हूं और यह सरकार भी तो यही सोच रही है। मैंने आते ही अपने कैबिनेट के सभी साथियों से और सचिवों से यह निवेदन किया और अपने इस विचार को कार्य रूप में देने के लिये प्रयत्न किया। वह गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और विचार करके उन्होंने कुछ सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। उन पर विचार करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

डेमोक्रेसी में यह तो संभव नहीं कि आज मेरे दिमाग में एक बात आयी और फौरन मैंने उसके ऊपर एक आदेश दे दिया। यह उस तरह की डेमोक्रेसी में जिसे कि टोटेलिटेरियन स्टेट करते हैं और जिसे कि डेमोक्रेसी बताया जाता है, वहां तो यह चीज हो सकती है कि उस व्यक्ति ने एक आदेश दिया और फौरन एक ही दिन में वहां सब चीज बदल गई। अपने यहां तो एक कानून के तहत में हमको काम करना होता है। जिन लोगों को हमने नौकरियां दे रखी हैं कानून ने उनको कुछ अधिकार दे रखा है। क्या एक ही रात में एक आर्डर देकर हम किसी की नौकरी ले सकते हैं? जब ऐसी बात नहीं है तो ऐसी हमारी आलोचना क्यों होती है? और ऐसा मजाक हमारा क्यों बनाया जाता है? अगर ५२ लाख हमने डेढ़ दो महीने में अधिक प्रयास करके बचत करने का कुछ प्रयास प्रारम्भ किया है तो जितना हमें समय मिलेगा, जितना हम विचार करेंगे, और जितना इस ढंग से कार्य करने की क्षमता हममें है, उतना ही प्रयास हम इकोनामी के लिये करेंगे।

मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां यह भी कहा गया कि यह सरकार तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। बराबर इस बात की चर्चा और ब्यूरोक्रेसी की निन्दा होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी है क्या? क्या कोई ऐसा भी देश है कि जहां ब्यूरोक्रेसी नहीं है? क्या कोई ऐसा भी देश है कि जहां के अच्छे से अच्छे नवयुवक देश के कार्यभार को अपने कन्धों पर सहर्ष उठाने की चेष्टा नहीं करते हैं? क्या यही एक प्रदेश अनोखा है कि जहां ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है? क्या और प्रदेशों में और सेंटर में ब्यूरोक्रेसी नहीं है? और फिर इस ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले कौन हैं, वह भी तो आपके ही भाई, भतीजे, चचा, ताऊ वगैरह हैं, वही तो यह सब कार्य कर रहे

हैं ? तो बराबर उनको अयोग्य सिद्ध करने की चेष्टा करें, बराबर यह बात व्यक्त करते रहें कि वह निकम्मे हैं, उन्हे देश से प्रेम नहीं है, वह देश का और समाज का निर्माण नहीं करना चाहते हैं, तो क्या इससे कोई काम निकलने वाला है ? अगर मैं इस बात को मान भी लूं, यद्यपि मैं यह स्वीकार नहीं करता क्योंकि हमारे अधिकारियों में अयोग्य व्यक्ति भी हैं, योग्य व्यक्ति भी हैं और तजुर्बेकार व्यक्ति भी हैं और उसी प्रकार के विचारों और भावनाओं से प्रेरित व्यक्ति हैं जिन भावनाओं से माननीय सदस्यगण प्रेरित हैं, तो यदि दोषी लोग हैं, खराब लोग हैं तो उनको हम कैसे प्रभावित कर सकेंगे ? क्या महज उनकी निन्दा करके प्रभावित कर सकेंगे ? आखिर कई अंग्रेज थे, कोई आठ महीने और साल भर तक काम करते रहे। वे हमारे विरोधी थे, लेकिन क्या हमने आते ही उनको निकाल दिया, हमने क्या उन्हें काम करने का मौका नहीं दिया ? वे हमारे विरोधी थे। उन्होंने अपने समय में हमें सजा दी, कोड़े भी बहुतों को लगवाये, लाठियां भी हमें सहनी पड़ी थीं और तरह तरह की यातनायें प्रदान की थीं। वही सरकारी कर्मचारी उस जमाने में हमारे मातहत काम करते रहे और जो आदेश दिये उनका पालन करते रहे और जो यह अविश्वास का वातावरण है, उसको यदि हमें नयी परम्परा को बनाना है, तो उसे दूर करना पड़ेगा और यदि अधिकारियों को और गलत अधिकारियों को भी दंड देना है तब भी हमें नयी परम्पराओं को बनाना पड़ेगा और जो लोग गांधी जी के नाम की दुहाई देते हैं उनको गांधी जी के तरीकों पर भी विश्वास प्रकट करना चाहिये। मेरा ऐसे लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि इन स्थानों में नई तरीकों को लाने की चेष्टा करनी है तो अधिक से अधिक और जो विरोधी से विरोधी व्यक्ति है यदि उनको भी जीतने की चेष्टा करनी है तो वह हम अपने कार्यों से, अपने विश्वासों से और अपनी मान्यताओं के द्वारा ही कर सकते हैं और उनको जीत सकते हैं और मैं इसीलिये कहता हूं और आज भी दोहराता हूं कि यह तो ऐसा युग है कि जिस युग में कार्य करने का भार देश के उन सार्वजनिक नेताओं, और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर आ पड़ा है कि वे नयी परम्परायें बनावें और उसके लिये वह जिनसे वह काम करना चाहते हैं, जो उनके मातहत रहते हैं उनमें विश्वास पैदा करें।

यदि उनके अन्दर विश्वास पैदा कर देंगे तो खराब से खराब आदमी, खराब से खराब अधिकारी भी बदलेगा क्योंकि आखिर समाज के वातावरण का ही तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि उनको परिवर्तित करना है, उनके जो दोष हैं उनके लिये दिलों को बदलने की क्षमता को उनके अन्दर पैदा करना है, तो क्या वह मान्यतायें हम उनके अन्दर पैदा कर सकते हैं यदि हम समाज के वातावरण को न परिवर्तित कर दें। लेकिन यहां तो केवल गाली गलौज और आलोचनाओं को ही सदन में रखते हैं कि यह अधिकारी ऐसा और वह अधिकारी ऐसा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे कन्धों पर शासन चलाने का बोझ डाल दिया है तो साथ ही साथ उस उत्तरदायित्व को निभाने का अवसर भी दीजिये। यदि कुछ अधिकारी खराब हैं और हमारे आदेशों के तहत में नहीं चलते हैं तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों उनको जरूर बदलना पड़ेगा। और अगर बदले नहीं गये तो जो अधिकार हमको कानून से मिला है उससे खराब अधिकारी को उसके कामों की सजा भी मिलेगी। लेकिन यह सब करने के लिये नयी परम्परा को बनाने की चेष्टा की जाय।

मैं पूछता हूं कि क्या हम और आप सब दूध के धुले हैं ? क्या हममें वह सब बुराइयां नहीं हैं ? क्या कारण है कि माननीय सदस्य और हम सब उन सब कमजोरियों का क्या प्रदर्शन नहीं करते हैं ? हम क्या अपने कामों के लिये अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं और उनसे सिफारिश नहीं करते हैं ? मैं आपसे कहता हूं कि हमें इस कार्य में क्या परिवर्तन नहीं करना है। हमें उस वातावरण को अगर पैदा करना है जिससे हम अधिकारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन ला सकें तो सबसे पहले हमें अपने को बदलना होगा। इसलिये यहां यह नितान्त आवश्यकीय है और मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वालों से कहता हूं कि हमें अपने में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त---]

सबसे पहले नयी परम्पराओं को लाना है। ऐसा करने में समय लगता है। हम जानते हैं कि हर रास्ता दिक्कतों से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है लेकिन उन परेशानियों और दिक्कतों का मुकाबला कौन करेगा। हमीं को तो सब का परिचय देना पड़ेगा और हमीं को तो उन सब बुराइयों का जो अपने अन्दर हैं और जो हम सब के अन्दर हैं मुकाबला करना होगा।

मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम कमजोरी नहीं दिखायगे, यदि हम गलत बातें करके गलत वातावरण को नहीं पैदा करेंगे तो आज नहीं तो कल जो दोषी लोग हैं, जो लोग गलत तरीके बरत रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से पार्टीबाजी में पड़ गये हैं वह बदलेंगे, यह सारा स्वरूप बदलेगा और यह नीति भी बदलेगी और हम सबके प्रभाव से ऐसा वातावरण और ऐसी प्रणाली अपने बीच में पैदा करेंगे जो वातावरण डिमोक्रेसी के बीच में रहना चाहिये, वह सरकारी कार्यों में आवेगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें सरकार के आदेशों का पालन करना है, सरकार की नीतियों को चलाना है तो हमें अपनी सर्विसेज में वह भावना पैदा करनी है कि वे अपने बीच में उस विचाराधारा को, उस दिशा को पैदा कर सकें और यह तभी हम पैदा कर सकेंगे जब हम स्वतः उस तरफ चल करके कार्य करने की क्षमता अपने अन्दर पैदा कर सकेंगे।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के लिये यह कहा गया है कि वे कम्युनलिज्म को फैलाते हैं और हमारे बीच में एक दूषित वातावरण पैदा करते हैं। मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हम में कमजोरियां हैं, हम स्वयं हिन्दू और मुसलमान की दृष्टि से सोचते हैं फिर अधिकारियों को क्यों दोष देते हैं। अपनी कमजोरियों पर अपने विचारों पर जरा प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा कीजिये। आज यह वास्तविकता है कि आज यहां हिन्दू सोचते हैं कि मुसलमान जो इस देश में रहते हैं वे माइनारिटीज में हैं और उनका कोई अधिकार नहीं है और उनको कोई अधिकार मिलना ही नहीं चाहिये, उनके साथी पाकिस्तान चले गये हैं और यह सारे पाकिस्तानी हैं। तो यह मनोवृत्ति क्या है? यह मनोवृत्ति क्या हमारी कमजोरी की परिचायक नहीं है। क्या ऐसे मुसलमान आज भी नहीं हैं जो यह समझते हैं कि पाकिस्तान बन गया है? और जो इस मुल्क में रहते हुये भी यह समझते हैं कि हम पाकिस्तान की ताकत को अपने पास रखते हैं? क्या वे आज उन्हीं कंडीशन्स को पैदा नहीं करना चाहते हैं जिनके कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहांतक इस सरकार का संबंध है वह न तो ऐसे हिन्दुओं को प्रोत्साहन देगी और न ऐसे हिन्दुओं को यहां चैन से बैठने देगी जो इस प्रकार की साम्प्रदायिक विचारधारा यहां पैदा करना चाहते हैं और न ऐसे मुसलमानों को अपने बीच में बैठने देगी जो वह वातावरण प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं जो मुस्लिम लीग ने पैदा किया था और जिसका यह देश शिकार बन गया और जिसके कारण हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया। दो टुकड़ों में देश का बंटना, हिन्दू और मुसलमानों की बेवकूफी थी और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस दूषित वातावरण का इस प्रदेश के कोने-कोने में जा कर मुकाबला करें। वह दूषित वातावरण कहीं-कहीं भावना को दूषित करता है और कहीं कहीं उसके कारण मंदिर और मस्जिद का सवाल उठ जाता है। कहीं किसी मस्जिद का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उस वातावरण के तहत में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जायगी और उसे लेकर चुनाव में मुसलमानों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जायगी। क्या यह सही परंपरा है? क्या यह सही तरीका है? आज हम गणराज्य को स्थापित करना चाहते हैं, उसकी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं और ऐसा शांतिमय तरीकों से,करना चाहते हैं लेकिन काम हम उसके विपरीत करते हैं।

यदि गणराज्य में हिन्दू और मुसलमानों का प्रश्न उभरता रहा, कायस्थ, ब्राह्मण, बनिये और ठाकुर का सवाल उभरता रहा, तो क्या गणराज्य अपनी जगह पर यहां बनाया जा सकेगा? क्या उसकी जड़ें ठोस हो सकेंगी? कौन नहीं जानता कि चुनाव में जब हम वोट

मांगने जाते हैं तो हर जगह कायस्थ, ब्राह्मण, बनिये, ठाकुर का सवाल हमारे सामने आता है। तो यह दूषित वातावरण हमारे देश में फैलता जा रहा है और इस के शिकार, अगर यह फैलता रहा तो, हम और आप सब होने वाले हैं। इधर के लोग भी इसके शिकारबन सकते हैं और उधर के लोग भी इसके शिकार बन सकते हैं। इसके कारण देश की एकता समाप्त हो जायगी और उसके बाद प्रजासमाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ या कांग्रेस कहां आयेंगे? इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देश में ऐसे तत्व हैं कि जो देश से रिश्तेदारी नहीं रखते। उनकी रिश्तेदारी बाहर से है और वे तत्व राष्ट्रीयता की भावना के साथ सहयोग में कार्य करने का विरोध करते हैं। वह उनकी बातों का समर्थन करते हैं, उनकी नीतियों और उन के हकों का समर्थन करते हैं कि जो बाहर के हैं और अगर इस प्रकार का वाता वरण वे प्रदेश में, देश में फैलाते रहे तो क्या उससे प्रदेश में स्वस्थ वातावरण पैदा हो सकेगा? इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं, घोषित करना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार मौजूद है वह न ऐसे हिन्दू को, जो हिन्दू और मुसलमान का सवाल उभारना चाहता है, और न ऐसे मुसलमान को, जो हमारे बीच में पाकिस्तान का नकशा रखना चाहता है, और न किसी ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे देशों से सहायता लेना चाहता है, पनपने देगी और उन के लिये वह सारे ऐसे तरीके बरतेगी जिससे कि उन सारे तत्वों को, व्यक्तियों को दबाया जाय, उनकी भावनाओं को कुचल दिया जाय ताकि हम अपने देश और प्रदेश की एकता बनाये रख सकें। यह बात सब को समझ लेनी चाहिये और अभी भी ऐसे अवसर आये हैं कि जब सरकार ने उन भावनाओं को उभरने नहीं दिया।

पुलिस के सिपाही को रात रात और दिन दिन त्योहार मनाने की इजाजत न दे कर हमने उसे २४, २४ घंटे ड्यूटी पर रखा है और हमें कृतज्ञ होना चाहिये पुलिस के अधिकारियों का कि उन्होंने इन साम्प्रदायिक दंगों से हमारे प्रदेश को बचा लिया। ऐसे फसादियों से बचा लिया कि जो प्रदेश में फसाद कराना चाहते थे। और ऐसे तत्व चाहे वह मुरादाबाद हो या कोई और स्थान, सब जगह हमारे बीच में हैं। वह दंगे चाहे पडरौना में हों अथवा मुरादाबाद में, समय-समय पर ऐसे तत्व हमारे बीच में उभरने की चेष्टा करते हैं और वे तत्व हमारे बीच में भी घुसे हुए हैं। बहुत से ऐसे काम करने वाले हैं कि जो चुनाव के लिये वोटों की तरफ देख रहे हैं। मुसलमान को कौन सी चीज खुश कर सकेगी? हिन्दू को कौन सी चीज खुश कर सकेगी, जात और बिरादरी के लोगों को किस प्रकार खुश किया जा सकेगा, यह सब हमें रोकना चाहिये। हमें अपने कार्यों की ओर दृष्टिपात करना चाहिये और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिये कि जिनसे हम अपने देश और प्रदेश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, उसे सुन्दर बना सकते हैं।

मैं यहां आप के समक्ष यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी कहा गया कि हरिजन भाइयों की तरफ, उनकी समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह तो मैं मान सकता हूं कि अभी तक जो हमने घोषणा कर रखी है कि १८ फीसदी स्थान विभिन्न जगहों पर उनके लिये रिजर्व हैं, उसे हम पूरा नहीं कर सके हैं। और यदि हम समर्थ नहीं हुये हैं, तो इसलिये नहीं हुये हैं कि हमने जानबूझ कर उसको नहीं किया है। ८-१० वर्षों में हमने जो कार्य किया है उससे यह विदित होगा कि हमने नौकरियों में उनको काफी संख्या में लिया है और उनको ज्यादा से ज्यादा लेने की चेष्टा की है। जो भी नियम हमारे बने हुये हैं उन्हीं की तहत में तो हम उनको लेंगे। वे नियम एफिशिएंसी आदि की बुनियाद पर हैं। हां, हम यह मानते हैं कि हमने जो इनके लिये रेजर्वेशन रखा था उतनी अनुपात में हम उन्हें नहीं रख सके हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं यह मालूम करना चाहता हूं..

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि.....

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, क्या वे राजवंश के हैं जो एक साथ दो-दो खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं स्वयं पूछे लेता हूं। मुख्य मंत्री जी, आपको कितना समय और चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१५ मिनट और दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर सदन की राय हो तो ५.२० तक का समय बढ़ा दिया जाय, मुख्य मंत्री जी ५.१५ तक अपना भाषण समाप्त कर दें।

(सदन की अनुज्ञा से समय ५.२० तक बढ़ाया गया।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास आंकड़े हैं वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि हर साल हरिजन भाईयों को नौकरी में काफी संख्या में लिया गया है। इस समय हमारे यहां क्लास १, क्लास २, क्लास ३ और क्लास ४ की सर्विसेज हैं। सन् १९४७-५३ तक क्लास १ में कोई हरिजन नहीं था। क्लास २ में ३१, क्लास ३ में १७५३, क्लास ४ में १९६१। सन् १९५३-५९ तक क्लास १ में कोई नहीं, क्लास २ में ५०, क्लास ३ में ३,१६३ और क्लास ४ में ४,२९७। इस तरह से आप देखेंगे उनकी संख्या में बराबर बढ़ोतरी हुई है। हमें हरिजन भाइयों से पूरी सहानुभूति है, हम चाहते हैं कि उनके बच्चों को वह सभी सुविधायें मिलें जिनसे वे अब तक वंचित रहे हैं। हम बराबर उनको वह सुविधायें, चाहे वे शिक्षा संबंधी हों, या किसी तरह की हों, देना चाहते हैं ताकि वे भी उन स्थानों पर पहुंच सकें जहां पर वे नहीं पहुंच पाये हैं। हमारा ध्येय है और कोशिश भी बराबर यही रहेगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा जगह नौकरियों में मिले और जहां वे अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं वहां वे पहुंच पायें।

एक सवाल नैनीताल के बारे में उठाया गया, मैं उसके बारे में भी कहना चाहता हूं। इस विषय में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने इस संबंध में तमाम बातों पर विचार किया और हम उन सभी तरकों से इत्तफाक नहीं करते हैं जो तर्क पहाड़ पर जाने या न जाने के विषय में यहां सदन में दिये गये। आज बहुत से ऐसे भी माननीय मंत्री, सदस्य तथा अन्य लोग हैं जो पहले भी पहाड़ों पर जाते रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि प्रदेश के निवासियों को नैनीताल जाना चाहिये और हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जायें और अपना स्वास्थ्य लाभ उठायें। अपने प्रदेश के जो निवासी वहां जा सकते हैं उन्हें वहां जाना चाहिये क्योंकि वह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारे सामने भी जो माननीय सदस्य बैठे हुये हैं वे भी वहां जायें और जो वहां गरीबी की हालत है उसका अध्ययन करें और उनको प्रोत्साहन दें। जो भी उनसे सहानुभूति रखते हैं उनको जाना चाहिये। लेकिन हमारा आग्रह यह है कि सरकार को वहां जाना नहीं चाहिये। इस विषय में वर्षों से बहुत चर्चा होती रही है और सदन में बाहर जो दृष्टिकोण रहा है उस से हमने यही निर्णय लिया है कि सरकार के रूप में हमें वहां नहीं जाना चाहिये और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि नैनीताल को हम एक टूरिस्ट सेंटर में कन्वर्ट करें और अधिक से अधिक सुविधा वहां के निवासियों को दें, वहां की नगरपालिका को दें, जिससे वे उसको एक टूरिस्ट सेंटर में कन्वर्ट कर सकें।

मैं जब यह बात आपके सामने कह रहा हूं, तब मैं इस बात को नहीं कहता और न किसी को कहना चाहिये कि कोई व्यक्त या सदस्य यदि घूमने फिरने के लिये जाना चाहे तो हम मना कर दें। हमारा कोई साथी जाय दौरे पर या अधिकारी जाय तो उसको हम मना कर दें, ऐसा नहीं

है। हम तो उन क्षेत्रों को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन सदन और प्रदेश की जनता चाहती है कि वहां सरकारी खर्चे पर लोग न जायं। यदि कोई मंत्रिगण जायेंगे तो अपने खर्चे से जायेंगे, और कोई मकान लेगा तो किराया देगा। यदि कोई पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी या सदस्य जायगा तो किराया अपना देना होगा। इस बात की घोषणा करते हुए मैं पूरी सहानुभूति लोगों से रखता हूं और आशा करता हूं कि जो सुभीते पहाड़ी निवासियों को मिलते हैं वह उनसे वंचित नहीं होने पायेंगे। यानी उन क्षेत्रों में जो लोग बराबर जाते रहते हैं उनकी संख्या घटेगी नहीं। हमारा विश्वास है, धारणा है कि हमारा टूरिस्ट विभाग और साथीगण यदि सब मिलकर चाहेंगे तो नैनीताल उन सुविधाओं और सुभीताओं से वंचित न रहेगा जो उसे सरकार के वहां जाने से मिलती रही हैं यदि गैरसरकारी और सरकारी लोग अधिक संख्या में जाते हैं तो नैनीताल की वही हालत बनी रहेगी जो पहले थी और जिसको कायम रखने की हम में से प्रत्येक की अभिलाषा और आकांक्षा है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---कवैश्चन।

श्री चन्द्र भानु गुप्त---मैं समझता हूं कि वे माननीय सदस्यगण जो पहाड़ के क्षेत्र से आते हैं, और मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि उस क्षेत्र को मैं विकसित करूं और अपने सारे साथियों के साथ, सहयोग के साथ विकसित करने में पूरा सहयोग दूं। मैं जानता हूं कि प्रताप सिंह जी नाराज हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं उन्हें यह अवसर नहीं मिलेगा और न मैं ऐसा अवसर दूंगा।

श्री राजनारायण---अपने पास बैठा लीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह भी बैठेंगे और आप भी बैठेंगे मेरे पास। बहुत दिन तक बैठे हैं। बहुत लोग बहते बहते इधर आजाते हैं, आप भी आयेंगे।

एक बात पब्लिक सर्विस कमीशन के विषय में कही गयी और माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस उम्र के लोग जाते हैं वह फासिलाइज्ड तबके के लोग होते हैं, उनका कोई सोशलिस्ट दृष्टिकोण नहीं होता। उनका यह ख्याल गलत है, हम तो विधान से बंधे हुए हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। विधान ने जो अधिकार दे रखा है वह यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे सदस्य हों जो सरकारी नौकरियों पर १० साल तक काम कर चुके हों। उसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति होंगे जो तजुर्बेकार होंगे। जिन जगहों के लिये आदमी छांटे जाते हैं उनकी पूरी तरह से योग्यता उसके लिये आंक सकें और ऐसे व्यक्तियों को छांट सकें, ऐसे आदमियों की वहां जरूरत है। जो व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हमारे यहां रखे जाते हैं वह कौन होते हैं? वह तो हमारे विश्वविद्यालयों के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स और बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और वही ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं। तो जो सब से ज्यादा पढ़े लिखे, जो सब से ज्यादा योग्य व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा छांटे जाते हैं और यदि उनमें कमी कोई दिखलाई पड़ती है तो वह क्या प्रदर्शित करता है? वह तो हमारी कमी है, हमारी आपकी कमी है और जो पीछे बैठने वाले व्यक्ति हैं उनकी है। जैसा कि मैंने पहले कहा वह लड़के इस सदन में बैठने वाले और इस सदन के बाहर बैठने वालों के ही तो बच्चे हैं। यदि वे किन्हीं परम्परा को नहीं रख पाते हैं जिनको आप रखवाना चाहते हैं तो उस कमी को हमें अपने बीच से दूर करना होगा, हमें अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को वैसी शिक्षा-दीक्षा दे सकें जो डेमोक्रेसी में एक अधिकारी के अन्दर होनी चाहिये।

डेमोक्रेसी में काम करने वाला जो अधिकारी है वह किसी पार्टी से नहीं बंधेगा और न मंत्री से बंधेगा। जहां तक कि उसकी पार्टी का विषय है वह तो उन आदेशों से बंधा हुआ है जोकि सरकार उसको देगी और उसका कर्त्तव्य होगा कि वह उनका पालन करे। क्या ब्रिटिश डेमोक्रेसी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त--]

में अधिकारी नहीं है ? वहां भी वही अधिकारी हैं जो विश्वविद्यालयों के योग्य विद्यार्थी रहे हैं और जिन्होंने उत्तम श्रेणी में उपाधियां पाई हैं। यदि वे कमियों का दिग्दर्शन कराते हैं तो वह समाज की कमियां हैं । उनको समाज से हटाना चाहिये ।

भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया । मैं यह तो नहीं कहता कि सारे सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार अलग हो गया है। वह एक समाज का रोग है। जैसे-जैसे समाज का स्तर ऊंचा होता जायगा वैसे वैसे वह हटता जायगा । जैसे-जैसे समाज में शिक्षा फैलेगी और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले नेतागण समाज में नयी पद्धतियां कायम करेंगे और नए नवयुवक तैयार होंगे तब हम सभी के प्रयास से यह काम होगा। हम आर्डर जारी करके ऐसे अधिकारी नहीं पैदा कर सकते । यदि वह बुरे रास्ते पर चले गये हो तो वह हमारी अच्छी परम्पराओं का अनुसरण करके ही अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी अधिकारी से झगड़ा हो गया हो और अब मैं इस स्थान पर बैठ गया हूं तो मैं उससे बदला लूं, यह एक गलत परम्परा का चलाना होगा और इससे बनेगा नहीं बल्कि बिगड़ेगा। लोगों को अपने गुणों के द्वारा साथ लाने की चेष्टा करनी चाहिये। शासन में तब्दीली आयेगी, परिवर्तन आयेगा जबकि जिन्हें शासन चलाना पड़ता है वह रीतिरिवाजें परिवर्तन करें ।

इर्रीगेशन रेट्स के बारे में सवाल आया। आम बजट के समय भी चर्चा करते समय मैं कह चुका हूं कि किसी सुभीते को वापस लेने में हमें खुशी नहीं होती। लेकिन यदि प्रदेश को आगे बढ़ाना है, साधनों की बुनियाद पर बढ़ाना है तो वह साधन कहां से आयें ? वह टैक्सेज के द्वारा ही आयेंगे । एक समय था जब हमने इर्रीगेशन रेट्स में कमी की और इस बुनियाद पर कमी की कि अन्न का दाम गिर गया । और अब हमारे पास जो आंकड़े हैं और उस समय जो आंकड़े थे उन दिनों का जब हम संतुलन करने बैठते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो रिबेट उस समय दिया गया था उसको वापस कर लें। क्या अन्य प्रदेश ऐसा नहीं कर रहे हैं ? किसी प्रदेश में बेटरमेन्ट लेवी लगी हुई है तो किसी ने हमसे भी ज्यादा टैक्सेज लगा रखे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है और प्रदेश की आमदनी और स्तर को ऊंचा करना है तो हमें हर तरह से साधन जुटाने पड़ेंगे और उन साधनों के जुटाने में हमें जो तकलीफ होगी उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा । हमारे पास न तो कोई मिन्ट है और न कागज छापने की मशीन है इसलिये यह पैसा हमें लोगों की गाढ़ी कमाई से ही उपलब्ध करना होगा और उसके लिये उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। कल का समाज बनाने के लिये आज हम लोगों को त्याग का परिचय देना ही पड़ेगा। मैं सारी जनता के समक्ष यह घोषित करना चाहता हूं कि पांच साल का जो कार्यकाल है इसमें अगर हम सफलता पानी है तो तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ेगी हम अपना पसीना बहाना होगा और यदि आवश्यकता हुई तो अपना खूनदेना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही हम समाजवादी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अभी इस योजना के बाद हमें कई योजनायें चलानी होंगी तभी हम उन लक्ष्यों की पूर्ति कर पायेंगे जिनकी पूर्ति का हमने संकल्प किया है और जिनको पूरा करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं ।

उत्तराखंड का भी जिक्र किया गया । उत्तराखंड के बारे में कहा गया कि वहां का फार्मेशन गलत हुआ है, जो कार्य वहां होने चाहिये थे वे नहीं हो रहे हैं। जब बजट पर आम बहस हो रही थी उस समय भी मैंने कहा था कि जितनी उत्तराखंड की आबादी है उसे देखते हुये जितनी धनराशि हमने वहां व्यय करने के लिये रखी है वे आंकड़े यह बतलाते हैं कि जो मिलिटरी कारणों से यह उत्तरदायित्व हमारे बीच में आया है हम उसे निभाने की तरफ चल रहे हैं। तो यह कहना कि उधर हमारा ध्यान नहीं है, हम उसकी उन्नति के लिये इच्छुक नहीं हैं, यह सही बात नहीं है । यह सही तथ्य का परिचायक नहीं है ।

मैं नहीं समझता कि जो प्रश्न यहां उठाये गये मैं उनका सबका उत्तर इस थोड़े समय में दे सका हूं । लेकिन मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो दृष्टिकोण हमने प्रस्तुत

किया है वह अवश्य ऐसा है कि यदि हम उसे अपनाते गये तो हम इस प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल और गौरवमय बना सकेंगे और कदाचित थोड़ी मात्रा में सेवा उन बच्चों के प्रति कर सकेंगे जिन्हें इस युग में गौरवमय और सुखमय देखना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो अनुदान हमनें प्रस्तुत किया है उसके लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान की मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—४७,
विपक्ष में—१६१।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,९२,११,१०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान की छोड़कर ५,८८,९५,५०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

रोडवेज संस्था के उन ड्राइवरों की सूची जो कि सन् १९५७ से पहले नियुक्त किये गये थे और जिन्हें १९५७ से वेतन वृद्धि नहीं मिली है ।

नाम	नियुक्ति की तिथि	नौकरी से अलग किये जाने के बाद पुनः नियुक्ति की तिथि
१—श्री आयाज हुसेन	१० सितम्बर, १९५५	३—२—१९५८
२—श्री अलगू सिंह	१० फरवरी, १९४८	१०—१२—१९५६
३—श्री झकड़ी राम	२४ नवम्बर, १९५१	२—१०—१९५८
४—श्री राम दत्त	३ दिसम्बर, १९४८	२९—९—१९५३
५—श्री झकरिया खाँ	१ मई, १९४९	..

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

परीक्षा फल बनाने की तारीख २५-२-१९६०

परीक्षाफल घोषित करने की तारीख १९-३-१९६०

क्रम-संख्या	नाम	नियुक्ति आदेश तिथि	पद ग्रहण तिथि
१	श्री राजेन्द्र कुमार जौहरी	२६-२-१९६०	२६-२-१९६०
२	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ..	२६-२-१९६०	३-३-१९६०
३	श्री लक्ष्मी कान्त प्रधान ..	३०-६-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया ।
४	श्री रामसेवक तिवारी ..	३०-६-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया ।
५	श्री श्याम नारायण गुप्ता ..	२६-८-१९६०	२९-८-१९६०
६	श्री बृजेश कुमार सिंह ..	२६-८-१९६०	२-९-१९६०
७	श्री कतवारू सिंह	२६-८-१९६०	२०-८-१९६०
८	श्री मिठाई प्रसाद (अनुसूचित जाति)	२६-२-१९६०	१-३-१९६०
९	श्री गौरीशंकर राम (अनुसूचित जाति)	२६-८-१९६०	पद स्वीकार नहीं किया।
१०	श्री रामचन्द्र पांडेय	२६-८-१९६०	३०-८-१९६०
११	श्री शिवशंकर सिंह	२६-८-१९६०	७-९-१९६०
१२	श्री रमा कांत श्रीवास्तव	३-९-१९६०	९-९-१९६०
१३	श्री राम पति लाल	३-१०-१९६०	११-१०-१९६०
१४	श्री राम दरश त्रिपाठी	२८-१०-१९६०	२१-११-१९६०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

तालिका 'क'

वर्ष १९५५–५६ में शासन द्वारा बुलन्दशहर जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को स्वीकृत जमींदारी उन्मूलन अनुदान की तालिका

क्र० सं०	विद्यालय का नाम		वर्ष में १९५५–५६ में स्वीकृत ज० उ० अनुदान की राशि (रु०)
१	किसान आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रौन्डा	..	१,०००
२	मुस्लिम राजपूत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेखूपुरा	..	२००
३	मुकर्रम उ० मा० वि०, पिहासू	..	५००
४	मुकुन्द स्वरूप उ० मा० वि०, सिकन्दराबाद	..	५००
५	स्वतंत्र भारत उ० मा० वि०, कलौन्डा	..	१,०००
६	चतुर श्रेणी उ० मा० वि०, करउना	..	१,०००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६७—एल० ए०—१९६१—८४५ ।